Babuji's brief life-story

A factual version of Babuji's lifestory until early 1990 appeared in his lifetime with his approval in his 75th birthday felicitaton volume (Heerak Jayanti Abhinandan Granth) edited by Prof. D. R. Chaudhary. This older version was typed by Ashok Jain. The version given below has been corrected, heavily edited as well as expanded upon by Dr. Swatantra Jain (his daughter) and includes many new details and events before and after 1990 along with her brief commentary that were obviously not included in the original version.

बाबूजी की जीवन-कथा

'मन में आर्थिक व सामाजिक आज़ादी की तड़प; आँखों में शोषण रहित समाज का सपना; वाणी में राष्ट्र की ज्वलन्त समस्याओं का करूणामयी एवं कियात्मक समाधान; कलम से हृदय की वेदना व्यक्त करने की कला; शासक, बुद्धिजीवी तथा उच्च वर्गों को राष्ट्र की समस्याओं के हल के लिये प्रेरित करने की ललक; ग़रीबों, दलितों, मुज़ारों एवं बेसहारों के हकों के लिये अपनों तथा शक्तिशाली हस्तियों से भी टक्कर लेने की बेजोड़ उर्जा तथा बापू के रामराज्य के स्वप्न को साकार करने वाले स्वप्न द्रष्टा - ऐसे थे बाबू जी!

बाबू मूल चन्द जी का जन्म **20** अगस्त **1915** को ग्राम सिकन्दरपुर माजरा, तहसील गोहाना, जिला रोहतक में एक जैन परिवार में हुआ। माता का नाम श्रीमती धनकौर और पिता का नाम लाला मुरारीलाल जैन था। इनके दादा लाला ईच्छाराम पास के एक अन्य गाँव 'नगर' से कुछ साल पहले सिकन्दरपुर माजरा में आबाद हुए थे। इस गाँव की गिनती तहसील गोहाना के छोटे गाँवों में होती है। गोहाना से मात्र पाँच मील पूर्व दक्षिण दिशा में गोहाना-ख़रखोदा मार्ग पर स्थित इस गाँव का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि यहाँ घोघर बाबा का निवास था। उस समय वहाँ जँगल था। घोघर बाबा बहुत पहुँचे हुए सन्त थे। उनकी पूजा के लिये दूर-दराज से लोग आते थे और उनका आशीर्वाद लेते थे। घोघर बाबा ने जब अपने नश्वर शरीर का त्याग किया तो उनके शिष्य सिकन्दर ने उनकी समाधि इसी जंगल में बनवाई थी। लोग उनकी मृत्यु के बाद भी समाधि से आशीर्वाद लेने आते थे। धीरे २ लोगों ने यँहा झोंपड़ियाँ डाल कर रहना शुरू कर दिया। यह स्थान खेती करने वालों के लिये वरदान साबित हुआ और आबादी बढ़ती चली गई। यहाँ ४०० घर ब्राह्मण जाति के लोगों के हैं और शेष अन्य जातियों के लोग हैं। खेड़ी दमकन, रभड़ा, बड़ौता व माहरा गांव के बीच बसे इस गांव के लोग आपस में मिल-जुल कर सौहार्द भाव से रहते थे। अधिकतर इनके जीवन यापन का ज़रिया खेती-बाड़ी है।

परन्तु बालक मूलचन्द के पिता दुकानदारी, लेन-देन और खेत पैदावार की क्रय-विक्रय का काम करते थे। गाँव में प्रायः सभी घर कच्चे थे। इनके घर भी कच्चे थे और घर की महिलाएं चक्की पीसने, कुंए से पानी लाने आदि का काम उसी प्रकार करती थी, जैसे गाँव में आम परिवार की महिलाएं करती थी। फिर भी इस परिवार की गिनती गाँव के सम्पन्न परिवारों में होती थी। कुछ वर्षों तक इनके पिताजी ने इन्कमटैक्स भी दिया। परन्तु जैसे-जैसे लेन-देन कम होता गया, न केवल इन्कमटैक्स हट गया, अपितु आर्थिक हालात भी बदतर होते चले गए।

हमारे दादा अर्थात लाला मुरारी लाल जी के तीन और चचेरे भाई थेः मातु राम जैन, कृपा राम जैन तथा अरी दास जैन। इनमे से मातु राम जैन को दादाजी ने अपने तीसरे बेटे कर जगह दे रखी थी और उनके बेटों को बाबूजी ने भी वैसा ही मान दिया। कृपा राम जी के बेटे श्री सुरेश कुमार जैन और अरी दास जैन के बेटे अजीत प्रसाद जैन का हम सब से ज्यादा मेल रहा।

अपने दो भाई और तीन बहिनों में बाबूजी दूसरे नम्बर पर थे। तीनो बहिने बिल्कुल अनपढ़ थी, किन्तु छोटा भाई अर्मीचन्द एफ़० ए० पास था। बाबूजी बचपन से ही अति कुशाग्र बुद्धि के होनहार बालक थे। इनके विचार धार्मिक थे

July20-version-Downloaded from modichandjain.org

किन्तु रूढ़िवादिता के बिल्कुल विरूद्ध! उनके पिताजी की आठ बहिनों में से दो बहिनें श्रीमती फूलपति और श्रीमती कांति देवी गोहाने में विवाहित थी जो कि गांव से केवल चार-पांच किलामीटर की दूरी पर है। दोनों बहुत ही धार्मिक विचारों की थी। चूंकि उनका गांव में काफ़ी आना-जाना था, इसलिए बालक मूलचन्द पर अपनी उन दोनों बुआओं का बहुत प्रभाव पड़ा।

प्रारम्भिक एवं उच्च शिक्षा

गांव में प्राइमरी स्कूल था। परिवार अशिक्षित था। केवल पिताजी ही महाजनी हिन्दी लिखना-पढ़ना जानते थे। बालक मूलचन्द को गांव के प्राइमरी स्कूल में भर्ती कर दिया गया। जहां से उसने सन् उन्नीस सौ पच्चीस में प्राइमरी पास की। वह न केवल अपने स्कूल में प्रथम रहा अपितु छात्रवृति भी प्राप्त की। मैट्रिक की परीक्षा सन् उन्नीस सौ इक्कतीस में गोहाना हाई स्कूल से पास की और स्कूल में प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन छः वर्षो में यह बालक अधिकतर अपनी बुआ के पास रहा। परन्तु अवकाश के दिन अपने घर **5** मील चल कर पैदल ही आता-जाता था। कुछ समय के लिए दसवीं कक्षा में स्कूल के बोर्डिंग हाउस में भी रहा। वहां एक बहुत ही दिलचस्प घटना हुई। बोर्डिंग हाउस बैरिक नुमा था। केवल एक कमरा अलग था। मगर उस कमरे के बारे में यह दन्त कथा थी कि जो विद्यार्थी उस कमरे में रहेगा वह अवश्य फेल होगा। पन्द्रह वर्षीय बालक के सामने जब यह बात आई, तो इसने बिना संकोच के कहा कि ''मैं ऐसे वहम की परवाह नहीं करता। मुझे पढ़ाई करनी है। बैरिक में पढ़ाई अच्छी प्रकार नहीं होगी, इसलिए मैं इसी कमरे में रहुंगा।'' और वह उसी कमरे में रहा और न केवल प्रथम श्रेणी में पास हुआ अपितु अपने स्कूल में भी प्रथम रहा। पन्द्रह वर्षीय बालक का कैसा ग़ज़ब का आत्मविश्वास और साहस रहा होगा कि उसने उस समय का सबसे बड़ा ख़तरा मोल लिया! मेरे विचार से यह केवल और केवल साहस की बात नहीं थी, यह बाबूजी की उस विद्रोही वृति की ओर भी इंगित करती है जो प्रचलित किन्तु गलत या व्यर्थ की मान्यताओं का विरोध करती हैं।

पढ़ाई के साथ अन्य शैक्षणिक व अशैक्षणिक गतिविधियों का प्रादुर्भाव

आर्थिक हालात कमज़ोर होने के बावजूद भी स्कूल में प्रथम आने के कारण माता पिता ने इसे कॉलेज में दाख़िल करवा दिया। रोहतक में उस समय एक ही इन्टर कॉलेज था। दिल्ली के अतिरिक्त और कोई कॉलेज निकट नहीं था। इसलिए रोहतक कॉलेज में नॉन मैडिकल ग्रुप में दाखिल हुआ और फीस मुआफी की अर्जी दी। इत्तेफ़ाक से उस साल विभिन्न स्कूलों से आकर दाखिल होने वाले विद्यार्थियों में सबसे अधिक अंक इन्हीं के थे। इस कारण इनका कक्षा में विशेष आदर था। फ़ीस मुआफ़ी के लिए एक और विद्यार्थी की भी अर्जी थी। कक्षा इन्चार्ज प्रोफ़ेसर श्री पुरी ने यह बात बालक मूलचन्द जैन पर ही छोड़ दी कि किसकी फ़ीस मुआफ़ की जाए। करूणामयी किशोर मूलचन्द जो दूसरों के दुःख व तकलीफ़ को अपने से अधिक महत्व देता था, को जब पता लगा कि दूसरा विद्यार्थी उससे भी अधिक गरीब परिवार से है तो इसने प्रोफ़ेसर पुरी को कह दिया कि दूसरे बालक की फ़ीस मुआफ़ कर दी जाए। उसने स्वयं औरों को टयूश्न पढ़ा कर गुज़ारा कर लिया। इस कारण कॉलेज में इनका और भी अधिक आदर हो गया। दसवीं तक उर्दू फ़ारसी पढ़ने वाले इस बालक ने कॉलेज में आकर हिन्दी पढ़नी आरम्भ की।

कॉलेज में आप पढाई, खेलों, शैक्षणिक व अशैक्षणिक गति-विधियों में बढ़ चढ़ कर भाग ही नहीं लेते थे वरन् सम्मानीय स्थान भी प्राप्त करते थे। एफ.एस.सी. की यूनिवर्सिटी की परीक्षा में न केवल आप अपने कॉलेज में प्रथम रहे वरन् आन्तरिक और बाह्य खेलों में भी अच्छा स्थान पाया। रोहतक कॉलेज में सात मील की लम्बी दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया। टेबल-टैनिस और वॉलीबाल का यह अच्छा खिलाड़ी गिना जाता था। कॉलेज की भाषण प्रतियोगिताओं में भी यह भाग लेता और पुरस्कार जीतता था। राव राम नारायण पूर्व मन्त्री इसके सहपाठी थे।

July20-version-Downloaded from modicrandiain.org

राष्ट्र भक्ति का प्रादुर्भाव

बालक मूलचन्द अपनी किशोरावस्था से ही देश भक्ति से ओत-प्रोत हो गये थे। जब दसवीं की परीक्षा के बाद उसी वर्ष २३ मार्च, १९३१ को अक्समात सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फाँसी दे दी गई और सारे देश में कोहराम मच गया। गोहाने में भी प्रोटैस्ट के तौर पर जुलुस निकाला गया और यह बालक भी इसमें शामिल हुआ। गोहाना निवासी श्री अमीचन्द जैन सन् **1921** के स्वतन्त्रता आंदोलन में कैद काट चुके थे। उनकी बातें भी यह बालक बड़ी रुचि से सुनता था। कुछ समय बाद उन्हीं दिनों स्वर्गीय शामलाल की कोठी पर काँग्रेसी नेताओं की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में सरहदी गाँधी खान अब्दुल गफ्फार खान भी आए थे। इन सब नेताओं के दर्शनों से इस नौजवान को भी देशभक्ति की प्रेरणा मिली।

विवाह

रोहतक कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही सन् उन्नीस सौ बत्तीस में बाबूजी की शादी सोनीपत के गांव फ़ाजिलपुर की कुमारी शरबती जैन से हुई। आपकी पत्नि अपने ६ भाईयों की एकमात्र ज्येष्ठ बहिन थी। उनका मुकलावा दो साल बाद सन् **1934** में हुआ, जब इन्होंने बी.ए. की शिक्षा के लिए दाखिला सनातन धर्म कॉलेज़ लाहौर में लिया। पत्नी बिल्कुल अनपढ़ थी। शादी के बाद उसने हिम्मत करके हिन्दी लिखने पढ़ने का अभ्यास शुरु किया। कई वर्षों बाद हिन्दी की कुछ परीक्षाएं भी पास कीं। मगर बोलचाल और रहन-सहन में उन्हें किसी ने ग्रेजुएट से कम नहीं समझा।

लाहौर में इन्होंने चार साल तक शिक्षा प्राप्त की। कॉलेज का खर्च चलाने के लिए ट्यूशन पढ़ाने का कार्य भी किया। सन् **1935** में बी.ए. की परीक्षा पास की। कॉलेज में बी.ए. की परीक्षा में दो विद्यार्थी आगे निकल गए। यह कमी इन्होंने लॉ कॉलेज़ में पूरी की जब ये सन् **1936** में यूनिवर्सिटी परीक्षा में सारे पंजाब में फर्स्ट आए। इस परीक्षा में इन्हें 'गोल्ड मैडल मिला। उन दिनों काफ़ी देर तक अग्रवाल आश्रम में रहे और फिर कॉलेज होस्टल में। लाजपत भवन अग्रवाल आश्रम के निकट ही था। वहां नेताओं के भाषण हुआ करते थे। बाबूजी प्रायः वहां जाकर उनके भाषण सुनते और उनसे प्रभावित होते थे। यँहा राष्ट्र भक्ति की भावना को और ज्यादा प्रोत्साहन मिला। सन् **1936** में पंडित नेहरु की आत्मकथा अँग्रेजी में छपी। बाबूजी ने उस आत्मकथा को अपनी जेब से खरीदा और उसे पढ़ने पर इतने प्रभावित हुए कि उसे पढ़ने के लिए कुछ दिनों तक अपनी कॉलेज की पढ़ाई तक को भूल गए। और उसी समय से पंडित जी के भक्त बन गए।

सन् **1937** में वकालत की परीक्षा प्रथम श्रेणी में अच्छे अंक प्राप्त करके पास की। परन्तु पहली कानूनी परीक्षा की तरह यूनिवर्सिटी में प्रथम नहीं आये, तीन-चार विद्यार्थी इनसे उपर रहे। उन दिनों वकालत का कोर्स दो वर्ष का था। परन्तु वकालत शुरु करने से पहले किसी सीनियर वकील से छः माह की ट्रेनिंग लेनी पड़ती थी। अतः इन्होंने श्री इन्द्र सेन जैन वकील से रोहतक में **6** माह तक ट्रेनिंग ली। फिर गोहाना में वकालत शुरु की। उन्हीं दिनों इन्होंने आज़ादी के आंदोलनों में जोश से भाग लेना शुरु कर दिया। काँगेस के मेम्बर बने और खद्दर पहनना शुरु कर दिया। जल्दी ही गोहाना नगर काँग्रेस कमेटी के प्रधान चुने गए तथा प्रदेश काँग्रेस के डेलीगेट भी। वे गांव-गांव जाकर काँग्रेस के सदस्य बनाते और काँग्रेस कमेटी बनाते। और इस के साथ उन्होने सकिय कार्यकर्ता ढूंढने शुरु कर दिये। उस समय सोनीपत जिला भी रोहतक जिले का हिस्सा था। रोहतक में पं० श्री राम शर्मा काँग्रेस के नेता थे। उनका भाषण बड़ा प्रभावाली होता था। वे जब भी कभी रोहतक काँग्रेस के आफ़िस में जाते तो उन्हे पं० श्री राम शर्मा के भाषणों से बड़ी प्रेरणा मिलती।

July20-version Downloaded from mooldhandjain.org

__आसौद्धे के सत्याग्रह में मरणासन्न रूप से घायल__

सन् **1937** में 'गवर्नमेंट आफ इन्डिया ऐक्ट' के अधीन सारे भारत में विधान सभाओं के चुनाव हुए। बहुत से प्रदेशों में कौंग्रेस ने अधिक स्थान प्राप्त किया। मगर पंजाब में जमींदारा लीग सफ़ल हुई। सिकंदर हयात खाँ मुख्यमन्त्री बने और चौधरी छोटू राम माल मन्त्री। चौधरी साहिब सूद खोरी और साहूकारों द्वारा किसानों के शोषण के विरुद्ध थे। हरियाणा की सभी ग्रामीण सीटों पर जमींदारा लीग ने कौंग्रेस को हरा दिया था। मगर सन् **1937** में इनकी वज़ारत बनने के बाद जिला रोहतक के प्रभावशाली नेता श्री राम शर्मा ने देहात में ज़ोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया। सन् **1938** में जिला रोहतक कौंग्रेस ने निर्णय लिया कि वे आने वाले रोहतक जिला बोर्ड के चुनावों में भाग लेगें। इसलिए देहातों में प्रचार का कार्य तेज कर दिया। बाबूजी के सामने सबसे बड़ी चुनौती **18-12-1938** को आई जब कि देहात में कौंग्रेस की जड़ों को मज़बूत करने के लिये आसौदा में रोहतक जिला कौंग्रेस कमेटी की ओर से एक कौंफ्रेंस हुई। यह गाँव युनियनिस्ट पार्टी तथा सरकार परस्तों का गढ़ था। गाँव वालों ने जैसे कसम उठा रखी थी कि अपने गाँव में जलसा नहीं होने देंगे। *परन्तु* उनके जलसे स्थान-स्थान पर सफ़ल हो रहे थे। जिला बोर्ड के चुनाव भी सन् **1939** में होने वाले थे। जमींदारा लीग के लोगो ने सोचा कि यदि कौंग्रेस के जलसे इसी तरह सफ़ल होते रहे तो जमींदारा लीग बोर्ड के चुनाव में हार जायेगी। कौंग्रेस का प्रचार कैसे बन्द किया जाये? यह महत्वपूर्ण प्रश्न उनके सामने था। उसका जवाब निराले ढंग से श्री छोटू राम ने निकाला।

कौंग्रेस के बड़े जलसे प्रायः गाँव के निकट शामलात भूमि में होते थे। उन दिनों शामलात भूमि की मालिक ग्राम पंचायत नहीं होती थी बल्कि गाँव के बिस्वेदार होते थे। कुछ बिस्वेदार गाँव में जलसा कराना चाहे और कुछ उसका विरोध करें, और सरकार गैर जानकारी का बहाना करके जलसे में गड़बड़ कराती जाए। और गड़बड़ करने का भी अनोखा ढंग निकाला गया। ऐसे कौंग्रेस विरोधी बिस्वेदारों को समझाया गया कि वे काफ़ी संख्या में आकर स्टेज के निकट थाली बजाकर शोर मचा दें ताकि जलसे में आने वाले किसी नेता का भाषण ही न सुना जा सके। इस योजना को आज़माने का उन्हें मौका तब मिला जब जिला कौंग्रेस रोहतक ने असोद्धा गांव में जलसा करवाने का निर्णय लिया। उस गांव के कुछ बिस्सवेदार कौंग्रेस के हक में थे, परंतु अधिकतर बिस्सवेदार जमीदारों के पक्ष में थे। जलसा शुरू होने पर वे मंच के पास आकर थालियां बजाने लगते थे। उन्हें कहा गया, ऐसा करना उचित नहीं है, यदि वे आज़ादी व कौंग्रेस की बातचीत नहीं सुनना चाहते तो जलसे में ना आयें, मगर उन्हें तो सिखाया गया था, जिसके अनुसार उन्होंने जवाब दिया कि 'जिस भूमि पर जलसा हो रहा है, उसके वे मालिक है, इसलिए उन्हें यह थालियां बजाने का अधिकार है'।

वे समझाने पर भी नहीं मानते थे और पुलिस भी खड़ी तमााशा देखती रहती तो जलसा इस घोषणा के साथ समाप्त कर दिया गया कि 'कौंग्रेस इस ग़लत और असभ्य तरीके के खिलाफ़ तब तक सत्याग्रह करेगी जब तक उनका जलसा सफ़ल नहीं होता।' इस प्रकार रोहतक जिले में आसोद्धा सत्याग्रह के नाम से सत्याग्रह शुरू हो गया। ३ जनवरी १६३६ को जबकि हज़ारें की संख्या में आसोदा में कौंग्रेसी आ गये तो फ़िर जलसा हुआ। इसमें डा० गोपी चंद भार्गव, डा० सत्यपाल, पं० श्रीराम शर्मा, चौ० बलदेव सिंह चौ० भरत सिंह, बाबू मूल चंद जैन तथा अन्य स्थानीय नेता शामिल थे। जलसा शुरू होते ही जमींदारा लीग के लोग थाली बजाने लगे। कोई चार घंटे तक ऐसा ही चलता रहा। आख़िर जलसा बर्खास्त करना पड़ा। धरना बदस्तूर जारी रहा। दो तीन जलसों में जब इसी प्रकार से शोर मचाया गया तो शोर मचाने वालों को रोका नहीं जा सका, परंतु हर अगले जलसे में लोगों की भीड़ बढती गई और कांग्रेस की टोलियां बड़ी संख्या में भाग लेने लगी। इस पर जमींदारा लीग के नेताओं को चिंता हुई कि उनकी रूकावट से कौंग्रेस का प्रचार बंद नहीं हुआ, अपितु ग्रामीण लोगों का ध्यान जमींदारा लीग की बजाय कौंग्रेस की ओर होने लगा। उस समय हरियाणा में जमींदारा लीग के नेता सर छोटू राम थे जो पंजाब सरकार के मंत्री भी थें। रोहतक जिले में जमींदारा लीग के नेता चौ० श्रीचंद थे। मगर ये लोग सामने नहीं आते थे।

लाहौर में होने वाली असेम्बली में सवाल उठाया गया तो जमींदारा लीग ने सरकार की तरफ से वही जवाब दिया जो पुलिस ने दिया था। पंडित श्री राम की इस दलील की कोई परवाह नहीं की गई कि यह तरीका लोगो को आपस में लडा़ने का है। सभ्य तरीके से भी तो विरोध किया जा सकता है। पर बिस्बेदारों ने उसी तरह शोर मचाया और पुलिस खड़ी तमाशा देखती रही। जलसा असफल रहा परन्तु शर्मा जी ने घोषणा की कि **19** फ़रवरी **1939** में अगला

July 2020 version Downloaded from modichandjain.org

जलसा इससे भी बड़ा होगा और सारे जिले से सेवक और कार्यकर्ता इसमें भाग लेंगे। **15** फ़रवरी, **1939** को बाबू जी की पुत्री सावित्री का जन्म हुआ। फ़िर भी बाबूजी को इस आन्दोलन में भाग लेने से कोई रोक नहीं सका। और इस जलसे की पूर्व संध्या को बाबूजी भी गोहाना से आसोधा पंहुचे, हालांकि उनके एक साथी वकील चौधरी देवक राम ने उन्हें सलाह भी दी थी कि वे इस जलसे में न जाएं। लगभग एक हजार स्वयं सेवक सभा स्थल पर रात को इक्कठे हो गये। अगले दिन सवेरे ही सैंकड़ो जमींदार लोगों ने, जमींदार लीग के बहकावे में आकर लाठियों, जोलियों और गण्डासों से हमला कर दिया। **100** से अधिक कार्यकर्ता घायल हुए। बाबूजी को भी गम्भीर चोटें आई और वे लहू-लुहान होकर बेहोश हो गये। चारों तरफ यह समाचार फैल गया कि गोहाने का वकील मारा गया। लेकिन हमारे बाबा जी, जो ग्रहों के अध्ययन एवं हिसाब लगाने में माहिर थे, ने हिसाब लगा कर बतलाया कि बाबुजी की जान को कोई खतरा नहीं था। इन्हें बहादुरगढ़ अस्पताल में ले जाया गया जहां कई दिनों की चिकित्सा के बाद ये ठीक हुए और घर वापस आ गये।

इस घटना के पश्चात न केवल पंजाब असैम्बली बल्कि सारे देश में शोर मच गया कि पंजाब की जमींदारा लीग सरकार प्रजातन्त्र की हत्या कर रही थी। आखिर पंजाब सरकार को झुकना पड़ा और **7** मार्च **1939** को असौधा ग्राम में बहुत बड़ी सभा हुई, जिसमें प्रसिद्ध नेता श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भी भाग लिया।

दूसरा महायुद्ध आरम्भ हो चुका था। अँग्रेज सरकार ने भारतीय जनता को पूछे बिना भारत को लड़ाई में भागीदार बनाने की घोषणा कर दी थी। यही नहीं, वे भारत को 'डोमिनियस स्टेटस' का दर्जा देने का भी वायदा नहीं करते थे, इसलिए इससे नाराज होकर सभी कॉंग्रेसी मन्त्री मन्डलों ने त्याग पत्र दे दिए और अँग्रेज़ सरकार के विरुद्ध आंदोलन की तैयारियां होने लगी। बाबूजी दिन में वकालत का काम करते और न्यायालय के समय के बाद साईकिल पर गाँवों में प्रचार के लिए जाते। उधर उनका गोहाने का घर तहसील के कॉंग्रेसियों का अड्डा बन गया। वे सन् **38, 39, 40** के **3** सालों में पैदल या साईकल पर गोहाना तहसील के प्रायः सभी गाँवों में गए। इस बीच हमारे बाबूजी की चार सन्तानों का जन्म हो चुका था, जिनमे से ज्येष्ठ पुत्र जन्म के **24** दिन बाद ही चल बसा था। शेष तीन में एक भाई जगदीश और उनसे छोटी दो बहिनें सावित्री और स्वराज जिनका नाम बाद में बिगड़ते २ सरोज पड़ गया।

<u>व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में गिरफ्तारी</u>

सन् **1940** में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह का आंदोलन छेड़ दिया। सत्याग्रह का अर्थ सत्य पर अहिंसक मार्ग से आग्रह पूर्वक डटे रहना। एक किस्म से सत्य मार्ग के लिये यह अहिंसा का प्रयोगात्मक रूप है। गान्धीजी की मानवता और पूरे विश्व को सत्याग्रह की यह अनोखी देन थी। उन्होने आत्मिक बल को सार्वभौमिक प्रयोग का एक अद्भुत शस्त्र बना दिया था। जिस के विरूद्ध सत्याग्रह करना हो, ना उससे कुछ छिपाना है, ना उसके प्रति कोई द्वेष भाव या क्रोध का भाव रखना, बस अपने को कोई किसी किस्म की हानि के भय के बिना, जिसे आप सत्य व ठीक समझते हैं, उस पर डटे रहना है। सत्याग्रही को ना किसी से डरना और ना किसी को डराना होता है। इसी लिये यह कायरों का शस्त्र ना हो कर वीरों का शस्त्र है।

यह आंदोलन इतिहास में अद्वितीय था। जिसका जी चाहे वह इस आंदोलन में भाग नहीं ले सकता था। इसमें भाग लेने के लिए व्यक्ति को गांधी जी से अनुमति लेनी पड़ती थी और अनुमति देने के लिए गाँधी जी ने कड़ी शर्तें लगा रखी थी। अर्थात् सत्याग्रह में भाग लेने वाले को सत्य, अहिंसा, व अस्तेय का अपने जीवन में अभ्यास, खद्दर पहनना, चरखा कातना, शराब आदि का नशा न करना, छुआछूत न करना, अहिंसा में विश्वास रखना, स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिए शांतिमय तरीकों पर विश्वास रखना, रचनात्मक कार्यों में आस्था रखना आदि। विधि अनुसार सत्याग्रह में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को एक फार्म भरना पड़ता था, जिस पर सभी शर्तें लिखी होती थी। जिला कॉंग्रेस और प्रदेश कॉंग्रेस सिफ़ारिश करती थी। तब जाकर गाँधी जी सत्याग्रह की अनुमति देते थे। ऐसे केस भी हुए जहां गाँधी जी ने ऐसी सिफ़ारिशों के बाद भी अनुमति नहीं दी।

बाबूजी आरम्भ से ही गांधीवादी विचारों के थे। उक्त सभी शर्तों पर वे पहले से ही अमल करते थे। इसलिए इनको सत्याग्रह में भाग लेने की अनुमति जल्दी से मिल गई और **6** मार्च सन् **41** को आप ने अपनी जन्मभूमि ग्राम सिकन्दरपुर माजरा में ही सत्याग्रह शुरु किया। गाँव की चौपाल और उसके निकट सारे गाँव वाले इकट्ठे हो गए। महिलाएं भी बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित थीं। भव्य नज़ारा था। ऐसा प्रतीत होता था कि सारे ग्रामवासी अपने गाँव के

july20-version-Downloaded from modichandjain.org

बहादुर बाँके जवान को अलविदा करने नहीं वरण अपना *आशीर्वाद देने आए हों।* बाबूजी डी. सी. रोहतक को पहले ही नोटिस दे चुके थे कि वे अपने गाँव में ६ मार्च को एक बजे युद्ध में भाग लेने के विरुद्ध जनता को सम्बोधित करेंगे, इसलिए पुलिस भी काफ़ी संख्या में आई हुई थी। अन्य साथियों के भाषणों के पश्चात् बाबूजी ने भाषण देना शुरु किया ही था कि पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। सभी ग्रामवासियों की आँखों में आँसू थे। किन्तु बाबूजी की आँखें खुशी ओर गर्व से यह सोच कर चमक रही थी कि अन्त में ऐसी शुभ घड़ी आ गई जिसकी उन्हें बेसब्री से प्रतीक्षा थी। सभी ने उन्हें भाव-भीनी विदाई दी। उन्हे रोहतक जेल में बन्द कर दिया गया। मैजिस्ट्रेट ने उन्हें 'भारतीय सुरक्षा कानून' के उल्लंघन के आरोप में एक साल कैद की सजा दे दी। जेल जाने से पहिले उन्होने यह भी नही सोचा कि उनके ३ बच्चे और उनकी पत्नि का क्या बनेगा? चूँकि हमारी दादी व उनकी माता ऐसे रूढ़ीवादी विचारों की थी जो यह सोचती थी कि उनके बेटे की सब मुसीबतों का कारण उनकी बहु ही थी। इस लिये उन्होने हमारी माँ तथा उनके **3** छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाल दिया और वे रोते बिलखते अपने मायके के लिये पैदल ही चल दी। उधर उनके भाई रधुवीर शरण बाबुजी की गिरफ़्तारी का समाचार सुन कर अपने गाँव से निकल पड़े। मार्ग में अपनी बहिन व बच्चों को रोते बिलख़ते आते देख वे भी रो पड़े। मैं यँहा यह टिप्पनी करना आवश्यक समझती हूँ कि किसी भी सत्याग्रही का अविवाहित होते जेल जाना और विवाहित होते जेल जाने में बहुत अन्तर है। और ख़ासकर तब जब कि परिवार साधनहीन हो। बाबूजी जैसे विवाहित यूवा के जेल जाने से पत्नि, बच्चों और मात-पिता पर क्या गुज़रती है, इसका वर्णन करना आसान नहीं।

वकील होने के नाते बाबुजी को बी क्लास दी गई और गुजरात जेल, पाकिस्तान भेज दिया गया। गुजरात जेल में इन्हें पंजाब, दिल्ली और सिंध प्रदेश के बड़े नेताओं जैसे श्री भीमसेन सच्चर, पंडित श्री राम शर्मा, डॉ. सत्यपाल, लाला देश बन्धु गुप्ता, आसफ़ अली, श्री चोयथ राम गिडवानी आदि से सत्संग का सौभाग्य मिला। बाबूजी उन दिनों भी कॉलेज के दिनों की तरह डायरी लिखा करते थे। गुजरात जेल में लिखी अपनी डायरी में बाबूजी ने चर्चा की है कि ''मै नहीं जानता कि देश कब आज़ाद होगा परन्तु निजी तौर पर सत्याग्रह में भाग लेने से मुझे अवश्य लाभ हुआ है।'' यहाँ यह चर्चा करना भी उचित है कि बाबूजी का परिवार आरम्भ में स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने पर नाराज़ था परन्तु आसौद्धे में घायल होने के पश्चात् भी जब वे आन्दोलन में भाग लेते रहे तो हमारे दादा व उनके पिता ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा कि 'तुम देश और धर्म के काम में जुट गये हो तो अब पीछे नहीं हटना।'

July26-version Downloaded from motichandjain.org

<u>गोहाना से करनाल</u>

करनाल को कर्मस्थली बनाना जैसे उनकी नियति में लिख़ दिया गया था। जेल जाते समय बाबूजी ने शायद कभी ना सोचा होगा कि उन्हें अपनी जन्म स्थली छोड़नी पड़ सकती है। गुजरात जेल में करनाल जिले के भी कई कांग्रेसी साथी मिले। वे बार-बार बाबूजी से कहते कि 'करनाल जिले में रोहतक की तुलना में स्वतन्त्रता आन्दोलन बहुत कम है। रोहतक जिले में तो पंडित श्रीराम शर्मा जैसे बड़े नेता भी हैं। क्यों न आप करनाल वकालत शुरु कर दें? और जिस लगन से आपने रोहतक जिले में काम किया है, उसी लगन से करनाल जिले में भी काम करें, तो करनाल में भी काम बढ़ेगा और पहले काम करने वाले साथियों को प्रोत्साहन मिलेगा'। इस सुझाव पर जेल में ही उन्होंने गम्भीरता से विचार करना शुरु कर दिया।

कुछ दिनों के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने एक सत्याग्रही को इसलिए बरी कर दिया कि उसने युद्ध के विरुद्ध न कोई भाषण दिया था और न नारे लगाए थे। केवल अपने जिला मैजिस्ट्रेट को नोटिस दिया था कि, 'मैं इस प्रकार का भाषण दूंगा और नारे लगाउंगा''। सारे पंजाब में इस प्रकार के और भी सत्याग्रही थे। पंजाब सरकार ने इस प्रकार के सारे सत्याग्रहियों को रिहा करने का फैंसला कर लिया। बाबूजी भी उसी प्रकार के सत्याग्रही थे। उन्हें भी सितम्बर **1941** में रिहा कर दिया गया। इसके कुछ दिनों पश्चात् व्यक्तिगत सत्याग्रह धीमा होता चला गया और आख़िरकार बन्द कर दिया गया। उधर दूसरा महायुद्ध तेज होता गया। रूस पर हमले के पश्चात् तो यह युद्ध सारी दुनिया में फैल गया।

जेल से बाहर आकर बाबूजी ने करनाल में काम करने के सुझाव पर अपने परिवार से सलाह मशवरा किया और परिवार की अनुमति मिलने पर प्रथम जनवरी सन् उन्नीस सौ बयालीस के दिन करनाल आ गये और नावल्टी रोड़ पर

एक छोटा सा मकान किराये पर लेकर काम आरम्भ कर दिया। ये गोहाने की तरह साइकिल पर ही भिन्न- भिन्न गाँव में स्वतन्त्रता आन्दोलन के प्रचार के लिये जाने लगे। बहुत जल्दी ही करनाल जिले के मुख्य कार्यकर्ताओं में उनकी गिनती होने लगी। उधर वकालत का काम भी धीरे-धीरे जमने लगा। हालांकि जब वे पहली बार करनाल के वकीलों से मिले तो उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि यह नौजवान वकील, जिसकी करनाल जिले में चन्द काँग्रेसियों और एक-दो रिश्तेदारियों के अतिरिक्त कोई जानकारी नहीं, कैसे सफल होगा? पर राष्ट्र हित की ख़ातिर अपने निजी हित की आपने कभी परवाह नहीं की। बाबूजी सफ़ल ही नहीं हुए वरण उन्होने करनाल वासियों पर एक अमिट छाप भी छोड़ी।

<u>भारत छोड़ो आन्दोलन में गिरफ्तारी</u>

बाबूजी के करनाल आने के कुछ महीनों बाद गांधी जी नया आन्दोलन छेड़ने का संकेत देने लगे। यह भी कहा गया कि 'नया आन्दोलन भारत की आज़ादी के लिए अन्तिम आन्दोलन होगा और अंग्रेजों को कहा जायेगा कि वे भारत छोड़ दें'।

उधर युद्ध में जर्मनी की जीत होती जा रही थी। युरोप के बहुत से देश जर्मनी फौजों के आगे घुटने टेक चुके थे। रूस में भी फौजें बहुत आगे बढ़ गई थी। कई बड़े काँग्रेसी नेता जिन में श्री नेहरु भी शमिल थे, नहीं चाहते थे कि ऐसे समय आन्दोलन छेड़ा जाए। इससे जंग के प्रयासों में बाधा पड़ेगी। परन्तु ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ऐसी स्थिति में भी भारत की आज़ादी की घोषणा के लिए तैयार नहीं हुए और न ही भारतीय नेताओं को तुरन्त ठोस अधिकार देना चाहा। अमरीकन राष्ट्रपति ने अपना विशेष दूत भेजा और अमरीकन दबाव से 'क्रिप्स मिशन' भी भारत आया। परन्तु भारतीय नेताओं को ठोस अधिकार देने की बात को चर्चिल ने निकट नहीं आने दिया। यहां तक कह दिया कि वे इसलिए ब्रिटिश सरकार के प्रधानमन्त्री नहीं बने कि बिटिश्च साम्राज्य को समाप्त कर दिया जाए। इस प्रकार चीन के राष्ट्रपति च्यांग काई शैक और उसकी तरफ से भारत में आई उनकी पत्नी और अमरीकी विशेष दूत के सब प्रयास असफ़ल हो गए।

इस परिस्थिति में कुछ काँग्रेसी नेताओं का विरोध गाँधी जी को अच्छा न लगा। नेहरु जी को वर्धा बुलाया और पांच-छः दिन तक विस्तार पूर्वक विचार-विमर्श हुआ। फलस्वरुप नेहरु जी भी आन्दोलन के लिए तैयार हो गए। **8** अगस्त सन **1942** को बम्बई में आल इण्डिया काँग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई गई जिसमें भारत छोड़ो आन्दोलन प्रस्ताव पास किया गया। उसी रात बम्बई में ही सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रस्ताव में सभी काँग्रेसियों को आदेश दिया गया था कि वे लीडरों की गिरफ्तारी के पश्चात् स्वयं अपने नेता और काँग्रेस की नीतियों को ध्यान में रखते हुए देश की आज़ादी के लिये जो कार्य उचित समझें, कर सकते हैं। प्रस्ताव के इस भाग का बहुत से काँग्रेसियों ने गलत अर्थ निकाला और स्थान-स्थान पर रेल पटरियां उखाड़ने या काटने व अन्य तोड़-फोड़ की कार्यवाही होने लगी। गान्धीजी इन तोड़-फ़ोड़ की घटनाओं से बहुत आहत हुए। बाबूजी भी ऐसी बातों के विरूद्ध थे।

बाबूजी इस आन्दोलन में कूदने के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे थे। **9** अगस्त को ही उन्होंने अपनी लाइब्रेरी और अन्य सामान को बांधना शुरु कर दिया। उधर अपनी ससुराल पत्र लिख दिया कि वे अपनी बेटी को ले जाएं। इस अवस्था में **11** अगस्त को उन्हें करनाल कचहरी से गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी गिरफ्तारी के पश्चात् जो भी सामान, लाइब्रेरी पुस्तकें श्री शान्ति स्वरुप के घर रखी जा सकती थी, पँहुचायी गयी, तीन बच्चे और पत्नी अपने गाँव में चले गये। बाबूजी पर मुकदमा नहीं चला, बल्कि उन्हें नजरबन्द किया गया और उस दिन उन्हें करनाल जेल में रखने के बाद मुलतान, पुरानी सैन्ट्रल जेल भेज दिया गया। करनाल से उनके साथ श्री वासुदेव त्यागी, निवासी हथवाना, श्री बानुराम, श्री रघुनन्दन, दोनों शाहबाद निवासी, भी साथ में मुलतान भेजे गए। इस आन्दोलन को कुचलने के लिए अंग्रेज सरकार ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। जेल में गाँधी टोपी पहनने की भी इजाज़त नहीं थी।

July20-version-Downloaded from mohandjain.org

करनाल जिले के यह चार देश-भक्त जब मुलतान जेल की ड्योढ़ी में पँहुचे तो उन्हें कहा गया कि 'आप टोपी पहन कर जेल के अन्दर नहीं जा सकते। नजरबन्द होने के नाते कपड़े अपने ही पहन सकते है परन्तु टोपी पहनने की आज्ञा नहीं होगी'। इस पर बाबूजी ने कहा कि वे गांधी टोपी उतारना कभी स्वीकार नहीं करेंगे चाहे उन्हें और भी सजा भुगतनी पड़े। जेल अधिकारियों ने कहा कि 'सैंकड़ों कॉंग्रेसी पहले ही यहां आ चुके है और किसी ने भी टोपी उतारने पर आपत्ति नहीं की। आप क्यों आपत्ति करते है?' बाबूजी ने कहा कि 'वह जेल के सारे कपड़े पहनने को तैयार है परन्तु गांधी टोपी को छोड़ने को तैयार नहीं हैं । आखिर यह निर्णय हुआ कि नजरबन्द होने के बावजूद, नजरबन्दी को अपने कपड़े पहनने का अधिकार था, इन चारों ने अपने कपड़े उतार दिए और जेल के धारीधार कपड़े पहन लिए। जेल में अन्दर जाने पर इनसे पूर्व पहुंचे हुए कॉंग्रेसी बहुत हैरान हुए। उन्हें सारा किस्सा सुनाया गया तो वे बहुत प्रसन्न हुए कि करनाल जिले के कॉंग्रेसियों ने गाँधी टोपी की लाज रख ली है जबकि उन लोगों का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं।

जेल में इतनी सख्ती थी कि लिखने के लिए कलम, दवात या फाउन्टेन पैन या कागज़ भी नहीं रखा जा सकता था। एक दिन धार्मिक पुस्तक के हाशियों पर बाबूजी किसी से उधार लिए हुए पैन से कुछ लिख रहे थे कि जेल अधिकारी आ गया और उसने तुरन्त बाबूजी को एक सप्ताह कैद तन्हाई की सजा सुना दी।

एक और घटना वर्णन के योग्य है। **26** जनवरी को कॉंग्रेसी जेलवासी देश-भक्ति के गीत गा रहे थे, श्री कालिया डिप्टी सुपरिटेन्डट जेल ने ऐसा करने से मना किया तो भी नहीं रुके। इस पर श्री कालिया ने लाठी चार्ज का आदेश दे दिया। बहुत कॉंग्रेसी घायल हुए और बहुतों को कैद तन्हाई की कोठरियों में भेजा गया। बाबूजी को भी इस घटना के बाद एक सप्ताह के लिए कैद तन्हाई की सजा मिली।

इस जेल में पंजाब, दिल्ली और सिन्ध प्रदेश के हजारों छोटे-बड़े कॉंग्रेसी बन्द थे। मियां इफ़्तीखारुदीन, सदर, पंजाब कॉंग्रेस, सरदार बचन सिंह, चौधरी साहिब राम, चौधरी देवी लाल, श्री बलवन्त राय तायल, श्री महावीर प्रसाद जैन, श्री माधोराम- पानीपत, लाला हरस्वरुप आदि बहुत से साथी वहां बन्द थे। जेल में रहते बाबूजी को श्री माधोराम और श्री हरस्वरुप की बिमारी पर सेवा करने का जो अवसर मिला उसे बाबूजी ने व्यर्थ नहीं जाने दिया।

गुजरात जेल की तरह बाबूजी को मुलतान जेल में भी स्वाध्याय का बहुत शौक था। भगवान तिलक की लिखी प्रसिद्ध पुस्तक ''गीता रहस्य'' के स्वाध्याय का भी बाबूजी को सौभाग्य मिला। और भी बहुत सी अच्छी पुस्तकें इन्होंने पढ़ी। बाबूजी ने बाद में बताया कि दोनो जेलों के स्वाध्याय से उनके निजी विकास में बहुत लाभ हुआ और गाँधी जी के सिद्धान्तों में उनकी आस्था और ज्यादा बढ़ी।

बाबूजी ने यह भी बताया कि उन दिनों अँग्रेज सरकार ने दमन का चक्कर इतने ज़ोरों से चलाया कि जनता भयभीत हो गई। अफ़वाहें फ़ैलायी गयी कि जेल में बन्द सभी कॉंग्रेसियों को और गाँधी टोपी पहनने वालों को मरवा दिया जायेगा। यह अफ़वाह गांव में जब हमारी माँ व उनकी पत्नी ने सुनी तो वह बेहद चिन्तित हुई। उनका स्वास्थ्य दिन प्रति दिन गिरने लगा और वह बहुत कमजोर हो गई। उनके मायकों वालों ने प्रोग्राम बनाया कि वातावरण बदलने हेतु उन्हे तीर्थ यात्रा को ले जाएं ताकि उनका स्वास्थय ठीक हो सके। वे गांव से दिल्ली आये और दिल्ली स्टेशन पर बाबूजी की पत्नी ने कई लोगो को गांधी टोपी पहने देखा तो तब उनकी तसल्ली हुई कि गांधी टोपी पहनने वाले भी जीवित हैं। और फ़िर इससे उनकी चिन्ता काफ़ी हद तक दूर हुई। क्योंकि तब उन्हें विश्वास हो गया कि कभी ना कभी तो उनके पति भी जीवित घर वापिस आयेंगे।

एक साल बीतने के बाद अँग्रेज सरकार एक-आध नजरबन्द को रिहा करने लगी। **13** सितम्बर **1943** को अचानक बाबूजी को भी रिहा कर दिया। वे मुलतान से सीधा अपने ससुराल पंहुचे और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ करनाल वापिस आ गये। और श्री शान्ति स्वरुप के घर से सामान उठाकर एक किराए के मकान में रहने लगे। वँहा

July20-version-Downloaded from modichandjain.org

इन्होंने वकालत नये सिरे से शुरु कर दी। उन दिनों कॉंग्रेस संस्था को कानून विरुद्ध संस्था घोषित किया हुआ था, इसलिए कॉंग्रेस के नाम पर कोई गतिविधि नहीं हो सकती थी। कुछ दिनों पश्चात् जेल से रिहा किए हुए कॉंग्रेसियों की एक कनवैन्शन लुधियाना में की गई जिसमें बाबूजी भी शामिल हुए। वहां निर्णय लिया गया कि कांग्रेस वर्कर असेम्बली नाम की संस्था बनाई जाए और उसके अन्तर्गत स्वतन्त्रता आन्दोलन का कार्य किया जाए, तत्पश्चात करनाल जिले के कार्यकर्ताओं ने भी कॉंग्रेस वर्करज़ असेम्बली संस्था गठित की और बाबूजी सर्वसम्मति से इसके जरनल सैक्रेटरी बने। आपने गम्भीरता से दुबारा स्वतन्त्रता आन्दोलन का कार्य शुरु कर दिया। सन् **1945** में दूसरा युद्ध समाप्त हुआ। कुछ दिनों बाद कांग्रेस के अन्य नेता भी रिहा कर दिए गये और देश में नया जीवन और जागृति नज़र आने लगी।

इंग्लैंड में चुनाव हुए तो वहां की जागरुक जनता ने चर्चिल पार्टी को इसलिए हरा दिया कि वह युद्ध का पहलवान है, शांति का नहीं। लेबर पार्टी सफ़ल हुई। और उसके नेता श्री एटली ने पद स्वीकार के पश्चात् भारतीय नेताओं से बातचीत शुरु कर दी। और खुले शब्दों में संकेत किया कि वे भारत को आजादी देना चाहते थे।

युद्ध के मध्य में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस गुप्त रूप से भारत से अफ़गानिस्तान के रास्ते जर्मनी पँहुचे और वहां से जापान गए और आज़ाद हिन्द फ़ौज़ की बुनियाद डाली। परन्तु बर्मा में यह फ़ौज़ भी हार गयी और कुछ आज़ाद हिन्द फ़ौज़ी मारे गये और बहुत से कैद कर लिए गए। युद्ध समाप्ति पर अंग्रेज सरकार ने उन पर मुकद्दमा चलाना चाहा तो जवाहर लाल नेहरू ने रिहा होने पर उनके हक में आवाज उठाई। शाहनवाज, ढिल्लो आदि आज़ाद हिन्द फ़ौज़ के बड़े अफसरों पर लाल किले पर मुकदमा चला, जिसमें भोला भाई देसाई आदि प्रसिद्ध वकीलों के साथ श्री जवाहर लाल ने भी काला कोट पहन कर इन फ़ौजियों को बचाने की कोशिश की।

लेबर सरकार आने पर इन फ़ौजियों को भी सजा नहीं मिली और बाकी फ़ौजियों को भी रिहा कर दिया गया। सन् १९४६ में इन्हीं दिनों असेम्बलियों के चुनाव कराने की घोषणा की गई। पंजाब असेम्बली के लिए करनाल जिले में तीन जनरल देहाती सीट और एक मुस्लिम सीट थी। इन तीनों सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार सफ़ल हुए और मुस्लिम सीट पर मुस्लिम लीग का प्रत्याक्षी सफ़ल हुआ। उस चुनाव में करनाल जिले की सफ़लता के लिए बाबूजी के इलावा उनके तीन साथी, श्री माधोराम, श्री ईश्वर चन्द, डा० आर कृष्णा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आख़िर **15** अगस्त को देश आज़ाद हुआ और मुस्लिम लीग और जिन्नाह की ज़िद के कारण देश का विभाजन हुआ और सांप्रदायिक जहर फैलने के कारण दोनों तरफ़ बड़े पैमाने पर हिन्दु मुस्लिम फ़साद हुए। लाखों हिन्दु और सिक्ख पाकिस्तान से भारत आए और लाखों मुसलमान भारत से पाकिस्तान चले गए और बहुत से अपनी जान बीच रास्ते में गवां बैठे, परन्तु गांधी जी ने कलकता और बंगाल को अपनी तपस्या, विश्वास और अध्यात्मिक शक्ति के कारण बचा लिया। इस पर लार्ड माउन्टबेटन ने गांधी जी की इन शब्दों में प्रशंसा की कि,

'जो काम भारत की पश्चिमी सीमा पर पचास हजार फ़ौज ना कर सकी वो अकेले गांधी जी ने पूर्वी सीमा पर कर के दिखा दिया'।

पश्चिमी पाकिस्तान से आये हिन्दु और सिक्ख भाई काफ़ी मात्रा में करनाल जिले में भी आये जिनकी सेवा में बाबूजी ने रात दिन एक कर दिया। रिफ़्यूजी कैम्पों में सामान रजाई आदि वितरण करने में करनाल में इस अच्छे ढंग से काम किया गया कि शायद ही ऐसा कहीं ओर हुआ हो। इसका श्रेय भी श्री जैन, श्री मनीराम और उनके साथियों को जाता है।

30 जनवरी सन् **1948** को गांधी जी की हत्या कर दी गई। हमारी माताजी बतलाती थी कि बाबुजी को उन्होने कभी अपने **3** बच्चों की मौत पर भी ऐसे रोते बिलख़ते नहीं देखा जैसे गाँधी जी की मौत पर! उनके दाह संस्कार के

July20-version-Downloaded from modcharandjain.org

समय देहली में एकत्र हुई बेशुमार भीड़ में हमारे माँ और बाबूजी भी शामिल हुए। इसके पश्चात् गांधी जी की याद में गाँधी नेशनल मैमोरियल फंड इकट्ठा करने की घोषणा की गई। इस फंड को इकट्ठा करने के लिए करनाल जिले में जो कमेटी बनी, बाबूजी उसके महामंत्री चुने गए। उनके मार्ग दर्शन में करनाल जिला कमेटी ने इतनी लग्न से काम किया कि लगभग छः लाख रुपया इकट्ठा करके करनाल जिला सारे भारत वर्ष के देहाती जिलों में प्रथम रहा। उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री डा० गोपीचन्द भार्गव ने भी करनाल जिला कमेटी की बहुत प्रशंसा की।

इस मध्य मेरा जन्म करनाल आने के बाद **1946** में हुआ। **4** अक्टूबर **1948** को मेरे छोटे भाई राजेन्द्र का जन्म हुआ। उस के जन्म से पहिले हमारी माँ को स्वप्न में कई बार ऐसा लगा जैसे कि कोई महान आत्मा जन्म लेने को आतुर है। और इसमें कोई सन्देह नहीं कि वह सचमुच एक महान आत्मा ही थी। परन्तु वह **18** साल तक ही अपनी खुशबु बिखेर कर हमें सदा के लिये गमगीन छोड़ गया।

<u>मुजारों के लिए संघर्ष</u>

सन् **1949** में करनाल जिले में एक और समस्या आ गई। इस जिले में काफ़ी बड़े मुस्लिम जमींदार थे जिनकी भूमि को बहुत सालों से मुजारे **(landless farmer-tenants)** काश्त करके अपने परिवारों का पालन-पोषण करते थे। ऐसी भूमि को पाकिस्तान से आये छोटे जमीदारों को देना शुरु कर दिया और उन्हें उजाड़ा जाने लगा। काँग्रेसी होते हुए बाबूजी ने इसके विरुद्ध आन्दोलन किया। उन दिनों आप एक साप्ताहिक समाचार पत्र ''बलिदान'' निकालते थे। बलिदान में इस संघर्ष की व्यापक चर्चा होती थी। बाबूजी और पुराने मुजारों के अन्य समर्थक चाहते थे कि उनकी काश्त भूमि पाकिस्तान से आये बड़े जमींदारों को न दी जाए ताकि वो मुजारों को बेदखल ना कर सके। आप को यहां तक कहना पड़ा कि सरकार का काम जहां उजड़े हुए शरणार्थियों को बसाना है, वहां बसे हुए गरीब लोगों को उजाड़ना नहीं है। अन्त में बाबूजी इस संघर्ष में सफ़ल हुए और जिन पुराने मुजारों से उनकी काश्त भूमि छीन ली गई थी, उन्हें पांच-पांच स्टैन्डर्ड एकड़ तक वापिस कर दी गई। इस संघर्ष की सफ़लता पर बाबूजी को बड़ी सज़ा मिलने लगी थी कि वे बाल-बाल बच गए। इस घटना का वर्णन निम्न प्रकार है।

सन् **1952** में आज़ादी के बाद भारत में पहला चुनाव हुआ। बाबूजी को समालखा से काँग्रेस टिकट मिला। उनके विरोधी श्री धर्म सिंह राठी बहुत मज़बूत उम्मीदवार थे। उनके पिता चौधरी दूलीचन्द जी एक बार पंजाब के विधायक भी रह चुके थे। श्री राठी ने चुनाव से पहले यहां तक घमण्ड में आ कर कहा था कि,

'जैन की तो औकात ही क्या है, उसके मुकाबले में श्री जवाहरलाल नेहरु को भी खड़ा किया जाए तो वह भी नहीं जीत सकेगा'।

वास्तव में बहुत सख्त मुकाबला हुआ। बाबूजी के वोटर प्रायः गरीब हरिजन और पिछड़ी जातियों के लोग थे। उन्हें पहली बार मताधिकार मिला था। उन्हें डर था कि उन्हें वोट नहीं डालने दिया जाएगा। आपने अपने समर्थकों को इस प्रकार संगठित किया कि आप चुनाव जीत गए। यद्यपि जीत केवल सोलह- सत्रह सौ वोटों से ही हुई। जीत के बाद आप कई बार अपने हल्के में गए और उन लोगों को विश्वास दिलाया जो कि चुनाव में उनके विरोधी थे कि 'बाबूजी उनके भी प्रतिनिधि है और यदि किसी उचित कार्य के लिए उनको बाबूजी की जरुरत पड़े, तो वह अवश्य उनकी मदद करेंगे'। शुरु २ में विरोधी मतदाताओं को इस पर विश्वास ही नहीं आता था। परन्तु धीरे-धीरे जब उन्होंने देखा कि बाबूजी ग़लत तौर पर अपने समर्थकों की भी सहायता नहीं करते, ना विरोधियों के खिलाफ़ मुकदमें बनवाते हैं और न ही पुलिस में दख़ल देते हैं, और ना ही अदालतों में सिफ़ारिश करते हैं, तो उन्हें उनके नेक दिली पर विश्वास होने लगा।

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

एक बार यहाँ तक हुआ कि ज्यादा वर्षा और बाढ़ के कारण जौरासी गांव की गलियों में बहुत पानी खड़ा हो गया था। जिस ओर पानी निकालने का रास्ता था, वहां बाबूजी के समर्थकों के घर थे और उपर की तरफ विरोधियों के मकान थे। नीचे की तरफ पानी जाने से रोक दिया गया। और दोनों पक्षों में ज़बरदस्त लड़ाई ही नहीं वरण खून ख़राबे का अंदेशा हो गया। बाबूजी के विरोधी और श्री राठी के समर्थक पहले श्री राठी के पास गये, परन्तु उन्होंने मदद देने में विवशता ज़ाहिर की। फिर वे बाबूजी के पास करनाल आये। बाबूजी तुरन्त उनके साथ हो लिए, गाँव में पँहुचे, तो स्थिति ठीक उसी तरह पाई गई जैसे उन लोगों ने बताई थी। बाबूजी ने अपने समर्थकों से अपील की, कि वो पानी को अपनी तरफ निकलने दें। वैसे यह भी कहा कि पिछवा हवा चलेगी और जल्दी ही पानी सूखने लगेगा। समर्थकों ने बाबूजी की बात मान ली और इस प्रकार बाबूजी की तुरन्त निर्णय लेने की शक्ति तथा सूझ-बूझ की वजह से गाँव का फ़साद टल गया।

बाबूजी की यह विशेषता रही कि अपने दौरे में आप गाँव में प्रायः किसी के घर नहीं रुकते थे। अपितु गाँव में सभी वर्गो में सौहार्द बढ़ाने के लिये चौपाल में ही गाँव के लोगों को इकट्ठा करते थे और गांव के लोगो की कठिनाईयां सुनते थे। इसका प्रभाव भी जनता पर बहुत अच्छा पड़ा और धीरे-धीरे आपके समालखा क्षेत्र में भूस्वामियों, हरिजनों और गरीबों में तनाव कम होता चला गया। गाँव में आपसी भाईचारे एवं सौहार्द को बढ़ाने में एक संवेदनशील राजनेता का कितना योगदान हो सकता है, यह बाबूजी ने सिद्ध कर के दिखा दिया था।

चुनाव प्रचार के दौरान एक महत्वपूर्ण घटना का वर्णन है। खोजगीपुर गांव के बाल्मिक हरिजनों ने बाबूजी को श्री चतर सिंह पारचा बाल्मिकि लीडर के द्वारा चाय के लिए दावत दी। बाबूजी पक्के गांधीवादी थे, छुआछूत में उनकी कभी आस्था नहीं रही। उनके घर उनके हरिजन कार्यकर्ता उन्ही के बर्तनो में खाना खाते थे, इसलिए बाबूजी ने खुशी से बाल्मिकियों का निमन्त्रण स्वीकार कर लिया। यह समाचार ज्योंहि उनकी बिरादरी के कार्यकर्ताओं को मिला तो घबराकर बाबूजी को कहने लगे कि 'आपने निमन्त्रण स्वीकार करके बहुत गलती की है। सब ब्राह्मण, जाट, महाजन और बाकी उंची बिरादरी वाले आपके विरुद्ध हो जायेंगे, और आप चुनाव हार जायेंगे'। बाबूजी ने तुरन्त जवाब दिया कि 'यदि वे बाल्मिकियों के घर चाय पीने से चुनाव हारते हैं तो उन्हें यह हार भी खुशी से स्वीकार है।' उनकी चुनौती के बावजूद बाबूजी ने बाल्मिकियों के यहां चाय पी। उँची बिरादरी के भी बहुत से कार्यकर्ताओं ने वहां चाय पीकर पहली बार छुआछूत की ज़ालिम रस्म को तोड़ा। यह कोई वोट की राजनीति नहीं थी। यह सब मानवों को मन, वचन और कर्म से बराबर मानने और व्यव्हार में दिखाने की बात थी। और राजनेता यदि कोई आदर्श स्थापित करें तो जनता में भी उसका न केवल अच्छा प्रभाव पड़ता है, वरण बहुत से लोग उन का अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। शायद, यही कारण रहा होगा कि गाँव मुहावटी, संभालखा (पानीपत), हरियाणा के **87** वर्षीय स्वर्गीय राम स्वरूप-प्रजापत्त ने अपनी **28- 10-2010** की मुलाकात में निम्न उद्गाार प्रकट कियेः

'इस एरिया पर बाबुजी के इतने उपकार हैं कि यँहा के दरख्त भी उनका नाम सुन कर प्रसन्न चित्त हो जाते हैं।'

बहुत जल्दी बाबूजी की गिनती ऐसे प्रभावशाली सदस्यों में होने लगी जो सदैव गरीबों और बेरोजगारों के लिये तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाते थे। आपके सुझाव पर विधानसभा की 'आश्वासन समिति' का गठन हुआ। स्पीकर ने बाबूजी को उसका चेयरमैन बनाया। मुजारों की रक्षा के लिये असेम्बली के विधेयक पेश होकर 'सिलेक्ट कमेटी' को सौंपे जाते। 'सिलेक्ट कमेटी' में बाबूजी के अतिरिक्त मास्टर तेगराम, श्री बन्ता सिंह और कई मुजारों के समर्थक विधायक भी लिये गये थे। और इस 'सिलेक्ट कमेटी' के प्रधान माल विभाग के मन्त्री सरदार प्रताप सिंह कैरों बने। उनकी प्रधानता में तीन बार लगातार अम्बाला छावनी के सर्किट हाउस में बैठक हुई। किन्तु बैठक में निर्णय प्रायः इस प्रकार होने लगे कि जिससे यह लगने लगा कि जैसे मुजारों के अधिकारों को खत्म किया जा रहा हो। 'सिलेक्ट कमेटी' के एक सदस्य वित्त मन्त्री सरदार उज्जलसिंह भी थे, जो स्वयं एक बहुत बड़े जमींदार थे। आपकी उनसे खुली झड़प भी

July20-version-Downloaded from mouchandjain.org

हुई जब अपको यह कहना पड़ा कि 'आजादी बड़े जमींदारों और अमीरों के लिए नहीं, परन्तु गरीबों को उनके पांव पर खड़ा करने के लिये ली है'। 'सिलेक्ट कमेटी' ने विधेयक को मुजारों के विरूद्ध और भी कठोर कर दिया। अतः मुजारों के समर्थक विधायकों को 'सिलेक्ट कमेटी' से बड़ी नाराज़गी थी। सरदार कैरों बड़े होशियार थे। उन्होंने यह नाराजगी भांप ली और वे बाबूजी से कहने लगे कि 'हम देख रहे है कि आपकी और अन्य मुजारों समर्थक विधायकों की तसल्ली नहीं हुई। पर आप कमेटी की रिपोर्ट के खिलाफ़ कोई आलोचना लिखित रुप में ना दें। क्योंकि जब विधान सभा में इस विधेयक पर विचार होगा तो मुजारों को और सुविधाएं देने का प्रयास किया जायेगा'। आपने इसकी चर्चा मास्टर तेग सिंह और श्री गुरबन्ता सिंह आदि से की, तो श्री गुरबन्ता सिंह ने सरदार कैरो की बात का समर्थन किया। परन्तु बाबूजी 'सिलेक्ट कमेटी' के निर्णयों को मुजारों के अधिकारों के विरुद्ध समझते थे। उनके अन्दर की आवाज़ उन से बार-बार कह रही थी कि उन्हें अवश्य ही उन निर्णयों पर आलोचना लिखनी चाहिये। इसी लिये आधे घण्टे के अन्दर बाबूजी ने उन धाराओं के विरुद्ध अपनी आलोचना तैय्यार कर ली, जिनसे मुजारों के अधिकारों का हनन हुआ था। जब अपनी इस आलोचना को आपने अपने साथियों को पढ़ कर सुनाया तो वे सब भी बहुत खुश हुए। और श्री गुरबन्ता सिंह ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिये। इस घटना ने स्पष्ट कर दिया कि व्यक्तिगत वफ़ादारी की तुलना में गरीब व मुजारा वर्ग के हितों का महत्व आपकी नज़रों में अधिक रहा है। इससे आपके व्यक्तिगत हितों को कितनी हानि पहुँच सकती है, इसकी आपने कभी परवाह नहीं की।

सन् **1954** में कॉंग्रेस को समाजवादी संस्था बनाने का निर्णय लिया गया। इस पर बाबूजी को अत्यन्त प्रसन्नता हुई क्योंकि भविष्य में कॉंग्रेस का लक्ष्य भारत में वर्गहीन समाज बनाने का हो गया। इसी लक्ष्य के लिये आप तन-मन-धन से जुट गये।

इस बीच **1950** और **1952** में बाबूजी की कुमारी सुशील एवं योगेष नामक दो सन्तानें और हुई।

<u>विनोबा भावे के भूदान आन्दोलन में योगदान</u>

देश तो स्वतन्त्र हो गया परन्तु गान्धी जी इस स्वराज अर्थात राजनैतिक आज़ादी से कतई खुश नहीं थे। क्योंकि इस स्वराज से उनकी कोई भी उम्मीद और सपना पूर्ण नहीं हुआ था। उनका खादी का सपना, ग्रामोद्योग का सपना, शान्ति और अहिंसा स्थापित करने का सपना, सर्वोदय का सपना, कुछ भी तो पूर्ण नहीं हुआ था। खादी व ग्रामोद्योग और अहिंसा- दोनो ही जैसे उनके जीवन के मूल मन्त्र हो गये थे। अर्थात खादी - ग्रामोद्योग आदि से आर्थिक क्षेत्र में लोग स्वयंशोषण से मुक्त हों और अहिंसा व सत्याग्रह से राजकीय क्षेत्र में लोग स्वयंशासन से मुक्त हो कर स्वराज्य प्राप्त करें। इसी लिये अन्तिम बार जेल से आने के बाद वे समग्र चिन्तन की बात बार बार दोहराने लगे थे। अर्थात कुल रचनात्मक कार्यक्रमों को अेक दूसरे में ताने बाने की तरह ओत-प्रोत हो जाना चाहिये, तभी शक्ति खड़ी होगी। परन्तु कितने अफ़सोस, दुःख व पीड़ा की बात है कि बापू अपने इस सपने को साकार करने को जीवित ही नहीं बचे। सो गान्धीजी के सबसे बड़े व सच्चे भक्त विनोबा भावे का लगा कि उनका उत्तरदायित्व बहुत बढ़ गया। उन्होने महसूस किया कि बापू के जाने के बाद चारों तरफ़ निराशा बहुत बढ़ गई है। ख़ासकर रचनात्मक कार्यकर्ताओं में। वल्लभ भाई पटेल तक ने अपने एक भाषण में यह कह दिया कि, 'लोगों ने गान्धी की बात नहीं मानी तो हमारी कौन सुनेगा? और अब देश में वार पोटेन्शियल - युद्ध गुंजाइश वाले उद्योगों का विकास करना चाहिये'।

परन्तु विनोबा को लगा कि वार पोटेन्शियल के बजाए शान्ति पोटेन्शियल की अधिक आवश्यकता है। इस लिये वे शान्ति पोटेन्शियल वाले कामों के बारे गहराई से सोचने लगे। और अन्ततः उन्हे प्रकाश मिला **18** अप्रैल **1951** को, जब वे तेलंगाना के नॉलगौंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में भूमिहीन लोगों की समस्या निवारण हेतु गये। भूमिहीन लोगों में बड़े भूमिपतियों के विरूद्ध बहुत आकोश था। विनोबा ने उस गांव के लोगों की एक सभा बुला कर उस समस्या का शान्तिपूर्ण समाधान सुझाने को कहा। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उस सभा में से वहाँ के बहुत ही सम्पन व प्रभाव वाले

July20-version-Downloaded from mobhandjain.org

समाजसेवी सज्जन श्री वैदरे रामचन्द्र रैडी ने अपनी १०० एकड़ भूमि उन भूमिहीनों के लिये दान करने का फैंसला सुना दिया। बस, इसी को विनोबा ने भगवान की और से एक दैविक इशारा समझ भूदान आन्दोलन का कार्य आरम्भ कर दिया। और पहिले भूमिदानी का नाम 'वैदरे रामचन्द्र रैडी भूदान' हो गया। इस भूदान आन्दोलन में मुख्य ध्येय था सम्पन्न भूमिपतियों को स्वेच्छा से अपनी भूमि का कुछ प्रतिश्त भूमि भमिहीन लोगों को देने के लिये प्रेरित करना। यह दान में मिली भूमि कोई बेच नहीं सकता था ना ही किसी और के नाम करा सकता था। यह भूदान का कार्य भारतीय जन मानस को छू गया। और हमारे बाबू जी भी इस आन्दोलन से अत्यन्त प्रभावित हुए और इस में पूर्णतयः लग गये। करनाल जिले के भूदान आन्दोलन के संयोजक भी बन गये।

पंजाब के कैबिनेट मन्त्री

सन् **1952** के चुनाव के बाद श्री भीमसेन सच्चर पंजाब के मुख्यमन्त्री बने। हरियाणा से पंडित श्रीराम शर्मा और चौधरी लहरी सिंह मन्त्री लिये गये थे। पंजाबी क्षेत्र से सरदार कैरो के अतिरिक्त सरदार गुरबचन सिंह बाजवा और श्री सुन्दरसिंह को मन्त्रीमण्डल में शामिल किया गया था। यह सभी मन्त्री उस समय की पंजाब विधानसभा में सबसे वरिष्ठ विधायक समझे गये। इस कारण किसी भी विधायक में यह तनाव नहीं पैदा हुआ कि उसे मन्त्रीमण्डल में क्यों नहीं लिया गया। आबादी की दृष्टि से भी हरियाणा का प्रतिनिधित्व काफ़ी था, परन्तु एक साल के बाद पंडित श्रीराम शर्मा का श्री सच्चर और सरदार कैरो से झगड़ा हो गया और श्री शर्मा को मन्त्रीमण्डल से हटा दिया गया। परन्तु उनके बदले किसी और हरियाणा निवासी को मन्त्रीमन्डल में नहीं लिया गया। इस कारण धीरे धीरे हरियाणा के सभी सदस्य श्री सच्चर के विरुद्ध होने लगे और सन् **1955** में दरबार साहिब में पुलिस के दाख़िल होने पर जब श्री सच्चर के विरुद्ध प्रोटैस्ट होने लगे तो हरियाणा के विधायक भी उस प्रोटैस्ट में शामिल हो गये। दिल्ली में प्रधानमन्त्री व अन्य नेताओं से श्री सच्चर के विरुद्ध डैप्युटेशन द्वारा मिले कि 'सन् **1957** के चुनाव में श्री सच्चर के मार्गदर्शन में पंजाब में कांग्रेस की जीत नहीं हो सकती। अतः उन्हें बदला जाये।' ये विधायक इस प्रकार सरदार कैरो को नया नेता प्रोजैक्ट कर रहे थे। श्री सच्चर का यह सोचना उचित ही था कि उनका विरोध श्री कैरों के इशारे पर हो रहा था। बाबुजी के अनुसार श्री सच्चर बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति थे। कांग्रेस के उच्च नेताओं ने तो रुष्ट विधायकों की बात स्वीकार नही की, परन्तु कुछ दिनों के बाद श्री सच्चर ने स्वयं ही त्यागपत्र दे दिया और उनकी जगह सरदार कैरों मुख्यमन्त्री बने। शुरु में उन्होंने हरियाणा से केवल प्रोफ़ेसर शेरसिंह को मन्त्री लिया। एक पंजाब से और दूसरा हरियाणा से मन्त्री और लिये जाने थे। हरियाणा से दूसरा मन्त्री कौन लिया जाये इस पर हरियाणा के विधायकों में काफ़ी मतभेद था। मुकाबला वास्तव में कप्तान रंजीत सिंह और बाबूजी में था। कप्तान साहब के समर्थकों ने बहुत होशियारी की और करनाल जिले के विधायकों को अलग-अलग भड़काया कि वे मुख्यमन्त्री से मिलें और उन्हें कहें कि बाबूजी के अतिरिक्त किसी को भी मन्त्री बना दिया जाये। सरदार कैरो यह सब कुछ देखते और सुनते गये। उन दिनों आचार्य विनोबा भावे का भूदान आन्दोलन बहुत जोरों पर था। आप अपना अधिक समय उसी के प्रचार में लगा रहे थे। मन्त्री बनने के लिए न ही कभी किसी विधायक से मिले और न ही कभी मुख्यमन्त्री की खुशामद की। परन्तु सरदार कैरों को अपने सहयोगियों के गुण दोषों की भली भाँति पहचान थी। कैरों साहब ने बाबूजी के काम करने की लग्न और समझ से प्रभावित हो कर हरियाणा के एक वरिष्ठ सहयोगी से पूछा कि 'यह हीरा आपने अब तक कँहा छिपा रखा था?' शायद इसी लिये सन् **1956** का बजट अधिवेशन आरम्भ हुआ तो गर्वनर के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव को पेश करने के लिए बाबूजी को कहा गया। बाबूजी के उस समय के भाषण को प्रायः सभी सदस्यों ने सराहा। सरदार कैरो ने भी उसकी प्रति असेम्बली कार्यालय से मंगाई। स्वयं पढ़ कर अत्यन्त प्रभावित हुए और फ़िर उसे अपने मित्रों को भी दिखाया। अन्त में बाबूजी को ही मन्त्री बनाने का निर्णय कर लिया और इसकी सूचना आपको गुड़गांव जिले में दी गई, जहां आप भूदान आन्दोलन का प्रचार करने के लिये गये हुए थे।

बाबूजी को लोक निर्माण, भवन तथा सड़क व आबकारी एवं कराधान विभाग दिये गये। अपने संभालखा हल्के के अतिरिक्त सोनीपत व रोहतक जिले के बहुत से गाँवो की कच्ची सड़कों को जी टी रोड या मुख्य सड़कों से जोड़ने का

July20-Version-Downloaded from modichandjain.org

कार्य बड़े पैमाने पर करवा कर ग्रामीण लोगों के जीवन में सकून लाने का काम किया। गोहाना से दिल्ली तक पक्की सड़क बनवाई जिसे लोग अभी तक याद करते है। **1957** में जब आप पहली बार अपने गाँव गये, आपने ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'आप को किसी काम के लिये चन्डीगढ़ आ कर पैसा व समय ख़राब करने की जरूरत नहीं है, आप मुझे केवल एक पोस्टकार्ड डाल दें, मैं आपका काम घर बैठे ही कर दूंगा।'

अपने परिवार या सगे सम्बन्धियों के लिये कभी कुछ नहीं किया। थोड़े समय में ही की आपकी गिनती बड़े योग्य और ईमानदार मन्त्रियों में होने लगी। सरदार कैरों भी आप पर गर्व करने लगे। जब सरदार कैरों को किसी ने बताया कि **1957** के चुनावों में आप लोकसभा में जाना चाहते हैं तो श्री कैरों ने बाबूजी को बुलाया और इनके स्वीकार करने पर कि वे वास्तव में ही लोकसभा में जाना चाहते है, श्री कैरों ने उनसे आग्रह किया कि 'बतौर मन्त्री सभी लोग उनकी प्रशंसा कर रहे है इसलिए उन्हें विधानसभा में ही रहना होगा।'

विधानसभा का सदस्य होते हुए बाबूजी को इस बात के और भी प्रमाण मिले कि पंजाबी क्षेत्र की तुलना में हरियाणा क्षेत्र के साथ सौतेली मां जैसा व्यव्हार होता रहा है, इसलिए **1954-55** में भारत सरकार ने जब राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त किया तो आपने अन्य हरियाणा विधायकों के साथ आयोग के सामने नये प्रदेश 'विशाल हरियाणा' की बात की। आयोग ने यह मांग तो स्वीकार नहीं की परन्तु सन् **1956** में जहां पैप्सु प्रदेश को पंजाब के साथ मिलाया गया वंही पंजाबी और हिन्दी क्षेत्र भी भाषा के आधार पर बनाये गये।

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

<u>कुछ पारिवारिक घटनाएं</u>

इस मन्त्री काल के दौरान पारिवारिक घटनाएं कोई ख़ास याद नहीं पड़ती, परन्तु कुछ घटनाएं स्मृति पटल पर दर्पण की भाँति स्पष्ट अंकित हैं। मैं तब सातवी कक्षा में पढ़ती थी। मेरे से छोटे ३ और बहिन-भाई थे। सबसे छोटा भाई योगेष अभी चार वर्ष का ही था। किन्तु हम बाकी के तीनों को हमारा माली एक ही साईकल पर स्कूल छोड और वापिस ले कर आता था। उसे बाबूजी अलग से जेब से मेहनताना देते थे। और मेरे से बड़े भाई बहनें अपनी साईकल पर या पैदल ही कालेज़ जाते थे। बाज़ार जाना हो तो रिक्शा कर के जाते थे। बाबूजी ने कभी भी हमें स्कूल या घर के लिये अपनी सरकारी गाड़ी नहीं दी।

दूसरा यह कि हम सब के पास दो वर्दी के जोड़े स्कूल के लिये और दो ही जोड़े घर के लिये तथा दो जोड़े बाहर आने-जाने के लिये होते थे। हमारी माताजी और स्वयं पिताजी के पास भी घर और बाहर के लिये **4-5** साड़ी/जोड़े ही होते थे। जबकि और मन्त्रियों के बच्चे सब उन की गाड़ियों में ही स्कूल जाते-आते तथा कपड़ों की भी उनके पास बहुतायत थी। हमें यह भी याद है कि हमारे स्कूल के सहपाठी और कभी २ अध्यापक और हमारे सम्बन्धी भी हमारा मज़ाक करते थे। सुशील बहिन ने एक बार बाबूजी को एक पूरी बाजू का स्वैटर बिन कर दिया। उससे तो ले लिया लेकिन अपना पिछले वर्ष वाला स्वैटर किसी रिक्शा वाले को दे दिया। जब कारण पूछा तो कहने लगे कि, 'मैं अपने पास चार जोड़ों से अधिक कपड़े व दो से अधिक स्वैटर नहीं रखता। मैंने अस्तेय व्रत का पालन करना है। सच में उन्हाने कभी भी चार व दो जोड़े से अधिक कपड़े या स्वैटर नहीं रखे। यह थी उनकी सादगी और गान्धीजी के व्रतों में निष्ठा !

जब हम अपने बाबूजी को यह सब बताते तो वे हमें प्यार से समझाते कि वे सरकारी गाड़ी को अपने व्यक्तिगत कार्य के लिये प्रयोग नही करना चाहते और उनकी तनख़ा इतनी नहीं है कि वे घर के लिये एक अलग़ गाड़ी ख़रीदें। और माताजी को समझाते कि मन्त्री को तंखा मिलती है, लोगों के हम सेवक हैं, उनकी किसी भी प्रकार की भेंट पर हमारा कोई अधिकार नहीं है।

तीसरी बात भेंट से ही सम्बन्धित हैं। वे कभी भी किसी से भी कोई भेंट या उपहार ना तो स्वयं लेते थे, और ना ही घर में किसी को लेने देते थे। एक बार अपना काम बनने के बाद एक ठेकेदार दोपहर को घर में फ़लों व मिठाई के टोकरे ले आया। हम बच्चे बड़े कौतुहल से देख़ रहे थे। माँ ने पूछा कि 'क्या और क्यों लाए हो।' जवाब में उसने कहा, 'बच्चों के लिये फ़ल व मिठाई लाया हूँ।' माँ बोली, 'नहीं, इन को वापिस ले जाओ। मैं नहीं रख़ सकती। बाबूजी का सख़्त आदेश है।' इतने में बाबूजी आ गये और पूछने लगे कि 'क्या मामला है, तुम्हारा काम हो तो गया, फ़िर क्या करने आए हो?' वह शायद डर के मारे हकलाते हुए बोला, 'कुछ नहीं जी, बच्चों के लिये फ़ल और मिठाई लाया था।' यह सुन कर बाबूजी भड़क उठे, कहने लगे, 'क्यों, आज़ से पहिले क्या मेरे बच्चे नहीं थे? पहले तो कभी नहीं लाए, जाओ, वापिस ले जाओ, वरना -----'। वह एक दम चला गया।

चौथा, उन दिनों टेलिफ़ोन भी हम सब के लिये बिल्कुल नई चीज़ थी। इससे पहिले कभी देखा ही नहीं था। परन्तु उस का प्रयोग भी हमारे लिये मना था। बड़ा आश्चर्य होता था कि उस में से आवाज़ कैसे आती-जाती है। इस लिये प्रयोग के लिये आरम्भ में कभी २ टेलिफ़ोन सुनने के लिये दे देते थे।

ख़ैर! तब हमें उनकी बड़ी २ बातें समझ नहीं आती थी, बस यही लगता था कि जब और मन्त्रियों के परिवार वाले सब कुछ प्रयोग कर सकते हैं और बढ़िया कपड़े पहिन सकते हैं, फ़िर हम क्यों नहीं? किन्तु अब समझ में आता है कि सत्य के मार्ग पर चल कर बिल्कुल ईमानदारी के सिद्धान्त पर जीवन बिताने वाले नेता अपने परिवार की जरूरतें तो पूर्ण कर सकते हैं परन्तु उनको ऐश्वर्य भरा जीवन प्रदान नहीं कर सकते। और बाबूजी ने कभी हमारी जरूरतें पूर्ण करने में कोताही बरती हो, ऐसा याद नहीं पड़ता।

सार रूप से उन्होने राजनैतिक, सामाजिक, व्यवसायिक एवं व्यक्तिगत तौर पर अत्यन्त सक्रिय व व्यस्त रहने पर भी अपने पारिवारिक कर्तव्य बखूबी निभाए। इतना अधिक व्यस्त रहने के कारण चाहे वे हमें अपना वांछित समय ना दे पाए हों, परन्तु अपना क्वालिटी समय सदा ही दिया। हमारी माता जी विवाह के समय अनपढ़ थी तो कुछ भी समय निकाल कर उन्हे हिन्दी पढ़ाई व आगे भी हिन्दी की उच्च परीक्षाएं पास करने के लिये काफ़ी प्रोत्साहन किया और उन के लिये ट्यूशन भी लगवाई। इसी लिये माताजी रत्न, भूषण पास करके प्रभाकर की परीक्षा **(equivalent to 10th, 12th and BA levels, respectively)** भी दे पाई। हम बच्चों में संस्कार डालने के लिये वे हमें प्रातः चार से पाँच बजे ही उठा कर सैर करने ले जाते और अच्छी अच्छी बातें बतलाया करते थे। घर में वे हमसे बातें करने व हमारी पढ़ाई या किसी और बात से सम्बन्धित समस्याओं को सुनने, हल करने व नयी २ बातें बतलाने के लिये रात का भोजन इक्कट्ठा खाते। यही हमारा उनके साथ क्वालिटी समय होता था। हाँ, उन्हें कभी भी समाचार सुनते हुए बच्चों का उपद्रव या शोर करना बिल्कुल नहीं भाता था।

हमारे छोटे होते हुए वे माँ का कितना हाथ बँटाते थे, नहीं पता, परन्तु अपना व्यक्तिगत कार्य वे स्वयं करते, जैसे अपना बिस्तर ठीक करना, कपड़े लगाना, अपनी पुस्तकें, फ़ाइलें आदि तरतीब से रख़ना व अपनी दवाइयों का स्वयं ध्यान रखते थे। उनके कमरे में हमें कभी कोई चीज़ भी अस्त-व्यस्त दिखलाई नहीं पड़ती थी। इसी लिये हमें भी अपनी चीजें तरतीब से रख़नी पड़ती थी।

उन्हे फ़िज़ूल खर्ची बिल्कुल पसन्द नहीं थी, किन्तु काम की बातों के लिये उन्होने कभी भी रोका नही। माँ कभी रोकती भी तो बाबूजी माँ को मना लेते। उन्होने कभी भी बेटों व बेटियों में सुविधा देने की दृष्टि से कोई भेदभाव नहीं किया। उस ज़माने में जब बेटियों को बहुत कम पढ़ाते थे, अत्यन्त सामाजिक दबाव के बावजूद हमें उच्चतर शिक्षा दिलाई। उन्हे सादा भोजन पसन्द था, और उन्हें हमारी बड़ी बहिन सावित्री के हाथ का खाना बेहद पसन्द था क्योंकि वह बहुत स्वादिष्ट सब्जियाँ और नरम नरम रोटी बनाती थी। बड़े भाई जगदीश को एम. ए के बाद कानून की पढ़ाई कराई, ताकि वह बाबूजी के साथ हाथ बंटा सके ओर उनकी छत्रछाया में एक अच्छा वकील भी बन सके। परन्तु जब भाई ने

July20-version-Downloaded from modernindian.org

वकालत करने से इंकार कर दिया तो उस पर कतई भी ज़ोर नहीं डाला। अपितु उनके पसन्द अनुसार उनका बिज़नेस स्थापित करने में पूरी सहायता की। छोटे भाई योगेष को पिलानी पढ़ाना चाहते थे, परन्तु उसका वहां मन ना लगने पर उसे वहां पढ़ने के लिये कोई ज़बरदस्ती नहीं की। अशोक भाई बचपन में बहुत शरारतें व बदमाश्यिां करता तो उसे बार बार प्यार से समझाते और ना मानता तो कहते कि 'यह मेरे धैर्य की परीक्षा ले रहा है।' सरोज बहिन को बाबूजी से कुछ मीठी शिकायत है कि उन्हे कम पढ़ाया, परन्तु बाबूजी विवश थे, आज़ादी के लिये जेल जाने के कारण उसे बार बार गाँव में नानी के पास छोड़ना पड़ा, और जब वापिस लाने लगे तो उसका गाँव में इतना दिल लग गया था कि वह आई नहीं। हाँ, उनका गिला भी कुछ हद तक ठीक है कि बाबूजी को उसे ज़बरदस्ती वापिस गाँव से ले आना चाहिये था।

<u>सांसद के रूप में</u>

सन् **1957** के चुनाव में शुरु में बाबूजी को असेम्बली के लिये टिकट दिया गया परन्तु कैथल लोक सभा क्षेत्र से राजकुमारी अमृतकौर को टिकट दिया गया। परन्तु वह पंजाब क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहती थी, क्योंकि हरियाणा क्षेत्र में उन्होंने कभी काम नहीं किया था। इस लिये उन्होने जब कैथल से चुनाव लड़ने से इन्कार कर दिया तो आवेदन पत्र देने से केवल एक ही दिन पूर्व बाबूजी को कहा गया कि वे कैथल जाकर अपना नामांकन पत्र भरें। आपको इस पर बहुत प्रसन्नता हुई। उस समय के कैथल लोक सभा क्षेत्र में कैथल तहसील, जीन्द जिले के नरवाना और सफ़ीदों को छोड़कर जीन्द तहसील और करनाल का निसंग विधान सभा क्षेत्र शामिल थे। बाबू जी को एक लाख ६ हज़ार से भी अधिक मत मिले और वे **50000** से अधिक वोटों से विजयी हुए और यह जानकर बहुत लोगों को आश्चर्य होगा कि उस चुनाव में बाबू जी का कुल खर्चा चार हजार रुपये से भी कम था।

दूसरी लोकसभा के पंचवर्षीय समय में बाबू जी ने बहुत लग्न से कार्य किया और थोड़े समय में ही उनकी गिनती प्रभावशाली सदस्यों में होने लगी। लोकसभा के भिन्न-भिन्न सत्रों में बाबू जी के प्रश्न और भाषण इस बात का प्रमाण हैं। इन दिनों जितनी महत्वपूर्ण लोकसभा सदस्यों की समितियां बनाई गई जैसे **Taxation Advisory Committee, Cooperative Farming Advisory Committee, Small Industries Board** आादि सभी का इन्हे सदस्य बनाया गया। वित्त मन्त्री श्री मोरारजी भाई के साथ **Finance Standing Committee** के संयोजक भी बाबू जी ही रहे। इसके पश्चात् **1959-60** में श्री बलवन्त राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट पर जब राजस्थान और आंध्र में पंचायती राज की संस्थायें कायम हो गयी और काम करने लगी तो प्रधानमन्त्री नेहरू ने पाँच कॉंग्रेसी सदस्यों की एक कमेटी बनाई ताकि जिन राज्यों में पंचायत समितियां आदि संस्थायें काम करने लगी थी उनके काम को देख सके और जो कमी कमेटी के नोटिस में आयें, उसकी रिपोर्ट की जाये। बाबू जी को इस महत्वपूर्ण कमेटी का भी सदस्य बनाया गया। इस समिति ने पन्द्रह दिन राजस्थान, पन्द्रह दिन आन्ध्र प्रदेश और पन्द्रह दिन गुजरात का दौरा किया और अपनी रिपोर्ट प्रधानमन्त्री को दी।

एम पी होते हुए भी बाबूजी भूदान के कार्य में पूर्ण दिलचस्पी लेते रहे। उन दिनों विनोबा जी भूदान के लिये सारे देश की पद यात्रा करते हुए जिला करनाल में **24** मार्च **1960** को दाख़िल हुए तो बाबूजी ने उन के साथ पद यात्रा कीं। वह **26** मार्च को कुरूक्षेत्र में पधारे और रात को ठहरे। एक बहुत बड़ी सभा बिड़ला मंदिर में आयाजित की। बाबूजी की विनोबाजी के साथ पद यात्रा करते हुए फ़ोटो भी दी है।

एम पी होते हुए बाबूजी की एक अन्तिम सन्तान अक्टूबर **1958** में हुई जिसका नाम अशोक रखा गया।

<u>पंजाब मुख्यमन्त्री का विरोध</u>

July20-version Downloaded from moolchandjain.org

इन दिनों की एक और घटना वर्णन के योग्य है। जिला जीन्द के दो गाँवों की सारी भूमि मुख्यमन्त्री सरदार कैरो के पुत्र सुरिन्दर सिंह को अपनी पत्नी की ओर से मिली। इन दोनों गांवों में से एक गुलकनी गाँव था। वहां की भूमि बाप दादा के समय से मुजारे काश्त करते आ रहे थे। पुलिस की सहायता से उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया गया तो मुजारे दिल्ली में बाबूजी से मिले। उनकी शिकायत की जांच के लिये आप उस गाँव में गये और शिकायत सही पाने पर प्रधानमन्त्री और मुख्यमन्त्री को लिखा और उसके पश्चात् भी उनकी मदद करते रहे। कभी इस बात की परवाह नहीं की कि उनकी दिलचस्पी से मुख्यमन्त्री के पुत्र को हानि पहुँचेगी तो मुख्यमन्त्री नाराज हो जायेंगे। बाबूजी की सहायता के कारण दोनों गाँवों के मुजारे उजड़ने से बच गये। इसके बावजूद सन् **1962** के चुनाव में सरदार कैरो ने आपसे आग्रह किया कि आप लोकसभा की बजाय पंजाब असेम्बली में आना स्वीकार करें। बाबूजी ने इस सम्बन्ध में केन्द्रीय नेता बाबू जगजीवन राम और मोरारजी भाई से सलाह की। दोनों ने कहा कि यदि सरदार कैरो उन्हें मन्त्री बनाना चाहते है तो वह अवश्य ही विधान सभा असेम्बली का चुनाव लड़े।

सरदार कैरो का मोरारजी भाई के पास काफ़ी आना जाना था। इसलिए बाबूजी ने उनसे कहा कि 'वे सरदार कैरों से स्वयं ही इस बात का पता करें कि उनकी मंशा क्या है?' मोरारजी भाई ने सरदार कैरो से पूछ कर बाबूजी को बताया कि वास्तव में वह उन्हें मन्त्री लेना चाहेंगे, इसलिए उन्हें सरदार कैरो का सुझाव मान लेना चाहिए। इस विश्वास पर बाबूजी ने असेम्बली के लिए कॉंग्रेसी टिकट लिया। शुरु में उनको बुटाना क्षेत्र का टिकट मिला और श्री मुलतान सिंह को घरौन्डा क्षेत्र से, परन्तु श्री मुलतान सिंह को घरौन्डा क्षेत्र से जीतने की आशा नहीं थी। वह बुटाना क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते थे। बुटाना क्षेत्र दोनों के लिए घरौन्डा क्षेत्र की अपेक्षा आसान था। फिर भी बाबूजी ने क्षेत्र बदलना स्वीकार कर लिया क्योंकि वे सदा दूसरों का भला पहले सोचते थे। श्री मुलतान सिंह बुटाना क्षेत्र से सफ़ल हुए परन्तु बाबूजी घरौन्डा क्षेत्र से चुनाव जीत नहीं पाए। हार का मुख्य कारण यह पाया गया कि घरौन्डा क्षेत्र में श्री मुलतान सिंह का अपना गांव कुटेल और उसकी बिरादरी के गांव बस्ताड़ा, कैमला और गुढ़ा चुनाव के दिन उनके विरूद्ध चले गये हालांकि यह सभी गाँव उनके समर्थक थे। परन्तु आखिरी दिनों में बाबूजी के विरूद्ध यह प्रचार किया गया कि अगर वह जीत गए तो उन्हें मन्त्री बनाया जाएगा और यदि उनको हरा दिया जाए तो श्री मुलतान सिंह का मन्त्री बनना पक्का हो जायेगा। बाबूजी ने इस हार को खुशी-खुशी यह समझकर स्वीकार किया:

'उनसे परम-पिता परमात्मा वह काम लेना चाहते हैं जो उनकी जीत होने पर नहीं लिया जा सकता था'। स्वाभाविक था कि हम सब परिवार वाले बाबूजी की इस अप्रत्याशित हार से असहज़ थे और इस को अभी हज़्म नहीं कर पाए थे कि बाबूजी बड़े सहज रूप से आए और कहने लगे कि चौधरण (बाबूजी हमारी माताजी को कभी २ चौधरण कह कर सम्बोधन किया करते थे), 'हलुआ खिलाओ'। आश्चर्य से माताजी ने पूछा, 'हार कर कौनसा तीर मार कर आए हो जो हलुआ मांग रहे हो?' बाबूजी का जवाब आज भी मेरे ज़हन में यूँ का यूँ बसा है,

'मैंने पूरी मेहनत और शिद्दत से कर्म किया। फ़ल देना ईश्वर के हाथ में था। अगर पूरी मेहनत के बाद भी मुझे ईश्वर ने हराया है तो इस का मतलब है कि ईश्वर मुझसे वह काम लेना चाहता है जो मैं जीत कर नहीं कर सकता था।'

हम पिताजी की गीता के कर्मयोग में इस हद तक आस्था देख़ कर और 'परमात्मा के प्रत्येक कार्य में भलाई है', में अटल विश्वास को देख कर आज भी नतमस्तक हो जाते हैं। यही विश्वास और यही आस्था मैंने भी बाबूजी से ग्रहण करने का प्रयास किया और इसी के कारण जिन्दगी के हर उतार-चढ़ाव में सम भाव से जी पाई।

निम्न दो घटनाओं से यह बात सिद्ध भी हो गई कि यदि बाबूजी **1962** के चुनाव में सफ़ल हो जाते तो इन घटनाओं में जो महत्वपूर्ण भाग उन्होने लिया, वे नहीं ले पाते।

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

पहली घटना सन् **1962** में हुई जब श्री रामप्यारा विधायक को, जो कि कॉंग्रेसी होते हुए श्री कैरों के कड़े आलोचक थे, को दिन दिहाड़े बाजार में पिटवाया गया। हमला करने वाले साधारण से व्यक्ति थे जिनकी कामरेड रामप्यारा से कोई दुश्मनी नहीं हो सकती थी। उन्हें तो गिरफ़्तार कर लिया गया, परन्तु इस हमले की साज़िश में स्वयं मुख्यमन्त्री और करनाल निवासी उनके दो समर्थकों का खुले आम नाम लिया जाता था। उनके विरुद्ध पुलिस ने जब कोई भी कार्यवाही नहीं की तो बाबूजी ने विरोध स्वरूप 'जिला करनाल नागरिक परिषद' के प्रधान/चेयरमैन के पद से त्यागपत्र दे दिया। ध्यान रहे कि चीन के हमले के बाद सारे देश में 'नागरिक परिषदें' बनाई गयी थी। हर प्रदेश और हर जिले में भी ये परिषदें बनाई गई। ऐसी जिला नागरिक परिषदों का प्रधान जिले के किसी प्रसिद्ध नागरिक को ही बनाया जाता था और जिला मैजिस्ट्रेट इस परिषद का सैक्रेटरी होता था। बाबूजी ने ऐसे महत्वपूर्ण पद की भी परवाह नहीं की और श्री रामप्यारा के पक्ष में जुल्म और अन्याय के विरुद्ध खुले तौर पर खड़े हो गए।

यही नहीं, जब पुलिस ने हमला करने वाले के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की तो श्री रामप्यारा ने उनके विरुद्ध न्यायालय में निवेदन पत्र दिया और सुप्रीम कोर्ट में आवेदन पत्र देकर अपने मुकदमें को मेरठ जिला मैजिस्ट्रेट की अदालत में बदली करवा लिया। वहाँ बाबूजी को उच्च न्यायालय में गवाही देने के लिए बुलाया गया। एक घण्टे तक वे उन हालात पर प्रकाश डालते रहे, जिनकी वजह से बाबूजी को विश्वास था कि उक्त हमले में मुख्यमन्त्री और उनके दो समर्थकों करनाल निवासी का हाथ है। उसके पश्चात् जिला मैजिस्ट्रेट एक घण्टे तक स्वयं बाबूजी से सवाल करते रहे और अन्त में उनकी गवाही से न्यायालय की तसल्ली हुई और सरदार कैरों को उनके करनाल निवासी दो समर्थकों सहित बतौर दोषी बुला लिया गया। हालांकि सरदार कैरों उस समय पंजाब के मुख्यमन्त्री थे। यह **1964** जून-जुलाई की बात है। मई **1964** में श्री नेहरु के स्वर्गवास होने के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधान मन्त्री बन चुके थे। श्री रामप्यारा पर हमले के पश्चात् बाबूजी ने प्रण किया था कि जब तक कैरों और उसके साथियों को बतौर दोषीगण न्यायालय में बुलाया नहीं जाता, वे टोपी नहीं पहनेंगे और नंगे सिर रहेंगे। इसी ग्रंथ में श्री लाल बहादुर के साथ बाबूजी का नंगे सिर का चित्र है। श्री बलवन्त राय तायल साथ खड़े शास्त्री जी को कह रहे है कि 'बाबूजी को कहें कि वे गांधी टोपी पहनना शुरु करें।'

बाबूजी स्वयं तो चुनाव हार गये, किन्तु कैथल हलके, जंहा से बाबूजी ने पूर्व में चुनाव लड़ा था, वंहा से अब भारत रत्न एवं पूर्व प्रधान मन्त्री श्री गुलजारी लाल नन्दा ने सांसद का चुनाव लड़ा था। बाबूजी का पूर्व हल्का होने की वजह से बाबूजी ने नन्दा जी की भी दिलो जान से मदद की, और दोनों के लक्ष्य, स्वभाव व जीवनचर्या **(life style)** एक जैसा होने से भी नन्दाजी व बाबूजी में गहन दोस्ती हो गई। और बाद में जब नन्दा जी **1968** में कुरूक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष बने तो बाबूजी भी उसके सदस्य बने और उसके बाद तो जब भी नन्दाजी कुरूक्षेत्र जाते, करनाल बाबूजी के निवास पर जरूर रूक कर जाते या बाबूजी को साथ ले जाते।

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

<u>हरियाणा बनवाने में बाबू जी का योगदान</u>

दूसरी घटना सन् **1965** के अन्त की है। सन्त फ़तेह सिंह ने पंजाबी सूबे के लिये जान की बाजी लगा दी। उधर हरियाणा के अधिकतर विधायक और प्रसिद्ध व्यक्ति पंजाब में हरियाणा के साथ सौतेली मां जैसा व्यव्हार देखते हुए हरियाणा का अलग प्रान्त चाहते थे। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये 'हरियाणा ऑल पार्टी एक्शन कमेटी' के नाम से अलग संगठन बनाया गया और इसके प्रधान श्री देवीलाल और महामन्त्री बाबूजी को बनाए गये। इस समिति के अन्य प्रसिद्ध सदस्यों में राव वीरेन्द्र सिंह, पंडित श्रीराम शर्मा, श्री प्रताप सिंह दौलता, चौधरी श्रीचन्द आदि भी थे।

इस समिति के अनुसार, पँजाब के कॉंग्रेसी सिक्खों की यह साजिश थी कि 'हरियाणा सहित सारे पंजाब में पंजाबी भाषा को स्कूलों में प्रथम कक्षा से ही लागु कर दिया जाये तो सारा पंजाब अपने आप ही भाषा के आधार पर पंजाबी सूबा बन जायेगा। दूसरी गहरी साजिश यह थी कि हरियाणा क्षेत्र का कुछ भाग दिल्ली में मिला दिया जाये, कुछ

राजस्थान में और पंजाबी क्षेत्र से मिलते हुए, सिरसा, अम्बाला, जीन्द, हिसार और करनाल के काफ़ी गाँव पंजाब में मिला दिये जाएं।' हरियाणा की जनता को इन दोनों खतरों से बचाना था।

उक्त संघर्ष समिति ने इस बात पर गम्भीरता से विचार किया और समिति इस निष्कर्ष पर पँहुची कि यदि सन्त फतेह सिंह ने यह स्वीकार कर लिया कि हरियाणा के स्कूलों में भी प्रथम कक्षा से ही पंजाबी पढ़ाए जाने की बात सरकार मान ले तो, वो हरियाणा सहित पंजाब को पंजाबी सूबा मान लेंगे, यह सुझाव हरियाणा क्षेत्र के हितों के विरूद्ध ही नहीं अपितु ख़तरनाक और हनिकारक भी था। इसलिए संघर्ष समिति ने निर्णय लिया कि समिति की ओर से एक शिष्ट मण्डल सन्त फतेह सिंह को मिले। फलस्वरुप एक शिष्ट मण्डल अकाल तख्त पर बैठे सन्त फतेह सिंह को मिला। इस शिष्ट मण्डल में बाबूजी भी शामिल थे, शिष्ट मण्डल की बात सुनकर सन्त फतेह सिंह ने विश्वास दिलाया कि 'हरियाणा क्षेत्र की मातृभाषा पंजाबी नहीं है, इसलिए वहां के स्कूलों के हर विद्यार्थी को पहली कक्षा से पंजाबी पढ़ाना उनके साथ घोर अन्याय होगा। ऐसे अन्याय पूर्ण सुझाव को वे कभी नहीं मानेंगे।' बाबूजी को इस बात से बहुत खुशी हुई कि सन्त फ़तेह सिंह हरियाणा के लोगों की भावनाओं के साथ कोई ख़ेल नहीं ख़ेलना चाहते, अपितु उनकी समस्या को मानवीय पहलु से हल करने के प्रयास में हैं। बाबुजी तो पहिले से ही मानवीय पहलु पर ज़ोर देते रहे हैं।

सन्त फतेह सिंह के उक्त आश्वासन के बाद यह संघर्ष समिति अलग हरियाणा प्रदेश बनाने के लिए लगातार कार्य करती रही। श्री भगवत दयाल, जो कि उस समय पंजाब कॉंग्रेस के प्रधान थे, ने कॉंग्रेसियों को धमकी दी थी कि 'कोई भी कॉंग्रेसी यदि हरियाणा बनाने का प्रचार करेगा तो उसे कॉंग्रेस से निकाल दिया जायेगा।' बाबुजी ने तुरन्त इसका जवाब दिया कि 'जब केन्द्रीय कॉंग्रेसी नेताओं ने पंजाबी सूबा बनाने के सवाल को नये सिरे से खोल दिया है, तो हर कॉंग्रेसी को अपनी राय देने और प्रचार करने का अधिकार है।' इस पर अलग हरियाणा प्रदेश बनाने की इच्छा रखने वाले कॉंग्रेसी भी संघर्ष समिति को सहयोग देने लगे और विरोध करने वाले बहुत कम कॉंग्रेसी रह गये। इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने सरदार हुकुम सिंह की प्रधानता में एक कमेटी का गठन इसलिए किया कि वह भारत सरकार को रिपोर्ट करे कि समस्या का समाधान क्या है। आप भी इस कमेटी के समक्ष गवाह के रुप में पेश हुए और अलग हरियाणा प्रदेश की मांग की। इस मांग के विरोध में केवल श्री भगवत दयाल और श्री बंसी लाल ही पेश हुए, सरदार हुकुम सिंह कमेटी ने पंजाब प्रदेश के दो नये प्रदेश पंजाब और हरियाणा बनाने की सिफ़ारिश की। भारत सरकार ने इस सिफ़ारिश को स्वीकार किया और **1** नवम्बर **1966** को अलग-अलग दो प्रदेश पंजाब और हरियाणा बने। हरियाणा के पहले मुख्यमन्त्री श्री भगवत् दयाल बने। श्री भगवत दयाल का उसी प्रदेश का मुख्यमन्त्री बनना जिसका वह भरपूर विरोध कर रहे थे, हरियाणा की जनता के साथ एक क्रूर उपहास और प्रकृति की एक विडंबना ही कहा जायेगा।

कॉंग्रेस को अलविदा

सन् **1967** का चुनाव फ़रवरी में हुआ। चुनाव में श्री भगवत दयाल ने बाबुजी को कॉंग्रेस के टिकट दिये जाने का भी कड़ा विरोध किया। परन्तु श्री मोरार जी भाई के हस्तक्षेप से बाबुजी को कांग्रेसी टिकट तो मिल गया, मगर श्री भगवत दयाल ने उन्हें हराने का पूरा प्रयास किया लेकिन वे घरौण्डे हल्के से चुनाव जीत गए। कॉंग्रेस पार्टी के विधायकों का बहुमत था। सरकार उन्हीं की ही बननी थी। नेता चुनने के लिए दिल्ली में हुई सभा में श्री भगवत दयाल के नाम का सुझाव दिया तो बाबुजी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि 'ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी का नेता स्वीकार कैसे किया जा सकता है जिसने कई कॉंग्रेसी उम्मीदवारों को हराया हो?' उन्होंने श्री भगवत दयाल को चुनौती भी दी कि 'हिम्मत हो तो वह इन्कार करे कि उसने मुझे हराने का प्रयास नहीं किया।' श्री भगवत दयाल ने इस आरोप का कोई जवाब नहीं दिया। फिर भी वे पार्टी के नेता चुने गये और मुख्यमन्त्री बने। उन्होंने अपना मन्त्री मण्डल बनाते समय प्रायः सभी सीनियर साथियों को नज़र अन्दाज किया। राव विरेन्द्र सिंह, चौधरी श्रीचन्द, श्री चांदराम, प्रताप सिंह दौलता और बाबूजी जैसे सीनियर विधायकों में से किसी को भी मन्त्री मण्डल में ना लिया गया। फ़लस्वरुप उनके खिलाफ़ तुरन्त ही विद्रोह

July20-version-Downloaded from modichandjain.org

की खिचड़ी पकने लगी। हरियाणा विधान सभा की बैठक १३ मार्च **1967** के लिए बुलाई गई, इससे पूर्व रात्रि को श्री देवीलाल और साथी चण्डीगढ़ में बाबूजी को मिले और उनसे श्री शर्मा के विरुद्ध शामिल होने का सुझाव दिया। बाबुजी ने साफ़ इन्कार कर दिया कि वे कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे तो उन्हें बड़ी हैरानी हुई। बातों-बातों में जब यह चर्चा हुई कि मुख्यमन्त्री ने पार्टी को विश्वास में लिए बिना स्पीकर के पद के लिये श्री दया किशन को अपना लिया है और कल वे उसका नाम स्पीकर के लिये पेश करेंगे तो बाबुजी ने सुझाव दिया कि यदि वे किसी और कांग्रेसी विधायक को स्पीकर के पद के लिये खड़ा करें, तो वे उसे अपना मत जरुर दे देंगे। इस सुझाव पर श्री देवी लाल और सांघी को बड़ी खुशी हुई और निर्णय हुआ कि चौधरी श्री चन्द राव विरेन्द्र सिंह काँग्रेसी सदस्य का नाम पेश करेंगे और बाबुजी उसका समर्थन करेंगे। अगले दिन विधानसभा में श्री दया किशन के मुकाबले राव विरेन्द्र सिंह का नाम लिया गया तो बाबुजी ने उनका समर्थन किया और राव विरेन्द्र सिंह जीत गए। सारे देश में शोर मच गया कि विधानसभा में श्री भगवत दयाल का बहुमत नहीं रहा। उन्हें त्याग पत्र देना चाहिए। इसके पश्चात् बाबुजी और अन्य विरोधी काँग्रेसियों पर डोरे डाले गए मगर श्री शर्मा की सब तरकीबें असफ़ल हुई। आखिर गृहमंत्री श्री चौहान ने रुष्ट विधायकों को दिल्ली बुलाया और बाबुजी को सम्बोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस संकट को निपटाने में वे उनकी सहायता करें। बाबुजी ने जवाब दिया कि 'संकट का समाधान एक ही है कि श्री भगवत दयाल से त्यागपत्र लिया जाए और किसी अन्य काँग्रेसी विधायक को मुख्यमन्त्री बनाया जाए।' इस सुझाव को श्री चौहान ने स्वीकार नहीं किया। इसलिए जब वे रुष्ट विधायकों में से किसी को ना मना सके तो शर्मा को त्यागपत्र देना पड़ा। यहाँ यह बतलाना आवश्यक है कि बाबूजी मन, वचन और कर्म से काँग्रेसी थे। वे काँग्रेस छोड़ने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। परन्तु परिस्थितियाँ कुछ ऐसी बन रही थी कि काँग्रेस छोड़ने पर विवश होना पड़ रहा था। उनके मन में बहुत उथल-पुथल चल रही थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि **20** मार्च **1967** को वे स्वर्गीय चौ० देवी लाल और श्री सांघी के साथ करनाल हमारे भतीजे के पहले जन्म दिवस पर दिल्ली से चण्डीगढ़ जाते हुए आए तो बड़े परेशान और मानसिक उलझन में थे। उन्होने अपनी उलझन मुझसे सांझा की। उन्होने बताया कि,

'श्री चौहान और श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने काँग्रेस की तत्काल समस्या समाधान के लिये मुझे वित्त मन्त्री बनाने की पेशकश की है। परन्तु भगवत दयाल के साथ काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि ना केवल वह हरियाणा बनाने के विरूद्ध था अपितु उसने सीनीयर काँग्रेसियों को हराने का भी प्रयास किया। परन्तु काँग्रेस छोड़ने को कतई मन नहीं मानता। पर छोड़ने के सिवाय कोई मार्ग भी नहीं सूझ रहा।' मैंने कहा, 'आप भगवत दयाल को छोड़ रहे हैं, काँग्रेस के सिद्धान्तों के प्रति अपनी निष्ठा तो नहीं छोड़ रहे ना? वे तो जीवन भर आपके साथ रहेंगे।'

मेरी इस ज़िरह से जैसे उनकी सारी दुविधा दूर हो गई, और उन्होने मन ही मन काँग्रेस छोड़ने का निर्णय कर लिया। उनका मन दर्पण की तरह निर्मल था। अपने निर्णय से उन्होने सबको अवगत करा दिया। अतः विरोधी विधायकों ने संयुक्त विधायक दल बनाकर गर्वनर और स्पीकर को सूचना दे दी। विधायक दल का नेता राव विरेन्द्र सिंह को चुना गया। गर्वनर ने उसे ही सरकार का भार सम्भालने के लिए कहा और राव विरेन्द्र सिंह मुख्यमन्त्री बनें। इस मन्त्री मण्डल में भी बाबुजी को वित्त मन्त्री बनाया गया।

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

<u>व्यक्तिगत चोट- बेटे राजेन्द्र का अक्समात निधन</u>

अभी मन्त्री बने दो माह ही बीते थे कि हमारा होनहार, संवेदनशील, राष्ट्रभक्त और सेवा-परायण भाई एवं बाबूजी का मंझला सुपुत्र राजेन्द्र, जो पंजाब इंजीनीयरिंग कॉलेज, चण्डीगढ़ में मैकेनिकल ब्रांच के द्वितीय वर्ष का छात्र था, उसी कॉलेज के स्विमिंग पूल में तैराकी का अभ्यास करते हुए अक्समात पाँव फ़िसलने से हृदय गति रूकने के कारण समस्त परिवार को रोते-बिलख़ते छोड़ पंच तत्व में विलीन हो गया। बाबूजी चन्दीगढ़ से मुश्किल से एक घन्टा पहिले ही निकल कर अभी अम्बाला ही पँहुचे थे कि उन्हें यह हृदय विदारक समाचार मिला। मैं उन दिनों करनाल के आर्य गर्लज़ हाई स्कूल में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी, इस लिये पिताजी पहिले मुझे करनाल लेने आए और फ़िर हम इक्कठे

चन्डीगढ़ गये। यह हम सब के लिये ऐसी व्यक्तिगत चोट और नुकसान था जिस की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। जब चंडीगढ़ में बाबूजी वित्त मन्त्री थे, तो राजेन्द्र का आई आई टी, दिल्ली में प्रवेश की सूचना आई तो उसने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि अभी सुशील बहिन का प्रवेश भी हॉस्टल में कराना पड़ेगा। बाबूजी दोनो का हॉस्टल का खर्चा देने में असमर्थ होंगे, इस लिये मैं यंही के पंजाब इंजीनीयरिंग कॉलेज़ में पढ़ लेता हूँ। यह भी अच्छा कॉलेज है। बाबूजी की दुविधा उस ने स्वयं ही दूर कर दी। उस में इतनी पॉज़िटिविटि थी कि कुछ भी बुरा होने पर एक दम यह कहने में देर नहीं लगती कि इसमें अवश्य कोई भलाई है। आज़ यदि वह हमारे बीच होता तो हमसब को पुर्ण विश्वास है कि वह अवश्य ही कोई महान कार्य कर रहा होता।

खैर! इस मन्त्री मण्डल ने अच्छे ढंग से सरकार का काम चलाना शुरु किया ही था कि दो-ढाई महीने में ही श्री देवीलाल का राव विरेन्द्र सिंह से मनमुटाव हो गया। श्री देवीलाल ने निजी तौर पर यह निर्णय कर लिया कि वे राव विरेन्द्र सिंह को मुख्यमन्त्री नहीं रहने देंगे। इस निर्णय के अन्तर्गत वे गृहमन्त्री श्री चौहान से मिले। दोनों के बीच यह समझौता हुआ कि यदि श्री देवीलाल संयुक्त विधायक दल से **12** विधायकों को तोड़ कर कॉंग्रेस पार्टी में शामिल करा देंगे, तो उन्हें मुख्यमन्त्री बना दिया जाएगा। श्री चांद राम, श्री मनीराम गोदारा मन्त्रियों व अन्य तीन चार संयुक्त विधायक दल के सदस्यों ने तुरन्त त्याग पत्र दे दिए। इस पर हरियाणा में नई हलचल पैदा हो गई। श्री देवीलाल ने बाबुजी को भी कहा कि वे भी वित्त मन्त्री का पद छोड़कर संयुक्त विधायक दल से त्यागपत्र दे दें। देवीलाल जी का यह सुझाव सुन कर बाबुजी दंग रह गये। क्योंकि उनके विरोधी भी अच्छी तरह से यह बात जानते थे कि वे कभी भी बिना किसी ठोस वजह के किसी व्यक्ति या पार्टी का साथ छोड़ने वालों में से नहीं थे। उन्होने अचरज से श्री देवीलाल से पूछा कि,

'अभी थोड़े से ही दिन पहिले हम सब ने मिलकर राव विरेन्द्र सिंह को मुख्यमन्त्री बनाया था। उससे क्या गलती हुई है, जिसके कारण उसे हटाये जाने की साजिश की जाए?'

श्री देवीलाल उस समय तो चुप रहे। परन्तु श्री देवीलाल को मुख्यमन्त्री बनने का लालच था। वे संयुक्त विधायक दल के विधायकों को तोड़ने में जुट गए। राव विरेन्द्र सिंह भी उनसे कम ना थे। मुख्यमन्त्री की हैसियत से उन्होंने भी विधायकों को तोड़ना शुरु कर दिया और इस प्रकार हरियाणा में आयाराम गयाराम का दौर शुरु हो गया। आखिर उस समय के गर्वनर श्री चक्रवर्ती ने भारत सरकार को रिपोर्ट कर दी कि, 'हरियाणा में विधायकों की खरीद फरोख्त के कारण न केवल प्रजातान्त्रिक मूल्यों को आघात पहुंचा है बल्कि प्रशासन भी अस्थिर हो गया है। विधानसभा को भंग कर दिया जाए'। इस रिपोर्ट पर भारत सरकार ने हरियाणा विधानसभा को भंग कर दिया। श्री देवीलाल का मुख्यमन्त्री बनने का सपना बिखर कर रह गया।

हरियाणा विधानसभा के मध्यवर्ती चुनाव सन् **1968** में कराये गये। बाबुजी ने विशाल हरियाणा पार्टी से चुनाव लड़ा। चुनाव से पहले श्री हरद्वारी लाल ने विशाल हरियाणा पार्टी छोड़कर स्वतन्त्र पार्टी बना ली। वे बाबुजी के पास भी आए ओर कहा कि स्वतन्त्र पार्टी के नेताओं ने उनके हर उम्मीदवार को एक-एक लाख रुपए की सहायता देने का वचन दिया है। और उन्होने आग्रह किया कि बाबुजी भी उस पार्टी के चुनाव निशान से लड़े। पर उन्होने उन्हे साफ़ जवाब दे दिया कि, 'स्वतन्त्र पार्टी बड़े पूंजीपतियों और जमींदारों का संगठन है। वे स्वतन्त्र पार्टी में किसी हालत में शामिल नहीं होंगे'। स्वतन्त्र पार्टी सभी सीटों से हार गई। किन्तु विशाल हरियाणा पार्टी को भी बहुत कम सीटें मिली। बाबूजी भी चुनाव हार गए। कॉंग्रेस पार्टी बहुमत में आ गई। श्री नन्दा और श्री भगवत दयाल की मदद से श्री बंसीलाल उसके नेता बने। श्री देवीलाल ने भी बंसी लाल का समर्थन किया। यहां इस बात की चर्चा करना जरुरी है कि केन्द्रीय कॉंग्रेसी नेताओं ने उन कॉंग्रेसियों को टिकट नहीं दिया जो दल बदल करने कराने के अपराधी थे। और इस बात का भी ध्यान कराना ज़रूरी है कि चौ० बन्सी लाल भी हरियाणा बनने के सख्त विरूद्ध थे। समझ में नहीं आता कि केन्द्रीय सरकार क्यों उन्ही हस्तियों को मुख्यमन्त्री बनाने पर तुली थी जो हरियाणा बनाने के ही विरोध में थे?

July20-version Downloaded from mooldhandjain.org

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की कार्यकारिणि समिति **(Executive Committee)** के मनोनीत सदस्यः

1967 में बाबूजी को हरियाणा सरकार ने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय की सबसे उच्च समिति अर्थात कार्यकारिणि समिति का सदस्य मनोनीत कर दिया। बाबूजी ने उस समिति की प्रत्येक मीटिंग में अपना रचनात्मक योगदान देना आरम्भ कर दिया। **1971** में मुख्य मन्त्री चौ० बन्सी लाल ने श्री एस के दत्ता को कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय का वाइस चान्सलर **(Vice Chancellor)** नियुक्त कर दिया। वे टीचिंग पृष्टभूमि से ना होने के कारण यूनिवर्स्टी के टीचिंग व नॉन-टीचिंग स्टाफ़ से निरंकुश **(autocratic)** एवं अहंकारी रवैये से पेश आने लगे। **1972** में विश्वविद्यालय के नॉन-टीचिंग स्टाफ़ के सहायक रजिस्ट्रार कैप्टन आर एस राणा को ससपैन्ड कर दिया और टीचिंग स्टाफ़ से संस्कृत विभाग के रीडर डा० बलदेव सिंह को डिसमिस कर दिया। डा० बलदेव सिंह को डिसमिस करने का कारण यह था कि उन्होने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के अध्यापक यूनियन **(KUTA)** के अध्यक्ष होने के नाते मुख्य मन्त्री के कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के टीचरस के विरुद्ध कहे गए एक असभ्य कथन के विरोध में प्रोटेस्ट कर हड़ताल का आवाहन किया, जो दत्ता साहिब को रास नहीं आया। जब यह केस कार्यकारिणि समिति की मीटिंग में पास होने के लिये पढ़ा गया, तो बाबूजी ने उन दोनो केस की फ़ाइलों को विस्तार से पढ़ने का अनुरोध किया। किन्तु निरंकुश एवं अहंकारी दत्ता साहिब, जिन के सामने सभी वरिष्ट प्रोफ़ैसर व रजिस्ट्रार तक शीष झुकाए खड़े रहते थे, बाबूजी के उस अनुरोध को कैसे स्वीकारते? उन्होने बहुत ही असभ्य **(derogatory)** भाषा का प्रयोग करते हुए बाबूजी के अनुरोध को ठुकरा दिया। बाबूजी ने रजिस्ट्रार व सभी सदस्यों की ओर देखा ओर नोट किया कि किसी ने भी उस निरंकुश एवं अहंकारी दत्ता की असभ्य भाषा का विरोध नहीं किया या फ़िर विरोध करने की हिम्मत नहीं हुई। किन्तु बाबूजी चुप नहीं बैठे। उन्होने उसके विरोध-स्वरूप वाक आउट कर दिया। सरकार को अपनी विस्तार पूर्वक रिपोर्ट दी और यह भी लिखा कि वे दोनो केस अभी पास नहीं समझे जाने चाहियें। पर चूंकि सरकार के मुखिया अर्थात बन्सी लाल जी उस समय बाबूजी को अपना कटट्र विरोधी समझते थे, दत्ता साहिब को वे स्वयं ले कर आए थे, और क्योंकि कार्यकारिणि समिति के वे दोनो केस स्वयं बंसी लाल जी से सम्बन्धित थे, इस लिये वे इस मामले में चुप रहे। किन्तु स्वाभिमानी और सत्य पर आग्रह करने वाले बाबूजी कैसे चुप बैठते? उन्होने कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के उप कुलपति व समस्त कार्यकारिणी के सभी उपस्थित सदस्यों पर करनाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मानहानि का केस दायर कर दिया। उप कुलपति व रजिस्ट्रार पर **101** रूपये तथा बाकी सदस्यों पर एक रूपये का जुर्माना भी मांगा। हालाँकि यह मामूली सी रकम हास्यप्रद लगती है, किन्तु यह तो टोकन स्वरूप विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी के विरूद्ध लड़ाई थी।

July20-version Downloaded from moolchandjain.org

मैने इसी दौरान **1971-72** में इसी विश्वविद्यालय से एम. एड. **(M.Ed)** की फ़ाइनल परीक्षा दी थी और परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रही थी। परिणाम आ गया किन्तु केवल मेरा ही परिणाम घोषित नहीं हुआ। मैने अपने **M.Ed Dissertation** के गाइड स्वः डा. पंडित से पता किया तो उन्होने पता कर के बतलाया कि किसी चाटुकार प्रोफ़ेसर ने वी सी को जाकर बतलाया कि जैन साहिब की ही बेटी है जो **M.Ed** में यूनिवर्स्टी में प्रथम स्थान पर आ रही है। और वी सी ने बाबूजी से बदला लेने के लिये मेरे परिणाम को रोक कर पुनर्मुल्यांकन **(re-evaluation)** के लिये भेज दिया है। यह भी नोट करने वाली बात है कि इस से पहले पुनर्मुल्यांकन की कोई मिसाल नहीं थी, और उसी साल से पुनर्मुल्यांकन आरम्भ हुआ। लगभग एक महीने के बाद मेरा परिणाम घोषित किया गया। फ़िर भी मैंने ही यूनिवर्स्टी में टॉप किया। शायद **re-evaluation** करने वालों को कैंही से भी नम्बर कम करने का कोई स्कोप नहीं मिला। मुझे अगले वर्ष अर्थात **1972-73** की कन्वोकेशन में टॉप आने पर गवर्नर एवं यूनिवर्स्टी के चान्सलर से मैरिट सर्टिफ़िकेट व मैडल

मिला। बाबूजी अपनी बेटी की इस शानदार सफ़लता पर फूले नहीं समा रहे थे। उन्होने अपने सब मित्रों के सामने इस समाचार को बड़े गर्व से सुनाया।

यूनिवर्स्टी नियम के अनुसार टॉपर्स (1st class first) को हमेशा पी. एच. डी. के लिये यूनिवर्स्टी छात्रवृति देने का प्रावधान था। और मेरा पी. एच. डी. करने का बहुत मन था। इस लिये मैंने 1972-73 के सैशन के लिये शिक्षा विभाग में पी. एच. डी की छात्रवृति के लिये फ़ार्म भर दिया और चूंकि मैं स्कॉलरशिप मिलने के लिये निश्चिन्त थी, मैंने करनाल के आर्य गर्लज़ हाई स्कूल से अध्यापन कार्य से त्यागपत्र दे दिया। किन्तु मुझे जल्दी ही अपना त्यागपत्र वापिस लेना पड़ा क्योंकि मुझे पता चला कि वी. सी. दत्ता ने मेरा स्कालर-शिप कैंसल कर दिया और किसी ने चूं तक नही की। बाबुजी को मुझ से भी ज्यादा बुरा लगा क्योंकि किस पिता को यह भा सकता है कि उनका बदला उनकी बेटी से लिया जाए? उन्होने इसके विरोध स्वरूप कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की सबसे उच्च समिति अर्थात कार्यकारिणि समिति **(Executive Committee)** के मनोनीत सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया। पर इससे किसी को कुछ अन्तर नहीं पड़ा। इसके विपरीत दत्ता को लगा कि उनका सब से बड़ा कॉंटा स्वयं ही दूर हो गया। शायद बाबूजी ने बहुत जल्दबाजी कर दी। इसके लिये भी केस दायर किया होता तो हम जरूर जीतते।

1974 की अगस्त में मैंने सरकारी अध्यापिका के पद से त्यागपत्र दे कर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग में एम. ए. के लिये प्रवेश की ईच्छा से फ़ार्म भर दिया। प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों की सूचि में मेरा नाम सबसे ऊपर होते हुए भी एडमिशन कमेटी मुझे प्रवेश देने में जबरदस्त आना-कानी कर रही थी। कारण वही, विश्वविद्यालय के उप कुलपति श्री दत्ता का डर! उन्हे सब को यह लगता था कि कंही वी. सी. को पता लग गया तो उन की ख़ैर नहीं। इस लिये जब मैंने उनको यह अहसास कराया कि यह मेरे साथ सरासर घोर अन्याय है और यह भी कि अब की बार मैं चुप बैठने के बजाए कोर्ट में चुनौती दूंगी तो उन्होने एक रास्ता निकाला। उन्होने मुझ से कहा कि मैं यह आश्वासन दूं कि मैं अपने नाम गुप्त रखने का प्रयास करूंगी। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगा, परन्तु बाद में मैंने यह उनकी मानवीय दुर्बलता मान कर कह दिया कि मैं अपनी और से पूरा प्रयास करूंगी। इसी लिये ऑफ़िश्यिल रिकॉर्ड में मेरा नाम स्वतन्त्र जैन होते हुए भी मेरे सभी सहपाठी मुझे भारती नाम से जानते थे। यह बात मैंने अपने बाबूजी को भी नहीं बतलाई क्योंकि मैंने सोचा कि वे कभी भी ऐसी इजाज़त नहीं देंगे। मैं हॉस्टल में भी नहीं रही, बाहर शहर में कमरा लेकर रही। इस बीच विश्वविद्यालय के वी. सी. और कार्यकारिणी के विरूद्ध कोर्ट में केस चलता रहा - तारीख़ें पड़ती रही।

<u>लाला जय प्रकाश नारायण जी की 'सम्पूर्ण क्रान्ति' आन्दोलन में बाबू जी का योगदान</u>

इसी उपरोक्त निर्णय के अर्न्तगत श्री भगवत दयाल व श्री देवीलाल को कॉंग्रेसी टिकट न दिया गया था। श्री बंसीलाल के मुख्यमन्त्री बनने पर श्री देवीलाल ने हरियाणा खादी बोर्ड के पद से त्याग पत्र दे दिया और उसके बाद कॉंग्रेस पार्टी भी छोड़ दी। और सन् **1972** में जब हरियाणा विधान सभा के चुनाव हुए तो श्री बंसीलाल व भजन लाल के विरुद्ध चुनाव लड़ा। पर दोनों स्थानों से उनकी जमानते जब्त हो गई। बाबूजी ने **1972** का चुनाव नही लड़ा। इससे पूर्व १६७१ में कॉंग्रेस पार्टी 'गरीबी हटाओ' का नारा देकर लोकसभा का चुनाव जीत गई। परन्तु गरीबी हटाने के लिये कोई ठोस कदम न उठाया। गरीबी व महंगाई बढ़ती गई। कई प्रदेशों में विद्यार्थियों ने अपने संघठनों द्वारा आन्दोलन शुरु कर दिया। श्री जय प्रकाश नारायण का मार्ग दर्शन प्राप्त होने पर वे आन्दोलन और तेज़ हो गये। गुजरात व विहार प्रदेशों में तो आन्दोलन निर्णायक स्तर तक पहुँच गये। हर प्रदेश में संघर्ष समितियां बनने लगी। हरियाणा में भी संघर्ष समिति बनी। बाबुजी को भी प्रदेश संघर्ष समिति का सदस्य बनाया गया और जिला करनाल समिति का संयोजक।

इससे पूर्व **1972** में बाबुजी ने भारतीय-रुसी मित्रता संघ के माध्यम से रूस की यात्रा की व **15** दिन तक रूस के बड़े नगरों- मास्को, लेनिन ग्राड, ताशकन्द आदि का दौरा किया। मास्को रेडियो स्टेशन से एक महत्वपूर्ण वार्ता भी

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

प्रसारित की। मास्को विश्व विद्यालय के अकादिमक कौंसिल के सदस्यों से बातचीत भी की। उस यात्रा के कुछ फ़ोटो **website** में दिए गए हैं।

<u>आपातकाल की घोषणा एवं सभी विरोधियों की धड़-पकड़</u>

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने **12** जून **1975** को श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध चुनाव याचिका स्वीकार कर उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर दिया। इस फैंसले के विरुद्ध अपील में सर्वोच्च न्यायालय ने आंशिक स्टे दिया। श्रीमती गांधी के वकीलों ने राय दी कि सम्बन्धित कानूनों में संशोधन के बिना उनकी अपील स्वीकार होना कठिन है। यह भी कहा गया कि शायद संविधान में संशोधन करना पड़े। अपने बचाव के लिए कोई और साधन न पाकर इन्दिरा गांधी ने सारे देश में **25** जून **1975** को इमरजेंसी-आपात काल की घोषणा कर दी। उसी समय अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ बाबुजी को भी **25-26** जून की मध्य रात्रि को **2.००** बजे जब हम सभी सोए हुए थे, गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी के लिये स्वयं एस पी करनाल, अपने डी एस पी के साथ आए और घन्टी बजाई। हम सब धन्टी की आवाज़ सुन कर हैरान-परेशान हो गये। मैंने उठ कर द्वार खोला तो सामने एस पी खड़े थे, कहने लगे, 'जैन साहिब से कुछ काम है।' इससे पहिले कि मैं कुछ कह पाती, बाबुजी आँखें मलते हुए वंही आ गये। एस पी ने उन्हें देखते ही अत्यन्त आदर के साथ उनके पाँव स्पर्श किये। बाबूजी ने रात को रेडियो पर सुने समाचार से उन्हे देखते ही अनुमान लगा लिया कि वे उनको भी गिरफ़्तार करने आए हैं। इस लिये एस पी से बोले, 'आप को असमंजस में पड़ने की ज़रूरत नहीं, मुझे **5** मिंट फ्रैश होने के लिये चाहियें, फ़िर आप अपना काम कर सकते हो।' एस पी कहने लगे, जैन साहिब, 'शर्मिन्दा मत करें, हमें सख़्त अफ़सोस है कि हमें आप जैसी हस्ती को गिरफ़्तार करना पड़ रहा है। परन्तु यह हमारी ड्युटी है।' और बाबुजी उन के साथ चले गये। ना कोई गिला, ना शिकन, ना कोई चिन्ता, ना कोई परिवार सदस्यों के लिये सन्देश! हमें भी यह लगा कि सवेरे जमानत हो जाएगी, १२ बजे तक आ जाएंगे। किसी को क्या पता था कि यह बारह **19** महीनों के बाद बजेंगे। उस समय तक तीन बहिनों का विवाह हो चुका था और मैं कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के हॉस्टल में रह कर एम ए की पढ़ाई कर रही थी। बड़े भाई अलग थे। और मेरा सब से छोटा भाई भी पढ रहा था। ज़ाहिर है कि आय का कोई साधन नहीं था। फ़िर भी जैसे तैसे **19** माह बिताए, आज कल्पना भी नहीं कर सकते।

तो कुछ दिन करनाल जेल में रखने के बाद उन्हें गुड़गांवा जेल मे रखा गया। उस जेल मे सागर राम गुप्ता, भिवानी, स्वामी इन्दरवेश व श्री प्रकाश चन्द जैन, हिसार, श्री गोपी चन्द भार्गव, रिवाड़ी, भी बाबुजी के साथ नजर बन्द थे। कुछ समय के बाद श्री इन्दरवेश पैरौल पर चले गए व वहां श्री देवीलाल को महेन्द्रगढ़ जेल से लाया गया। काफ़ी दिनों तक श्री देवीलाल व बाबुजी को एक ही छोटी सी कोठरी में रखा गया जिसमें दो चारपाईयां भी मुश्किल से बिछाई जा सकती थी। कुछ महीनों के बाद देवीलाल व बाबुजी को रोहतक जेल में भेज दिया गया। जहां से १६ महीनों से भी अधिक समय के बाद ३१ जनवरी १६७७ को रिहा किया गया। इस नजरबन्दी के समय भिन्न-भिन्न जेलों की निम्न घटनाएं महत्वपूर्ण है।

क- गुड़गांव जेलः

इस जेल में आने के कुछ समय बाद जेल अधिकारियों ने बाबुजी को ड्योढी में बुलाया और कहा कि वे रजिस्टर पर अपने अँगूठे व उँगलियों के निशान लगायें। बाबुजी ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि 'उन्हें उनके माता पिता ने न केवल बी.ए. तक पढ़ाया है अपितु वकालत भी कराई है'। मगर जेल अफ़सर ज़िद करता रहा। आखिर बाबुजी को कहना पड़ा किः

July20 version Downloaded from moolchandjain.org

'जेल अधिकारियों के सामने तीन विकल्प है, पहला यह है कि वे अपने वार्डरों व जेल सिपाहियों को आदेश दें कि वे जबरन उनका अँगूठा लगवा लें, दूसरा यह कि उनका इन्कारी का बयान लिखकर उच्च अधिकारी को भेज दें और जैसा आदेश वे दें, उसके अनुसार काम करें। तीसरा विकल्प यह है कि उनके इन्कारी के बयान से यदि कोई जेल का अपराध बनता है, तो उन्हें जेल की सज़ा दी जाए'।

उस अधिकारी ने बाबूजी को बड़े अधिकारी के पास भेज दिया, जिसने बाबुजी को समझाया कि 'उनके अन्य नज़रबन्द साथियों के अँगूठे तो लगवा लिये है, फ़िर वे क्यों इन्कार करते है?' बाबुजी ने अपना उत्तर दोहराते हुए कहा कि 'उनके साथियों ने अनजाने में यदि गलती कर दी हो तो, क्या वे भी अपने स्वाभिमान को खुद चोट पहुंचाएं?' उस अधिकारी ने बड़े जेल अफ़सर के पास केस भेज दिया जिसमें सही बात सुनकर अँगूठा लगवाने की जिद छोड़ दी।

दूसरी घटना इस जेल में यह थी कि सियासी नजरबन्दों के वार्ड के निकट ही जेल का गुम्बद था, जिसके नीचे एक दिन मुख्य वार्डन ने एक साधारण कैदी को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। वह जोर-जोर से दहाड़ें मारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर बाबुजी ने बाहर की तरफ़ देखा तो वार्ड के दरवाज़े पर ताला नहीं लगा था। वे तीर की तरह तुरन्त बाहर आए और वार्डन को शर्मिन्दा करते हुए कहा कि 'कैदी को क्यों मार रहे हैं?' इस पर कैदी की पिटाई तो बन्द हो गई, परन्तु बाबुजी को ड्योढ़ी में बुलाया गया। स्वामी इन्द्रवेश को पहले ही बुलाकर बाबुजी की इस हरकत के खिलाफ़ गिला किया जा चुका था। आपसे भी अधिकारीगण ने गिला किया। पर अपने वार्डन को कही बात दोहराते हुए और विरोध जताते हुए पूछा 'कि कैदी को पीटना जेल के किस नियम में लिखा है?'

गुड़गांव जेल की तीसरी घटना और भी महत्वपूर्ण है। स्वामी इन्द्रवेश को पैरौल पर जाने की प्रेरणा देने के लिए उच्च अधिकारियों की सहायता से कुछ लोग उनसे ड्योढी में मिले। वार्ड में आकर स्वामी जी ने हमें सारी बात बताई, बाबुजी सहित अन्य साथियों ने स्वामी जी को समझाया कि 'वह हरियाणा संघर्ष समिति के अध्यक्ष है। यदि वह पैरौल पर गए तो संघर्ष समिति बदनाम होगी और वह स्वयं भी बदनाम होंगे'। फलस्वरूप स्वामी जी पैरौल पर जाने के लिए तैय्यार न हुए। मगर कुछ दिनों बाद वही लोग फिर स्वामी जी को मिलने आये और स्वामी जी को पैरौल पर जाने के लिए तैयार कर लिया। समझाने पर भी वे न माने और पैरौल पर बाहर चले गये और फिर लौटकर न आए। यही नहीं, कुछ दिनों बाद स्वामी जी ने किसी के हाथ बाबुजी को पत्र भेजे कि बाहर कोई आन्दोलन नहीं है, सब लोग भयभीत हैं। जेल में रहने का कोई लाभ नहीं है। वे अगर पैरौल के लिए तैयार हुए तो उनकी अधिकारियों तक पहुँच है। तथा बाबुजी को भी पैरौल पर छुड़ाया जा सकता है। इस पत्र का जो उत्तर बाबुजी ने दिया एतिहासिक दस्तावेज है। बाबूजी ने उत्तर में लिखा कि, 'श्रीमती इन्दिरा गाँधी भारत में प्रजातन्त्र को खत्म करना चाहती है। उसे संघर्ष द्वारा ही बचाया जा सकता है। चाहे सारे नजरबन्द पैरौल पर चले जाएं पर वे अकेले ही जेल में रहकर विरोध करेंगे'।

स्वामी इन्द्रवेश बाबूजी की पत्नी अर्थात हमारी माताजी से भी मिलने आये और उन्हें समझाने का प्रयास किया कि वे अपने पति को पैरौल पर आने के लिए कहे। परन्तु उस बहादुर देवी ने भी स्वामी जी को कह दिया कि 'वे कभी अपने पति को उनके स्वाभिमान के विरुद्ध आचरण करने को नहीं कहेंगी।' हमें इस बात का गर्व है कि वे कभी भी ऐसे क्षणों में कमज़ोर नहीं पड़ी।

खः- रोहतक जेलः

रोहतक जेल में न केवल हरियाणा के नजरबन्द रखे गए थे। अपितु अन्य प्रदेशों के चोटी के नेताओं को भी वहां रखा गया था। जैसे पीलू मोदी, बीज पटनायक, मुख्यमन्त्री उड़ीसा व भैरो सिंह शेखावत, मुख्यमन्त्री राजस्थान, हरद्वारी लाल, बलवन्त राय तायल आदि पहले से वहां थे। देवीलाल व बाबुजी को भी वहां लाया गया। कुछ दिनों बाद बाबुजी को हिसार जेल भेज दिया गया।

July20version Downloaded from modernindian.org

गः- हिसार जेलः

वहां भी बाबुजी को सेंकड़ों हरियाणा व दिल्ली के नजरबन्द साथियों से मिलने का सौभाग्य मिला। कुछ दिनों के बाद श्री जॉर्ज फर्नाडीस व श्री विजय कुमार मल्होत्रा, सदस्य लोकसभा, को हिसार जेल लाया गया। ऐसे सब लोगों से बाबुजी के अच्छे सम्बन्ध हो गये। आपने तीनों जेलों में बहुत पुस्तकें पढ़ी।आप एक क्षण भी खराब नहीं होने देते थे। ऐसी बीसियों कॉपियां जिनमें इन्होंने किताबों में पढ़ी महत्वपूर्ण बातें संगृहित कर रखी है, हमारे पास अभी तक सुरक्षित हैं। इनमें महत्वपूर्ण पुस्तकें श्री बर्टेन्ड रसल की प्रसिद्व पुस्तक, 'वैस्टर्न फ़िलॉसफ़ी ऑफ लाईफ़' व उन्ही की तीन खंडों में आत्मकथा, डॉ० राधा कमल मुखर्जी का भारत इतिहास, कृष्णा मूर्ति की कई पुस्तकें, पंतजली के प्रसिद्व ग्रंथ 'योग सुत्र' का अनुवाद, प्यारे लाल जी की प्रसिद्व पुस्तक 'लास्ट फेज़ ऑफ गान्धीजी' के जीवन पर लिखी ८० पुस्तकों की ग्रंथ माला में पहली १०-१२ पुस्तके पढ़ी व उनसे नोट्स लिये। अब इनमें से बहुत सी पुस्तकें अपने गाँव के पुस्तकालय में दे दी गयी हैं। स्वाध्याय में इनकी गहरी दिलचस्पी का यह प्रभाव था कि इन्हें जेल में न कभी निराशा हुई, न उक्ताये। प्रतिदिन वे कुछ समय के लिये योग आसन भी करते थे। जिसके कारण इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहता। ये जेल में कभी बीमार नहीं हुए। जेल में रहते हुए भी ये राष्ट्पति व उच्च न्यायालय को इन्दिरा सरकार के विरुद्व याचिकाएं भेजते रहे।

घः- कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के वी. सी. एवं कार्यकारिणी के विरूद्ध मानहानि के केस में जीतः-

कुरूक्षेत्र विश्वविद्यालय के वी. सी. एवं कार्यकारिणी के विरूद्ध मानहानि का पूर्व वर्णित केस लम्बा चला। बाबूजी आपातकाल में भी जेल से उस केस की प्रत्येक तिथि पर पेश होते। पर जल्दी ही **1976** के मध्य मे इस केस का फ़ैंसला बाबूजी के हक में सुना दिया गया। वी. सी. और पूरी कार्यकारिणी को शर्मसार होना पड़ा। बाबूजी को विश्वविद्यालय के प्रोफ़सर आदि से एक ही शिकायत थी कि इतने उच्च पद पर पंहुच कर भी वे अन्याय के विरूद्ध आवाज़ क्यों नही उठाते? क्यो अपना और अपने साथियों का अपमान सहते हैं। बुद्धिजीवियों के प्रति उनकी यह वेदना आगे भी कई अवसरों पर उभर कर आई है।

आपातकाल में ही मेरी एम.ए. की डिग्री बिना किसी व्यवधान के तो मिल गयी परन्तु इस वी.सी. और बन्सी लाल के डर से मैरिट होते हुए भी हरियाणा में कंही कोई नोकरी नहीं मिली। बाबूजी को अच्छी तरह यह अहसास था कि उनके सिद्धान्तों की वजह से मुझ से अन्याय हो रहा है, पर वे हमेशा हमें सही समझाते थे कि सत्य की लड़ाई लड़ने वालों को आन्तरिक व बाह्य वेदना को सहना ही पड़ता है। इसी लिये मुझे कभी देर तक बुरा नहीं लगा।

1976 में एम.ए. की परीक्षा के बाद मेरा देहली के लाजपत भवन में **Servants of the People Society, established by Lala Lajpat Rai,** के सैकटरी श्री सेवक राम जी (जो मुझे अपनी बेटी मानते थे), ने भारत की महान् दार्शनिक, समाज सेवी व आध्यात्मिक महिला सुश्री विमला ठकार -और जो विश्व के महान् फ़िलॉस्फ़र, जे कृष्णामूर्ति की शिष्या थी व जिन्हे आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था, उनकी आव-भगत के लिये मुझे स्वर्णिम अवसर प्रदान किया। वे हालैंड में मेडिटेशन कैंप व लैक्चर के लिये गई थी और ३ माह बाद वापिस आई थी। उनको ३ दिनो के लिये लाजपत भवन में ही रूक कर भिन्न २ समूह के लागों को सम्बोधित करना था। उनके खाने-पीने से ले कर आव-भगत की सारी ज़िम्मेवारी मेरी व दिल्ली कालेज की लैक्चरार शशीजी की थी। लोग आदर से उन्हे विमला ताई या दीदी कहते थे। मैं उनके जीवन, संयम, सोच और कियात्मक अध्यात्म से बहुत प्रभावित हुई थी, आज तक हूँ। उनके लैक्चर का हूबहू वर्णन मैंने बाबूजी को जेल में लिखे अपने ६ पेज के पत्र में कर दिया। बाबूजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें भी पूज्य दीदी का एक एक वाक्य छू गया। उसके बाद बाबूजी ने भी कृष्णामूर्ति व पूज्य दीदी की पुस्तकों का सारा सैट मॅंगवा कर जेल में ही पढ़ डाला।

इधर इन्दिरा गाँधी ने चुनाव कराने की घोषणा करने के साथ ही नजरबन्दों की रिहाई आरम्भ कर दी थी। शुरु फ़रवरी में ही श्री जगजीवन राम व श्री बहुगुणा जैसे बड़े नेता कॉंग्रेस से त्याग पत्र दे कर श्री जयप्रकाश के मोर्चे में

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

शामिल हो गये। इसका परिणाम यह हुआ कि सारे देश में जोश फैल गया और यह जोश बढ़ता ही चला गया। भिन्न-भिन्न विरोधी पक्षों के नेताओं ने मिलकर एक राजनैतिक पार्टी बनाई, जिसका नाम ''जनता पार्टी'' रखा गया। कॉंग्रेस एस, भारतीय क्रान्ति दल, जनसंघ व कॉंग्रेस फार डैमोक्रेसी ने इसमें अपने आपको विलय कर लिया। जनता ने इन्हें नोट व वोट दोनो दिए। परिणाम यह हुआ कि जनता पार्टी को अप्रत्याशित बहुमत मिला। कॉंग्रेस पार्टी को केवल १४५ सीटें मिली। इन्दिरा गांधी स्वयं भी हार गई। श्री चन्द्रशेखर जनता पार्टी के अध्यक्ष बनें। श्री चरण सिंह से समर्थन मिलने पर श्री मोरारजी देसाई को इसका नेता चुना गया।

इसके तीन महीने बाद जून में हरियाणा विधान सभा के चुनाव अन्य विधान सभाओं के चुनावों के साथ हुए। बाबुजी भी समालखा से सदस्य निर्वाचित हुये। जनता पार्टी को हरियाणा विधानसभा में ९० में ७५ सीटें मिली। कॉंग्रेस का सफ़ाया हो गया और श्री देवीलाल मुख्यमन्त्री बनें। परन्तु मन्त्रिमण्डल बनाने में श्री देवीलाल ने वही गलती की जो १९६७ में श्री भगवत दयाल ने की थी। श्री रिजक राम, बाबुजी, हीरानन्द आर्य, श्री बलवन्त राय तायल जैसे प्रमुख विधायकों को छोड़कर बहुत ही जूनियर विधायकों को मन्त्रिमण्डल में ले लिया। यहां तक कि श्री सतवीर मलिक जैसे नये विधायक को वित्त मन्त्री बना दिया। सीनियर साथियों को नज़र अन्दाज करने से जनता भी खुश न थी। इसका परिणाम निम्न घटना से मिलता है।

मन्त्रिमण्डल बनने के कुछ समय के बाद एक साधारण देहाती बाबुजी से मिलने आया और पूछा कि सरकार कैसे चल रही है। उनके इस उत्तर पर कि सरकार ठाठ से चल रही है, देहाती भाई ने यह महत्वपूर्ण वाक्य कहाः

''नहीं जैन साहब, 'यह सरकार तो पालियों (चरवाहों) को सौंप दी गई है। पाली कैसे सरकार चला सकते हैं?''

कुछ दिनों के बाद नजर अन्दाज सीनियर साथियों का असुन्तष्ट धड़ा बन गया व हरियाणा जनता विधायक दल दो बराबर भागों में बंट गया। केन्द्रीय नेताओं में श्री देवीलाल को चौ. चरण सिंह व राजनारायण का पूरा समर्थन प्राप्त था। इसलिए बहुमत न होते हुए भी उन्हे मुख्यमन्त्री बनाये रखा। बाबुजी उन दिनों असुन्तष्ट धड़े में थे। परन्तु जब उन्हें पता लगा कि श्री भजन लाल उनके धड़े के नेता के रूप में उभर रहे है, तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। केन्द्रीय नेताओं की रूचि देखकर श्री भजनलाल ने भी विरोध छोड़ दिया व उन्हें मन्त्रिमण्डल में शामिल कर लिया गया। ३-४ महीने के बाद बाबुजी को भी मन्त्रिमण्डल में शामिल होने की दावत दी गई। बाबुजी ने कहा कि वे अपने मित्रों से सलाह करके जवाब देंगे। **23-12-78** को चौ. चरण सिंह की **78** वां जन्म दिन बोट क्लब, दिल्ली में बड़ी धूम-धाम से मनाया गया। लाखों लोग आये व उन्हें **78** लाख रु. की थैली भेंट की। इस भारी जन्म समारोह में बाबुजी भी शामिल हुए। इन्होंने एक सप्ताह के बाद मन्त्रिमण्डल में शामिल होने की स्वीकृति दे दी। **31-12-78** को इन्हें वित्त मन्त्री बनाया गया।

उन्हीं दिनों नारनौल के विधायक का देहान्त हो गया। उसकी जगह जनता पार्लियामेन्ट बोर्ड ने उप चुनाव के लिये श्री बाबू नन्द शर्मा को टिकट दिया। श्री देवी लाल ने जात-पात का नंगा नाच शुरू कर दिया व खुले तौर पर कहा कि वे किसी गुज्जर या अहीर को जनता पार्टी का टिकट दिलाना चाहते हैं। इसके विरुद्ध वह किसी अन्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकते। परन्तु जनता पार्टी ने टिकट श्री बाबू नन्द शर्मा को दे दिया। श्री देवी लाल समर्थकों ने गुप्त रूप से श्री फूसा राम, स्वतन्त्र उम्मीद्वार का समर्थन शुरू कर दिया। कुछ समय के बाद श्री औम प्रकाश चौटाला व श्री हुक्म सिंह ने खुले तौर पर शर्मा का विरोध शुरू कर दिया। वे प्रायः वोटर के पास जाकर चौ. देवी लाल व चरण सिंह का वास्ता देकर फुसा राम की मदद का वायदा लेते। इसके बावजूद जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबू नन्द का पलड़ा भारी रहा, तो चुनाव के एक दो दिन पहले श्री देवी लाल ने बाबू नन्द के लिये चुनाव प्रचार में तो भाग लिया ही नही, वरण उच्च जिला अधिकारी गण को गुप्त संदेश भेजे कि वे फूसा राम की सहायता करें। परिणाम यह हुआ कि बाबू नन्द लगभग ५०० मतों से हार गये व फूसा राम जीत गये। श्री देवी लाल की इस हरकत पर जनता पार्टी के एक दो को छोड़कर सभी केन्द्रीय

July 20- version-Downloaded from modichandjain.org

नेता चौ. देवी लाल से सख्त नाराज हो गये और इस अवसर की तलाश करने लगे कि कैसे उसे मुख्यमन्त्री के पद से हटाया जाये?

इस चुनाव में बाबुजी बाबू नन्द के पक्ष में प्रचार के लिये नारनौल क्षेत्र के एक गाँव में गये तो अचानक दुर्घटना में उनके बायें पाँव के घुटने की हड्डियां टूट गई। और वे काफ़ी दिन रोहतक मैडिकल कॉलेज व पी.जी.आई. में दाखिल रहे। यह उप चुनाव अप्रैल **1979** में हुआ था।

मई **1979** में श्री भजनलाल ने देवी लाल मन्त्रिमण्डल में रहते हुये उनके विरुद्ध साजिश शुरू कर दी। इन्हीं दिनों केन्द्र में बदलती परिस्थितियों के कारण श्री देवी लाल ने जनसंघ धड़े के चार विधायकों को मन्त्रिमण्डल से निकाल दिया। जिससे श्री भजन लाल को बल मिला। भजन लाल सहित कई मन्त्री त्याग पत्र दे कर विधायकों का बहुमत साथ लेकर भारत दर्शन पर चले गये। उन्हें प्रायः राजस्थान व मध्यप्रदेश के विश्राम गृहों में रखा गया। तथा उन्हें श्री देवी लाल के किसी आदमी से तब तक न मिलने दिया गया जब तक अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान की तिथि जनता हाईकमान द्वारा निश्चित न कर दी गई।

आख़िर में बहुमत न होने के कारण श्री देवीलाल ने मुख्यमन्त्री पद से त्यागपत्र दे दिया। श्री भजनलाल हरियाणा के मुख्यमन्त्री बनें। उधर लोकसभा के मॉनसून अधिवेशन में श्री मोरारजी भाई के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया तो जनता पार्टी के सदस्यों ने त्यागपत्र देना शुरू कर दिया। श्री देवी लाल, श्री कर्पूरी ठाकुर, श्री राजनारायण इस काम में जुटे हुए थे। दो-तीन दिन बाद मन्त्रियों ने त्यागपत्र देने शुरू कर दिए। आख़िर अपना बहुमत न रहते देखकर श्री मोरारजी भाई को त्यागपत्र देना पड़ा। प्रश्न यह पैदा हो गया कि किसे अगला प्रधानमन्त्री बनाया जाये। किसी एक व्यक्ति के साथ बहुमत न था। इसलिए राष्ट्रपति ने कहा कि जो 'नेता इस उँचे पद के लिए उम्मीदवार है वह अपने समर्थकों की सूचि उन्हें दें।' उस वक्त तक कॉंग्रेस संसदीय पार्टी के दो भाग हो चुके थे। इन्दिरा गाँधी के साथ लगभग ७० सदस्य थे। इन्दिराजी स्वयं ही चिकमंगलूर से जीत कर लोकसभा में आ चुकी थी। लगभग इतने ही कॉंग्रेसी सदस्य श्री चौहान के साथ थे। दोनों ने चौधरी चरण सिंह को समर्थन देने का विश्वास दिलाया। जनता पार्टी के काफ़ी सदस्य चौधरी चरण सिंह के साथ थे। अतः श्री चरण सिंह के साथ बहुमत देखकर राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का निमन्त्रण दिया और वे उस वक्त प्रधानमन्त्री बन गये। परन्तु एक महीने के अन्दर उन्होंने लोकसभा में बहुमत का प्रमाण देना था। उन दिनों श्रीमती गाँधी पर कई मुकदमें चले हुए थे। शाह आयोग इन्क्वायरी कर रहा था। इन्दिरा गांधी और उसके समर्थक चाहते थे कि श्री चरण सिंह को विश्वास प्रस्ताव में इस शर्त पर समर्थन करेंगे कि 'वे इन्दिरा जी से बात करें और उनके विरूद्ध शाह आयोग से मुक्कदमा वापिस लेंगे।' किन्तु श्री चरण सिंह, जो एक सिद्धान्तवादी छवि के नेता थे, ने ऐसा करने से साफ़ इन्कार कर दिया। हालांकि वे जानते थे कि श्रीमती इन्दिरा के समर्थन बिना वे लोकसभा में विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए श्री चरण सिंह ने राष्ट्रपति को त्यागपत्र देने से पहले लोकसभा भंग करने की सिफारिश कर दी। और **5** जनवरी **1980** चुनाव की तिथि निश्चित कर दी। उस समय श्री चरण सिंह को काम चलाउ प्रधानमन्त्री रखा गया।

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

<u>विपक्ष के नेता के रूप में</u>

यह ध्यान में रखने योग्य है कि श्री चरण सिंह के प्रधानमन्त्री बनते ही जनता पार्टी दो भागों में बंट गई। श्री चरण सिंह के साथियों ने लोकदल के नाम से नई पार्टी का निर्माण किया। श्री बाजपेयी आदि उस समय जनता पार्टी में ही रहे। बाबूजी और हरियाणा के देवीलाल समर्थक सब लोकदल में शामिल हो गए। **1980** के चुनाव में श्रीमति इन्दिरा फिर सत्ता में आ गई। लोकदल टिकट पर हरियाणा से चार प्रत्याशी सफल हुए जिनमें से एक श्री देवीलाल ने हरियाणा विधानसभा से त्यागपत्र दे दिया और बाबूजी उनके स्थान पर लोकदल विधायक पार्टी के नेता सर्व सम्मति से बने और उसी हैसियत से उन्हें हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता की मान्यता मिली।

इन्दिरा जी के सत्ता में आने पर उसने भी उन विधानसभाओं को भंग कर दिया जहां सरकारें विरोधी पक्ष की बनी हुई थी। श्री भजनलाल ने, जो लोकसभा के चुनाव में श्रीमती गांधी को गालियां देते हुए न थकते थे, एकदम पासा पलटा और चालीस-ईकतालिस जनता पार्टी के विधायकों को साथ लेकर प्रधानमन्त्री के दरबार में हाज़िर होकर कहा कि, 'हरियाणा में चुनाव करवाओगी तो कौन जानता है कि लोकदल दोबारा सत्ता में आ जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में **45-46** विधानसभा क्षेत्रों में लोकदल उम्मीदवार जीते थे। वे अपने साथियों सहित जनसंघी विधायकों को छोड़कर कॉंग्रेस में आने को तैयार थे, और फिर हरियाणा सरकार कॉंग्रेसी सरकार कहलाएगी।' श्रीमति इन्दिरा गान्धी ने उनकी दलील में दम देखते हुए उसे स्वीकार कर लिया और अलीबाबा के चालीस चोंरो की तरह श्री भजनलाल व उसके **40-41** विधायक रातों-रात कॉंग्रेसी बन गये। प्रजातन्त्र के इतिहास में शायद ही कभी ऐसी घटना हुई हो।

विपक्षी नेता के नाते बाबुजी ने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। उनके साथ **29-30** लोकदल के विधायक थे। बाबूजी के सुझाव पर कॉंग्रेसी सरकार को कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़े। जिनमे से कुछ निम्नलिखित है।

१.पंजाब और हरियाणा में सन् **1951** की जनगणना के आधार पर उन गाँवों में हरिजन नम्बरदार बनाए गए, जहां पर उनकी गिनती गाँवों में १०० से ज्यादा थी। ३० साल के अन्दर उनकी गिनती और कितने गाँवों में १०० हो गई थी, परन्तु पहले जहाँ इतनी गिनती न थी मगर वहां नम्बरदार बनाने का कोई आदेश नहीं दिया गया था। बाबूजी के आदेश पर नए सुझाव जारी हुए। सन् **1981** की जनगणना के आधार पर जिस गाँव की गिनती १०० या ज्यादा हो गई हो वहां भी हरिजन नम्बरदार बनाए जांए, फलस्वरूप हरियाणा में कई सौ नए नम्बरदार बने।

२. हरियाणा विधानसभा में सर्वसम्मति से बाबुजी का प्रस्ताव स्वीकार किया गया कि शिक्षा संस्थाओं में नैतिक शिक्षा भी लागू की जाए, क्योंकि नैतिक शिक्षा के बिना शिक्षा अधूरी है। परन्तु हरियाणा शिक्षा विभाग ने इस सम्बन्ध में उचित आदेश जारी नहीं किए। और यह सर्वसम्मति से जारी किया प्रस्ताव कागजों में ही रह गया।

३. सहकारी कर्जो की जबरदस्ती वसूली और कर्जदारों की गिरफ़तारी के विरुद्ध कॉंग्रेसी सरकार की गलत नीति को समाचार पत्रों ने उजागर किया जिस पर उनकी गिरफ़तारी बन्द हुई।

<u>जब चौ० चरण सिंह ने बाबूजी को मुख्यमन्त्री बनाने का संकेत दिया</u>

सन् **1982** का चुनाव बाबुजी लोकदल के टिकट से लड़े। इस चुनाव से पहले श्री चरण सिंह व देवी लाल में बहुत मतभेद हो गया था। श्री देवीलाल ने अपने नेता श्री चरण सिंह को ही बुरा भला कह दिया। जिसके कारण चौधरी चरण सिंह उन्हें कभी न भूले और वे हरियाणा में भी श्री देवीलाल की सत्ता व प्रभाव खत्म करना चाहते थे। एक बार उन्होंने बाबूजी को यहां तक संकेत दिया कि वे बाबुजी को हरियाणा का मुख्यमन्त्री देखना चाहते है। इसके बावजूद बाबुजी ने देवीलाल का साथ न छोड़ा। उन्हीं दिनों दोनों के बीच मनमुटाव इतना बढ़ गया था कि हरियाणा लोकदल के कई विधायक व कार्यकर्ता लोकदल छोड जनता पार्टी में शामिल हो गए। परन्तु चन्द दिनों बाद चरण सिंह से समझौता हो गया और सब लोग लोकदल में ही रहे। उन्हीं दिनों की एक घटना है, जिससे सिद्ध होता है कि श्री चरण सिंह देवीलाल व चौटाला से कितने नाराज थे?

<u>बाबुजी ने मुख्यमन्त्री पद के लालच को छोड़ देवी लाल के पक्ष में दम लगाया परन्तु देवीलाल परिवार ने उन्हें हराया</u>

श्री देवीलाल के कहने पर श्री मनोहर लाल सैनी, जो, उस समय हरियाणा लोकदल के सदस्य थे, और बाबुजी चौ. चरण सिंह से मिले और उन्हें बतलाया कि 'चौ० देवी लाल का परिवार उनका सदा वफ़ादार रहा है। देवी लाल की कही हुई गलत बातों को वे भूल कर उन्हें क्षमा कर दें'। बातों बातों में बाबुजी ने उन्हें यह भी याद दिलाया कि **23-12-**

July20version-Downloaded from moolchandjain.org

78 को उनका जन्म दिन था, जिसे ऐतिहासिक रूप से मनाया गया, उसका श्रेय श्री देवी लाल को भी है'। श्री चरण सिंह का जवाब याद रखने योग्य है। उन्होंने कहा,

'हाँ भाई जैन, मेरी फोटो छपवालो, उन्हें बेचो, कुछ रुपया मुझे दे दो, और बाकी खा जाओ'।

उनके इस उत्तर से स्पष्ट है कि वे चौ० देवी लाल जी से कितने चोटिल व कोद्धित अनुभव कर रहे थे और कितनी ज़बरदस्त कड़ुवाहट भरी थी देवी लाल जी के प्रति उन के मन में! संभवतयः यही कारण रहा होगा कि दोबारा लोकदल में आने के बावजूद श्री चरण सिंह व देवी लाल में तनाव बना ही रहा। और शायद इसी कारण से 1982 के चुनाव के लिए लोकदल के टिकट देने पर काफ़ी मतभेद रहा। श्री चरण सिंह के कट्टर समर्थकों को श्री देवीलाल और चौटाला ने हराने की कोशिश की। श्री देवी लाल ने परदे के पीछे से और चौटाला ने सरे आम कई जनसंघी उम्मीदवार हरवाए। बाबुजी भी चुनाव हार गए या संभवतयः कोशिश करके उन्हे हराया गया क्योंकि चौ० देवी लाल जी के खेमे को शायद यह भनक लग गई थी कि चौ० चरण सिंह जी बाबूजी को मुख्य मन्त्री बनाना चाहते थे। श्री देवी लाल व चौटाला की नीति का परिणाम यह हुआ कि हरियाणा विधानसभा में लोकदल के सदस्यों की गिनती कांग्रेसी सदस्यों से कम रह गई। और गर्वनर श्री तपासे ने कांग्रेस विधायक पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी समझते हुए, उसके नेता श्री भजन लाल को सरकार बनाने के लिए निमन्त्रण दे दिया और श्री भजन लाल दोबारा मुख्य मन्त्री बन गए। मुख्यमन्त्री बनते ही उस सौदागर ने न केवल कई स्वतन्त्र विधायकों को खरीद लिया अपितु लोकदल के भी कुछ विधायकों को अपने साथ मिला लिया। लोकदल के विधायकों की गिनती कम होती चली गई। सन् 1982 में श्री देवी लाल महम हल्के से विधायक बने और फिर उसने लोकसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया।

July20version-Downloaded from mooldchandjain.org

<u>न्याय युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका</u>

सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की सीट खाली हो गई। 1983 में सोनीपत का उपचुनाव हुआ। इस बीच श्री देवी लाल और चरण सिंह में गहरे मतभेद हो गए। और श्री देवी लाल ने सोनीपत लोकसभा उपचुनाव में लोकदल के उम्मीदवार किताब सिंह मलिक के विरूद्ध चुनाव लड़ा, जिसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ से कांग्रेसी प्रत्याक्षी श्री रिज़क राम जीत गए। सन् 1984 के लोकसभा चुनाव निकट आने पर चौ० चरण सिंह व देवी लाल फिर इकट्ठे हो गए और सन् 1984 का लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ा। परन्तु इन्दिरा गांधी की हत्या के कारण श्री राजीव गान्धी के हक में इतनी जोरदार लहर चली कि लोकदल के सभी उम्मीदवार हार गए। और राजीवजी अपनी ही शक्ति पर प्रधानमंत्री बने। सन् 1985 में राजीव ने सतलुज ब्यास के बंटवारे और चण्डीगढ़ के विषय में इन्दिराजी के ज़माने में किये गए समझौते को बदलकर नया समझौता श्री लोंगोवाल से किया, जिससे हरियाणा के हितों को बहुत नुकसान पहुँचा। हरियाणा लोकदल नेताओं ने विद्रोह का बिगुल बजा दिया।

इस संघर्ष में बाबुजी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वे गिरफ़तार भी हुए। करनाल में बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया। इस सभा के दौरान पुलिस ने लोकदन वर्करों पर लाठी चार्ज किया और इस लाठी चार्ज में मेरे छोटे भाई अशोक को भी लाठी लगी। २३ मार्च सन् 1986 को हरियाणा बन्द को सफ़ल बनाने में बाबुजी का बड़ा हाथ रहा। उन्ही की प्रेरणा पर हरियाणा व्यापार मण्डल के प्रधान श्री सुखदेव स्वरुप ने राजीव-लोंगोवाल समझौते को हरियाणा के हितों के खिलाफ घोषित किया और इन्हीं के सुझाव पर हरियाणा बन्द भी संघर्ष में जोड़ा गया। उस बन्द की सफलता ने श्री देवी लाल को जाटों के नेता की सीमा से निकालकर सारे हिन्दुस्तान की नज़रों में समस्त हरियाणा का नेता बना दिया। संघर्ष समिति की ओर से जो प्रस्ताव पारित होते या समाचार पत्रों के लिये जो बयान दिए जाते, उनके मसौदे भी प्रायः बाबुजी ही बनाते थे। सन् 1987 के चुनाव निकट होने पर बाबुजी ने घोषणा कर दी कि वे इस चुनाव में हिस्सा न लेंगे, फिर भी संघर्ष का काम दिलो जान से करते रहेंगे। पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र भी बाबुजी ने बनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं में कोई गलत-फहमी हुई तो उसे भी दूर करते रहे।

जींद में समस्त हरियाणा का ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ। इसे सम्बोधित करते हुए श्री चौटाला ने कई बड़ी अहंकार भरी बातें कही। यहां तक कहा कि 'इतनी बड़ी भीड़ को सम्बोधित करने का सौभाग्य तो ना गुरु नानक को, न महर्षि दयानन्द को, और ना ही महात्मा गांधी को प्राप्त हुआ था।' बाबुजी को उसकी ये अहंकार भरी बातें बहुत अख़री। उससे पूर्व भी चौटाला कई गलतियां कर चुका था। बाबुजी ने एक लंबा चौड़ा पत्र देवी लाल को सावधान करने के लिए लिखा कि 'उनका बेटा इतनी अहंकार भरी बातें करता है। हम तो गुरुनानक महर्षि दयानन्द व गांधी के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं है। श्री चौटाला को उसकी अहंकार भरी बातों से रोका जाए, वर्ना उनकी पार्टी को आने वाले चुनाव में राजसत्ता नहीं मिलेगी और मिल भी गई, तो चला नहीं सकेगी।' इस पत्र को पढ़ने के पश्चात श्री देवी लाल, जब करनाल आए, तो बाबुजी से मिले और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे उनकी भावनाओं की कदर करते है और भविष्य में उनकी बातों का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

सन् **1987** के हरियाणा विधान सभा चुनाव में कॉंग्रेस सत्ता पार्टी का बिल्कुल सफ़ाया हो गया। हालांकि श्री भजन लाल के स्थान पर श्री बंसी लाल को मुख्यमन्त्री बना दिया गया था। फिर भी कॉंग्रेस की कुछ न चली और संघर्ष समिति के दोनों भागीदार लोकदल व भाजपा को कमशः **16** व **17** सीटें मिली। श्री देवी लाल ने दिल्ली के हरियाणा भवन में बतौर मुख्यमन्त्री शपथ ली। बाबुजी इस समारोह में जानबुझ कर शामिल न हुए कि यह न समझा जाए कि ये देवी लाल की सरकार में किसी पद के इच्छुक है। परन्तु मोरनी पहाड़ी के विश्राम घर पर पहुँच कर श्री देवी लाल ने बाबुजी को वहां बुलाया और उनसे कहा कि 'आप ही ऐसे व्यक्ति है जो सबके हितों के प्रति निष्पक्ष होकर सोचते है और उस पर जन आचरण करते है। अब हरियाणा का राज्य आपने और मैने इस ढंग से चलाना है कि सारे देश में इसकी शोहरत हो।' इस पर बाबुजी ने योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष की हैसियत से कार्य करना स्वीकार कर लिया।

इसी बीच मार्च **1982** में हमारे चाचा अर्मीचन्द जी का देहावसान हो गया ओर जब बाबूजी को उपाध्यक्ष का पद संभाले दो माह भी नहीं बीते थे, **26** सितम्बर **1987** को हमारी माताजी का अचानक दिल का दौरा पड़ने से देहान्त हो गया। जब हम लोग चंडीगढ़ एकत्रित हुए तो इतने बड़े सदमें के बावजूद हमने बाबूजी को समभाव में पाया। वास्तव में तो वह हम बच्चों को सान्तवना दे रहे थे। इस सदमें की वजह से उन्होने अपने जनता के प्रति कर्तव्यों में कोई कमी नहीं आने दी। ऐसे लगता था कि मेरी भावना की निम्न दो पंक्तियों को उन्होने आत्मसात कर लिया था किः 'ईष्ट वियोग में अनीष्ट योग में सहन शीलता दिखलावे।'

आप योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के साथ साथ कई और महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष भी बनाए गए, जैसे मोरनी हिल्स एरिया विकास समिति, नैतिक मूल्य निर्माण समिति, जेल सुधार समिति, पे एनॉमलिज़ समिति, हैफेड अफ़ेयरज़ समिति आदि।

योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष के तौर पर बाबुजी ने जो काम किये, वे हरियाणा की जनता को सदा याद रहेंगे। १. उद्योग विभाग के दो भाग कराए गए, ताकि छोटे उद्योगो की देखभाल व सहायता सुचारु रुप से हो सके।

२. प्राईमरी शिक्षा का अलग डायरेक्टोरेट बनवाया गया।

३.रोजगार और लेबर विभागों का उच्च अधिकारी एक ही था। इसके कारण रोजगार विभाग की उपेक्षा होती थी इसका अलग डायरेक्टर बनवाने का निर्णय कराया।

४. वेतन विसंगतियों को दूर करने वाली कमेटी के प्रधान की हैसियत से जो रिपोर्ट तैयार की, उसकी बड़ी प्रशंसा हुई।

July20version-Downloaded from moolchandjain.org

५. मोरनी पहाड़ी इलाकों की कमेटी के प्रधान के तौर पर जो काम किया उससे वहां के लोगो को बहुत लाभ पहुंचा।

६. हरियाणा की शिक्षा प्रणाली में नैतिक शिक्षा कैसे जोड़ी जाए, इसके लिए योजना बोर्ड में उन्होने एक एडहॉक कमेटी बनाई जिसके सदस्य तीनों युनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर और अन्य गणमान्य व्यक्ति बने। इस उपसमिति ने पांडेचरी में श्री अरविंदों द्वारा चलाई गई शिक्षा संस्थान और श्री गोयन्का द्वारा स्थापित ऋषि वैली के स्कूल और सांई बाबा द्वारा संचालित विश्व विद्यालय और अन्य शिक्षा संस्थाओं का भ्रमण किया। हरिद्वार में आचार्य श्री राम की संस्था भी देखी। इसके अलावा गुरूदेव तुलसी की संस्था 'जैन विश्व भारती, डीम्ड विश्व विद्यालय' में भी गए। परन्तु यह कमेटी जुलाई **1989** में त्यागपत्र देने के कारण अपनी अन्तरिम रिपोर्ट न दे सकी।

शुरू में श्री देवी लाल बाबुजी की बातों व सलाह पर काफ़ी ध्यान देते थे। परन्तु धीरे-धीरे वे अपने बेटे श्री चौटाला की न केवल धांधलियों को नज़र अन्दाज़ करने लगे बल्कि उसके गलत सलाह को भी ज्यादा वजन देने लगे। एक साल के अन्दर ही बाबुजी का दम घुटने लगा और उन्होंने त्यागपत्र देना चाहा। परन्तु मित्रों से इसकी चर्चा की तो सबने यही राय दी कि यदि वे इस पद पर रहेंगे तो चौटाला की हरकतों पर कुछ तो नियंत्रण रहेगा। परन्तु श्री चौटाला की धांधलियां बढ़ती ही चली गई। बाबुजी ने कई बार श्री देवी लाल से भी इन धांधलियों के बारे में चर्चा की। एक बार श्री देवी लाल ने बाबुजी को कहा कि वे चौटाला को एक बार समझाए, तो बाबुजी ने उत्तर दिया कि चौटाला को उनके पास भेजें, परन्तु श्री चौटाला उनके पास नहीं गए। चौटाला की धांधलियां इतनी बढ़ती गई कि उनके सहने योग्य नहीं रही और उन्होने **10** मार्च **1989** को श्री देवी लाल को लिखित रूप में **(see http://moolchandjain.org/)** उन धांधलियों की चर्चा करते हुए लंबा पत्र लिखा। इसके बाद श्री देवी लाल ने बाबुजी की भावनाओं की कदर करते हुए आश्वासन दिया कि भविष्य में काम ठीक रहेगा, परन्तु परणाम उसी तरह पड़ता रहा । आखिर **23** जुलाई **1989** को बाबुजी ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, जो **28** जुलाई, **1989** को स्वीकार कर लिया गया। **(see http://moolchandjain.org/)** इस सम्बन्ध में बाबुजी के लिखे पत्र 'पींग' समाचार पत्र में छप चुके है।

बाबुजी के पद के त्यागने पर हरियाणा की जनता में न केवल प्रसन्नता हुई अपितु उनकी नज़रों में बाबुजी का आदर और भी बढ गया। उस वर्ष उनका जन्म दिवस करनाल की जनता ने सार्वजनिक तौर पर मनाया। फ़रवरी **1990** में मेहम उपचुनाव में श्री डांगी की खुले तौर पर मदद करने हेतु बाबुजी ने हरियाणा जनता दल से भी त्याग पत्र दे दिया। त्याग पत्र देने पर जो वक्तव्य बाबुजी ने प्रेस को जारी किया वह सभी राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विस्तार से छापा गया। इस बयान की नकल इस उक्त **website** पर भी दी जा रही है।

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

<u>महम उप-चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका</u>

चौ० देवी लाल की सरकार और जनता दल से त्यागपत्र देने के बाद बाबू जी चुप नहीं बैठ सकते थे। वे सदा से अन्याय के विरूद्ध सत्याग्रह और संघर्ष करते रहे, फ़िर यह तो प्रजातन्त्र की रक्षा के लिये सबसे बड़ी ताकत से लड़ाई थी। जिस निर्भयता, बुद्धिमता और दिलेरी से बाबुजी ने महम उपचुनाव में काम किया, वह सारी जनता के सामने है। श्री चौटाला और हरियाणा सरकार ने बाबुजी को बदले की भावना के तहत कत्ल के झुठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया। श्री देवी लाल ने भी टेलिफोन पर अभद्र भाषा प्रयोग की तथा धमकी भी दी। परन्तु बाबुजी ने उनकी धमकी की भी कोई परवाह न की। स्वामी अग्निवेष के अनुसार, 'परीक्षा की उस घड़ी में जब अन्य बड़े २ नेता चौटाला की चाटुकारिता में अपना स्वार्थ साध रहे थे और महम को देवीलाल की जागीर बनाने में लगे थे, श्री मूल चन्द जैन का जनता दल से त्यागपत्र दे कर महम चौबीसी के समर्थन में जी जान से जुटना एक गौरवशाली परम्परा का पोषण माना जाएगा।---उनका यह कदम अत्यन्त साहस पूर्ण तथा सैद्धान्तिक निष्ठा का परिचायक था।'

संभवतयः महम उप चुनाव में बाबूजी की इसी साहस पूर्ण तथा सैद्धान्तिक निष्ठा व लग्न से प्राप्त हुई सफ़लता को देखते हुए स्वतन्त्रता सेनानी संघठन एवं हरियाणा की जनता ने मिल कर २० अगस्त, १६६० को ७५ वर्ष पूर्ण होने पर करनाल में सार्वजनिक रूप से बाबूजी की हीरक जयन्ति मनाने का निर्णय किया। स्वामी अग्निवेष ने इस भव्य समारोह की अध्यक्षता की और पींग के संपादक व देहली यनिवर्सिटी के अंग्रेजी के प्रोफ़सर दौलत राम चौधरी ने उन्हे अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया और जनता ने उनकी सेवाओं को देखते हुए एक कार भेंट की। अभिनन्दन ग्रन्थ में बहुत से केन्द्र व हरियाणा के मन्त्रियों, पूर्व मन्त्रियों, मुख्यमन्त्रियों, सांसदों, जैन सन्त, व कई शुभचिन्तकों की शुभकामनाएं तथा सन्देश आए। जैन सन्त आचार्य तुलसी व आचार्य श्री महाप्रज्ञ ने अपने सन्देश में ालखा किः

'हम जैन साहिब के आचार और विचार से परिचित हैं। उनकी वृति से परिचित हैं। मूलचन्द जी वर्षो से राजनीति में हैं। काजल की कोठरी में रह कर भी अपने आप को बचाए रखना असाधारण बात है। छल, कपट और माया से बहुत दूर! हम यह भी कह सकते हैं कि राजनीति के क्षेत्र में मूलचन्द जैसे व्यक्ति बिरले ही मिलेंगे।------------वे धार्मिक क्रिया कान्डों से अपने को दूर रखते हैं। किन्तु धर्म के वास्तविक स्वरूप को उन्होने अपने जीवन में चरितार्थ किया है। उनका जीवन नैतिकता से ओत-प्रोत है। अनैतिकता और भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने में वे सदा अग्रणी रहे हैं। -------- यह मूलचन्द जी का अभिनन्दन नहीं, नैतिकता और सदाचार का अभिनन्दन है।-----'

बाबूजी की शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने में गहन रूचि थी। उनके विचार में शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने के लिये नैतिक शिक्षा और पुस्तकालय आन्दोलन का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है। शिक्षा में उनकी इतनी रूचि को देखते हुए अपने योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष काल में उन्हें पुस्तकालय की **Standing Advisory Committee** का अध्यक्ष बनाया गया। और उनके अथक प्रयासों से पहली बार किसी राज्य अर्थात हरियाणा में पुस्तकालय एक्ट पास हुआ।

शिक्षा में पुस्तकालय आन्दोलन के अत्यन्त महत्वपूर्ण योगदान की महिमा को समझते हुए बाबूजी ने **20** अगस्त **1991** को अपने **76**वे जन्म दिवस पर अपनी जन्म स्थली सिकन्दरपुर माज़रा में अपने स्वर्गीय पिता लाला मुरारी लाल के नाम पर धर्मार्थ ट्रस्ट बना कर अपने पैतृक निवास में एक अद्भुत पुस्तकालय बना कर गॉव को समर्पित किया। हम सब बच्चे गॉव में पुस्तकालय खोलने के पक्ष में नहीं थे क्योंकि इस गॉव में हमारे दूर के भी कोई सगे सम्बन्धी नहीं रहते थे। सभी गॉव छोड़ कर दूर शहरों में बस गये थे। इस लिये हमें यह लगता था कि हम बाद में इसे नहीं संभाल पाएंगे। परन्तु बाबूजी उस गॉव को पूरे भारतवर्ष का एक आदर्श गॉव बनाना चाहते थे। इसी लिये अपने जीवन के सान्ध्य में अपने पैतृक घर और जन्म स्थान में अपनी सारी संचित पूंजी लगा कर इस अनोखे से पुस्तकालय की स्थापना कर उसे अपने जीवन के अंतिम क्षण तक सींचा। इस गॉव में पुस्तकालय खोल कर बाबूजी ने अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी को अपनी जड़ों से भी जोड़ दिया है, वरना हम शायद वहां कभी ना आते-जाते।

बाबूजी के स्वर्गवास के बाद इस ट्रस्ट का नाम सर्व सम्मति से लाला मुरारी लाल-मूलचन्द जैन धर्मार्थ ट्रस्ट' रख दिया है। अब गोहाना का गॉव सिकन्दरपुर माजरा लाला मुरारी लाल मूलचन्द जैन धमार्थ ट्रस्ट द्वारा संचालित पुस्तकालय के कारण प्रदेश भर में जाना जाता है। बाबूजी के अनुसार, 'ग्रामीण ऑचल में पुस्तकालय का होना समस्त देश के लिये महत्वपूर्ण है। क्योंकि अच्छे साहित्य में जो शक्ति छिपी है, वह एटमबम से भी अधिक हो सकती है, क्योंकि पुस्तक पढ़ने से ही बड़े से बड़ा विचार मन में आ सकता है। यही नहीं, बाबूजी मानते थे कि अतीत से आधुनिक सभी युगों की संस्कृति एवं प्रगति का सूचक है और भावी पीढ़ी के लिये प्रेरणा स्त्रोत है। यह पुस्तकालय केवल मनोरजंन का स्त्रोत नहीं वरण राष्ट्रीय विकास का महत्वपूर्ण आधार है। इस लिये अच्छे प्रेरणादायक साहित्यके उत्पादन, सॅवर्धन और उसे पुस्तकालय में संचित करने की च्येष्ठा जो राष्ट्र और समाज नहीं करता, वह अज्ञान व अन्धकार में खोकर अपनी हस्ती ही खो बैठता है।' बाबूजी यह भी मानते थे कि 'सभी पुस्तकालय शहरों में हैं, गॉव में एक भी नहीं अर्थात ग्रामीण **70%** जनता पुस्तकों के ज्ञान व देश के साहित्य की धरोहर से वंचित रही युग-युगों तक!'

July20-version Downloaded from moolchandjain.org

अतः गाँव में पुस्तकालय की महिमा को समझते हुए आगाज़ किया बाबूजी ने अपनी पावन जन्म भूमि से, जँहा इस छोटे से देहात में अपने किस्म का यह अद्वितीय पुस्तकालय अब हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में सब से अच्छे पुस्तकालय में से एक माना जाता है। और यह पुस्तकालय केवल इसी गाँव की नहीं वरन आस-पास के दस गाँवों की जनता को धन्य कर रहा है। दो मंजिले इस पुस्तकालय भवन का क्षेत्रफ़ल **500** गज़ है। इसमें एक हॉल, एक दफ़्तरनुमा कमरा और एक पुस्तकालय अध्यक्ष का कमरा है। एक बड़े कमरे को वाचनालय का रूप दिया गया है। यंहा साहित्यिक एवं धार्मिक ग्रन्थ, चारों वेद, गीता, बाईबल, कुरान, सत्यार्थ प्रकाश, जैन ग्रन्थ, सभी महापरूषों की जीवनियों, प्रसिद्ध कविताओं एवं उत्साह वर्धक लेखों का संग्रह तथा गान्धीजी पर प्रकाशित सम्पूर्ण साहित्य व अन्य खोज सामग्री से सम्बन्धित दुर्लभ ग्रन्थ भी यंहा उपलब्ध है। हिन्दी -अंग्रेज़ी में कई समाचार पत्र आते है। महिलाओं व बच्चों का विभाग अलग तल पर है। ग्रामवासी हर साल बाबूजी के जन्म दिवस को पुस्तकालय दिवस के तौर पर मनाते हैं। और यहाँ केन्द्र व हरियाणा राज्य कई मन्त्रीगण मुख्य मन्त्री बनारसी दास गुप्ता, चौ० बन्सी लाल, सांसद रणबीर सिंह हुडड्ा, श्री दीपेन्द्र हुडड्ा, केन्द्रीय गृह मन्त्री आई डी स्वामी, सुषमा स्वराज आदि पधार चुके है।

पुस्तकालय और शिक्षा प्रणाली में उनकी गहन रूचि को देखते हुए चौ० भजन लाल सरकार ने एक बार फ़िर से बाबूजी को हरियाणा राज्य पुस्तकालय एथॉरिटी का अध्यक्ष मनोनीत कर दिया और वे इस पद पर **1996** तक रहे।

बाबूजी के देहान्त के केवल एक माह पूर्व मुख्य मन्त्री चौ० बन्सी लाल मुख्य अतिथि के तौर पर बाबूजी के पैतृक गाँव सिकन्दरपुर माजरा (सोनीपत) उन्हें उनके **82**वे जन्म दिवस समारोह (जो पिछले २५ सालों से इसी गाँव में पुस्तकालय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है) पर अपनी शुभकामनाएं देने के लिये पधारे और गाँव की चौपाल की दीवार पर एक स्मृति स्मारक पत्थर रखा, जहाँ से बाबूजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन में **6** मार्च **1941** को पहली बार गिरफ्तारी दी थी। ओर २० अगस्त १६६८ को बाबूजी के स्वर्गवास के बाद पहले जन्म दिवस पर भारत के उप राष्ट्रपति की धर्मपत्नि श्रीमती सुमन कृष्णकान्त मुख्य अतिथि के तौर पर बाबू जी की छोटी सी नगरी सिकन्दरपुर माजरा में पधारी। श्री राम बिलास शर्मा, शिक्षा मन्त्री ने यहाँ के राजकीय उच्च विद्यालय का नाम मूलचन्द जैन राजकीय उच्च विद्यालय घोषित करते हुए ग्रामवासियों की मांग पर इस को उच्चतर विद्यालय बनाने की भी घोषणा की। और सुमन कृष्णकान्त ने स्कूल के प्रांगण में लगाए गये बाबूजी के स्टैचु का अनावरण किया और बाबूजी को भावभीनी श्रद्धान्जिली देते हुए अध्यापकों, अभिभावकों और अन्य आगन्तुकों को सम्बोधित करते हुए कहा कि 'बाबूजी जैसे बहु आयामी वाले व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा ले कर उन्हें उनके कदम चिन्हों पर चलने का प्रयास करना चाहिये।'

1996 में चौ० बन्सी लाल जी की सरकार में बाबूजी के बन्सी लाल जी के ज़बरदस्त आलोचक होने के बावजूद उनकी सोच, उनकी स्वतन्त्रता प्राप्ति पूर्व एवं स्वतन्त्रता के बाद राष्ट्र के प्रति सेवाओं, त्याग, व समर्पण और समाज को झंकझोरने की ललक को देखते हुए उन्हे तीन अत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य स्तरीय समितियों का सदस्य बनाया गया जिनके नाम हैं: स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ति अभिननदन समिति, राज्य स्तरीय नेताजी सुभाष चन्द्र बोस जन्म शताब्दी समारोह समिति, तथा राज्य की नशाबन्दी समिति। इन तीनो ही समितियों के सदस्य के तौर पर बाबूजी ने समय समय पर बहुत ही रचनात्मक सुझाव दिये।

बाबुजी ने स्वतन्त्रता सेनानियों का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि, 'वे केवल अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए इकट्ठे होते है उन्हे समाज और देश की समस्याओं के बारे में भी सोचना चाहिए। आर्थिक और सामाजिक आज़ादी की मंजिल अभी दूर है। उसके लिए न केवल काम करना होगा अपितु संघर्ष भी करना होगा।' इन विचारों से प्रेरित होकर हरियाणा, हिमाचल, पंजाब और चण्डीगढ़ स्वतन्त्रता सेनानियों ने उत्तर भारत स्वतन्त्रता सेनानी परिषद का गठन किया। और सर्वसम्मति से बाबुजी को उसका प्रथम प्रधान बनाया गया।

<u>बाबूजी की धार्मिक सहिष्णुता व सच्ची धर्म निरपेक्षता</u>

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

बाबूजी धर्म के नाम पर पाखण्डों के कट्टर विरोधी थे। वे जन्म से जैन धर्मी थे, परन्तु किसी भी किस्म के कर्म काण्ड या पूजा.पाठ में उनकी कतई कोई रूचि नहीं थी, बल्कि इन सबके वे सख्त विरोधी थे। उनके विचार में यदि धर्म शब्द का प्रयोग कुछ उच्च वर्ग के लोग किन्ही ख़ास वर्गों का शोषण व दमन करने हेतु करें तो वह धर्म नहीं अपितु शोषण का ही एक तरीका है। जो धर्म समाज में किसी भी वर्ग के प्रति हो रहे जुल्म, अन्याय व अत्याचार के विरूद्ध आवाज़ नहीं उठाता, वह धर्म नहीं कहा जा सकता। जो धार्मिक नेता नई समस्याओं, नई चुनौतियों का सामना करने के लिये अपने अनुयाईयों को तैय्यार नहीं करता, बाबूजी की ऐसे धर्म गुरूओं में कोई आस्था नहीं थी। और जो लोग सुबह से साँझ तक बेईमानी, छल-कपट, शोषण व चोर बाज़ारी करने में लीन रहें, परन्तु रात को मन्दिर प्रसाद चढ़ाकर सोचते हैं कि उनके पाप धुल गये, उनसे बाबूजी को सख्त चिड़ होती थी। ऐसे धार्मिक लोगों को वास्तव में सामाजिक गिरावट का बहुत बड़ा कारण मानते थे।

1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार (**3** जून-**8** जून, **1984**) से पहले या उसके आस-पास जब भी कभी करनाल में हिन्दु-सिख दंगे हुए, बाबुजी ने सदा आहत सिखों पर मलहम लगाने व शान्तिदूत का कार्य किया। परन्तु जब सिख भाई हिन्दुओं का कत्ले आम कर रहे थे और किसी भी सिख नेता या उनके धार्मिक सन्तों ने उस के विरूद्ध आवाज़ नहीं उठाई तो बाबूजी ने सिखों के शिरोमणि सन्त लोंगोवाल को **4** मार्च **1984** को पत्र **(see website)** लिख कर बड़ी नम्रता से उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाते हुए लिखा कि:

हरियाणा में जो कुछ **15** और **17-18** फ़रवरी को हुआ, उसके लिये मेरे जैसे आदमी अति शर्मिन्दा हैं। इन हालात को सामान्य बनाने के लिये मेरे जैसे आदमी जो कर सके, हमने किया। करनाल में रहने वाले किसी भी सिख भाई से आप इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि पंजाब में जो हो रहा है, और ख़ासतौर पर जो कुछ १४ फ़रवरी से ले कर अब तक हुआ है, क्या कोई उस के लिये भी शर्मिन्दा है? और क्या उन हालात को नॉरमल बनाने के लिये कोई ठोस प्रयास किया जा रहा है?

धर्म या जात-पात के नाम पर, कँही राम के नाम पर तो कँही धर्म के नाम पर मन मुटाव व दंगे-फ़साद से बाबुजी बहुत आहत होते थे। धार्मिक सहिष्णुता के बारे वे भिन्न २ मंच से बोलते। बाबूजी के अनुसार, भिन्न २ धर्मो के सच्चे गुरू या सन्त पीर केवल उसी धर्म के नहीं होते, वे मानव मात्र की साँझी विरासत होते हैं, फ़िर यह मन मुटाव कैसा? कोई भी धर्म अपने आप में सम्पूर्ण नहीं। हर धर्म में अच्छाइयाँ और कमियां दोनो हैं। जिन बातों को एक धर्म ने दूसरे की तुलना में ज्यादा महत्वपूर्ण माना, क्या उनसे हम कुछ सीख नहीं सकते? क्या हिन्दुओं में आज भी मुस्लिम भाईयों जैसी सामाजिक बराबरी है? क्या हम ईसाई भाइयों से क्षमा व प्रेम का पाठ नहीं सीख सकते? क्या मुस्लिम व यहुदी भाई जैन धर्म के अहिंसा परमोधर्मः के सिद्धान्त और हिन्दु धर्म में सत्य से कुछ नहीं सीख सकते? सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख कर अपने अपने धर्मो का विकास कर सकते हैं। लेकिन यह तभी होगा जब हम दूसरे धर्मो के गुणों को पहिचानें। हर धर्म की कमी को ही सामने रखें तो कभी भाईचारा नहीं बढ़ सकता। किसी के दोष दूर करना भी चाहें तो उसका मित्र बन कर ही कर सकते हैं, शत्रु बन कर नहीं। यही प्रकृति का अटल नियम है।'

बाबू जी के अनुसार, 'धर्म के कई अँग हैं। एक अँग मानव को मानव से जोड़ता है, दूसरा अँग मानव को अनन्त शक्ति से जोड़ता है। और तीसरा अंग उसकी धार्मिक मान्यताओं **(values)** का है जो भिन्न २ धर्मो के अनुसार भिन्न हैं।' पर बाबूजी का मानना था कि शिक्षा एवं विज्ञान के विकास के साथ २ गलत मान्यताएं स्वयं दूर हो जाएंगी। जैसे अपने देश में सती प्रथा, दास प्रथा, देवदास प्रथा और छुआछूत प्रथा जैसी कई गलत मान्यताओं के विरूद्ध संघर्ष करने वालों को नाना यातनाएं भुगतनी पड़ी। परन्तु उन्हे सफ़लता मिली और जिन गलत मान्यताओं को पहले धर्म समझा जाता था, उन्हे अब पाप माना जाने लगा है।'

July20version Downloaded from modichandjain.org

बाबूजी सदा भिन्न २ मंचों से अपने हिन्दु भाईयों से यह अनुरोध करना चाहते थे कि जो हिन्दु धर्म की सच्ची सेवा करना चाहते हैं, वे अपने देश की ज्वलन्त समस्याओं - बेरोज़गारी, गरीबी, विषमता, महँगाई, भ्रष्टाचार, आतंकवाद व बहुराष्ट्रीय कन्पनियों के बढ़ते मकड़जाल का समाधान निकालें।.... भारत माँ आज जितने संकट में है, पहले कभी नहीं हुई। वे कहते थे कि हवन के धूंए और चिता के धूंए में जेसे कोई अन्तर नहीं है, वैसे ही हिन्दु, सिख, ईसाई व मुस्लिम के खून में कोई अन्तर नहीं है। सब मानव एक ही हैं। और मानवता ही सच्चा धर्म है। इस लिये उनका मानना था कि दीन दुखियों, ग़रीबों, लाचारों व बेसहारों व उपेक्षित वर्ग का सहारा बनो, उनकी सेवा करो, यही सच्ची पूजा है।

मुस्लिम भाईयों से भी बाबूजी कहना चाहते थे कि उनमें भी कट्टरता की कमी नहीं है। कोई भी उनमें से गलत को गलत नहीं कहता। चाहे उनका कोई भाई तिरंगे झण्डे या किसी अन्य राष्ट्रीय प्रतीक का अपमान करे या फ़िर प्रजातन्त्र दिवस से बॉयकाट की घोषणा कर दें। साधारण मुसलमान उनके सामने चुप हो जाते हैं। जैसे हिन्दुओं में कट्टरवादी हिन्दु के विरूद्ध संघर्ष करने वाले बड़ी मात्रा में हिन्दु खड़े हो जाते हैं, वैसे ही कट्टरवादी मुसलमानों के विरूद्ध अच्छे मुसलमान संघर्ष चालु करेंगें तो हिन्दु देशभक्तों के हाथ मज़बूत होंगे।

सज्जनों से भी बाबूजी कहना चाहते थे कि सज्जन लोग निष्क्रिय हो रहे हैं, उन्हें सक्रिय होना होगा। जो जानते हैं और मानते भी हैं, किन्तु उस पर आचरण नहीं करते, वे बुज़दिल कहलाते हैं। अपनी नेक शक्ति का जो प्रयोग नहीं करते, उनकी वह शक्ति कम होती जाती है। मगर हमें निराश नहीं होना। गलत शक्तियों से लड़ना है चाहे हानि भी हो। हिन्दु या किसी अन्य धर्म में यह आश्वासन कभी किसी ने नहीं दिया कि सच्चाई के लिये लड़ने वालों की कभी कोई हानि नहीं होती।'

अपने देश की दुर्दशा पर वेदना व्यक्त करते हुए वे पूछते थे कि, 'भारत माँ आज जितने संकट में है, पहले कभी नहीं हुई। धर्म के नाम पर उसके लाडले उसके माथे पर कलंक लगा रहे हैं। क्या आजकल के साम्प्रदायिक दंगे हम सबके लिये शर्म की बात नहीं है? क्या हम भारत माँ की इस पीड़ा की अनुभूति नहीं कर सकते?' वे अनुरोध करते थे कि, 'जो करूणा का स्त्रोत हमारे हृदय में सूख़ता जा रहा है, आइये, उसे फ़िर से चालु करें। क्योंकि करूणाहीन व्यक्ति कभी भी परिवार, समाज व राष्ट्र की पगडंडियों पर अग्रसर नहीं हो सकता। फ़िर यह राष्ट्र कैसे पनपेगा?'

July'20-Version-Downloaded from modernsindian.org

<u>अन्य सेवा संघठनों व संस्थानों से सम्बन्ध</u>

- गुरू गाबिन्द सिंह फ़ाउन्डेशन, चन्डीगढ़: बाबूजी की इसी धर्म निरपेक्षता को देखते हुए उन्हे गुरू गाबिन्द सिंह फ़ाउन्डेशन, चन्डीगढ़ के संचालक मन्डल का स्थायी सदस्य ओर इसकी संपति व जायदाद के देख-रेख के लिये बनाए गए ट्रस्ट का ट्रस्टी बनाया गया। जीवन के अन्तिम समय तक वे इसके सक्रिय सदस्य रहे। नवम्बर **1996** में बाबूजी गुरू गाबिन्द सिंह फ़ाउन्डेशन, चन्डीगढ़ से गए एक डेलिगेशन के सदस्य के तौर पर अमरीका में खालसा पन्थ की ३००वी जयन्ति और सन् **1996** को 'मानवीय चेतना का वर्ष' के तौर पर मनाने के लिये गए।
- हरिजन सेवक संघः बाबूजी सदा हरिजनों/दलितों एवं मज़ारों के हमदर्द रहे। ओर आरम्भ से ही हरिजन सेवक संघ के सदस्य व करनाल जिले के अध्यक्ष भी रहे। इन्ही असहाय लोगों की सेवा के लिये बाबूजी ने अपना सारा जीवन लगा दियां इसी लिये लोग उन्हें प्यार से मजलुमों का सेवक भी कहते थे।
- सर्वोदय व सर्व सेवा संघः बाबूजी भारत रत्न विनोबा भावे तथा जय प्रकाश नारायण के सर्वोदय प्रोग्राम से बहुत प्रभावित थे क्योंकि उन्हें उसमें भारत की सच्ची आर्थिक व सामाजिक स्वतन्त्रता के लक्ष्य प्राप्ति राह नज़र आती थी। इस लिये भूदान, ग्रामदान व सम्पति दान में अपना भरपूर सहयोग देने के बाद उन्होने सर्वोदय प्रोग्राम को भी दिलोजान से अपना लिया। और सर्वोदय व ख़ादी के सभी कार्यक्रमों से अपने जीवन के अन्त तक जुड़े रहे।

उन्होने सर्व सेवा संघ के लिये भी अपना कीमती समय लगाया और वे इसकी कार्यकारिणी कमेटी के विशिष्ट आमन्त्रित सदस्य अन्त तक रहे। सर्व सेवा संघ के सभी अध्यक्षों से उनके गहन सम्बन्ध और पत्राचार थे।

- सर्वेन्टस ऑफ़ द पीपल सोसाइटी, लाजपत भवन, लाजपत नगर, नई देहलीः
  बाबूजी इस संस्था के कोई नामजद सदस्य ना होते हुए भी विशिष्ट आमन्त्रित सदस्यों में सदा महत्वपूर्ण स्थान रखते थे।
- आज़ादी बचाओ आन्दोलनः अपने यौवन में स्वतन्त्रता संग्राम में बढ़ चढ़ कर भाग लेने वाले बाबूजी अपने पूरे जीवन आज़ादी के सही मायने ढूँढते रहे और प्रत्येक मंच से आर्थिक व सामाजिक स्वतन्त्रता की बात करते रहे। क्योंकि उन्हें पूर्ण विश्वास था कि जब तक आर्थिक व सामाजिक रूप से एक भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का गुलाम है, तब तक वास्तविक स्वतन्त्रता नहीं मानी जा सकती। अपने जीवन के सान्झ में भी बाबूजी आज़ादी बचाने का कार्य करते रहे। **1991** में स्वर्गीय श्री राजीव दीक्षित, जो आई ए एस होने के नाते अपना कोलेक्टर का पद त्याग कर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मकड़जाल के विरूद्ध स्कूलों, कालेजों, व यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को सचेत करने के लिये जोर शोर से लगे हुए थे और जो कुछ सालों बाद स्वामी रामदेव के पतन्जिलि योग आश्रम, हरिद्वार में स्वाभिमान मंच के संयोजक के तौर पर अन्त समय तक आसीन रहे, हरियाणा आ कर बाबूजी से मिले। बाबूजी भी तब तक 'आज़ादी बचाओ आन्दोलन' के प्रणेता व इलाहबाद यूनिवर्सिटी के विश्व-विख्यात गणित के प्रोफ़ेसर स्वर्गीय डा० बनवारी लाल शर्मा के कार्यक्रम से प्रभावित हो कर हरियाणा राज्य के 'आज़ादी बचाओ आन्दोलन' के संयोजक व पथ प्रदर्शक बन गये थे। इस लिये राजीव दीक्षित के हरियाणा आने पर बाबूजी सम्पूर्ण हरियाणा ओर विशेषकर करनाल, कूरूक्षेत्र, पानीपत, कैथल, अम्बाला, जीन्द, रोहतक, सोनीपत, झझर, सिरसा, हिसार व भिवानी जिलों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, और बार एसोसियेष्ण व अन्य कई गोष्ठियों में उनके साथ गये और युवाओं, बच्चों व महिलाओं को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मकड़जाल के विरूद्ध सचेत करते हुए नव चेतना का संचार किया। बाबूजी ने 'डंकल प्रस्ताव' पर एक लघु पुस्तिका भी लिखी। कई बार उन्हे विभिन्न शिक्षण संस्थानों से अपने हृदय की यह वेदना साँझा करते सुना कि, 'जवानी तो हमने स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये संघर्ष में लगाा दी, अब बुढ़ापे में आज़ादी बचाने के लिये अपनी यूवा पीढ़ी को आवाहन करने के लिये काम कर रहे हैं।'
- दयानन्द सैन्टेनरी डैन्टल कॉलेज़, यमुनानगरः वे दयानन्द सैन्टेनरी डैन्टल कॉलेज़, यमुनानगर की कार्यकारिणी के सदस्य भी अन्त तक रहे।
- महाराजा अग्रसेन मैडिकल एवं रिसर्च संस्था, अग्रोहाः बाबूजी महाराजा अग्रसेन मैडिकल एवं रिसर्च संस्था, अग्रोहा के फ़ॉउन्डर ट्रस्टी व इसके संचालक मंडल के सक्रिय सदस्य भी रहे।

July20-version-Downloaded from modchandian.org

बाबूजी की अन्तिम तड़प और लग्न

राजनीति में व्यापक भ्रष्टाचार, अपराधीकरण, एवं केन्द्र व कई राज्यों की सरकार की अस्थिरता को देखते हुए बाबूजी बहुत दुःखी और आहत थे। यही सोचते रहते थे कि कैसे इस देश को बचाया जा सकता है? इसी लिये अमरीका में उन्होने भारतीय समस्याओं, विशेषकर भ्रष्टाचार, राजनीति का अपराधिकरण और केन्द्रीय व राज्य सरकारों की अस्थिरता आदि समस्याओं के समाधान की तलाश में यू. एस. ए, फ़्रांस और कुछ और देशों का संविधान का बहुत गहराई से अध्ययन किया। वे इस निष्कर्ष पर पँहुचे कि भारत की उपर्लिखित सभी समस्याओं का समाधान संसदीय प्रणाली के बजाए राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार अपनाने में है। हमारे पूर्व प्रधान मन्त्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने केन्द्र में विरोधी दल का नेता होते हुए मीडिया के माध्यम से 'संसदीय प्रणाली के बजाए राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार अपनाने' की एक बहस आरम्भ की थी। बाबूजी ने पूर्ण गंभीरता से मीडिया के माध्यम से ही फ़िर से सक्रिय की और विभिन्न बार कौन्सिल तथा अन्य प्राईवेट छोटी २ सभाओ में बहस का मुद्दा बनाया। उन्होने कई राजनैतिक व सामाजिक

हस्तियों वाजपेयी जी, पालकीवाला, विजिल के संपादक श्री मनमोहन सिंह, श्री सिद्ध राज ढड्ढा, श्री राजेन्द्र सच्चर, श्री कुलदीप नैय्यर और सुप्रीम कोर्ट के कई वकील, जज, आदि को पत्र लिखे। कई समाचार पत्रों में उनके लेख भी छपे **(see website: http://moolchandjain.org).** कोई सैंकड़ों पेजों से भी ज्यादा पेज की फ़ाइल अभी भी उनकी फ़ाइलों में विद्यमान है, जिसमें इस विषय पर पक्ष व विपक्ष में लोगों के विचार इकठ्ठे कर रखे हैं। इनमें से एक लेख यंहा दिया जा रहा है।

"संविधान का संशोधन कितना ज़रूरी ?: बाबू मूल चन्द जैन, पूर्व सांसद" यह लेख लेखक द्वारा सन **1996** में अमेरीका यात्रा से लोटने के तुरन्त बाद लिखा गया था

लगभग दो मास हुए दिल्ली मे गोलवर्कर मैमोरियल लैक्चर देते हुए पूर्व प्रधानन्त्री एवं विपक्ष के नेता श्री अटल बिहारी बाजपेयी ने भारतीय संविधान के व्यापक संशोधन पर बल देते हुए सुझाव दिया था कि निम्न तीन विकल्पों पर विचार करने के लिये एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाये।

१ स्थिर तथा ईमानदार राज्य व्यवस्था लाने के लिये वर्तमान राज्य व्यवस्था में व्यापक बदलाव ।

२ वर्तमान संविधान को पूर्णतया रद्द करके राष्ट्रपति प्रणाली को अपनाना ।

३ फ्रांसिसी संविधान के आधार पर मिली जुली राज्य व्यवस्था अपनाना।

स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिये संविधान सभा का गठन हुआ। इस सभा में देश के सर्वोच नेता और विद्वान सदस्य थे। प्रजातन्त्रीय राज्य व्यवस्था की दो प्रणाली हैः संसदीय प्रणाली एवं राष्ट्रपति प्रणाली

हमारे नेताओं ने राष्ट्रपति प्रणाली के स्थान पर संसदीय प्रणाली को अपनाया। इन दोनो प्रणाली में राष्ट्रपति निष्चित अवधि के लिये राज्य व प्रशासन का मुखिया बनता है। उसे उस अवधि के लिये संसद मतों के आधार पर नही हटा सकती। यदि उस अवधि में राष्ट्रपति कोई अपराध या देश के विरूद्ध कार्य करे तो उसे संसद की सदस्यता से त्याग पत्र देना पड़ता है ।

संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति के अधिकार नाम मात्र के होते हैं। प्रधानमन्त्री उस पार्टी या ग्रुप का होता है जिसका संसद में बहुमत है। जिस समय भी बहुमत विरूद्ध हो जाये तो उसे तुरन्त त्याग पत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था में मन्त्रियों को सदन का सदस्य होना आवश्यक है। स्पष्ट है कि इस व्यवस्था में सरकार के लिये कोई निश्चित समय नहीं है। सरकार उसी समय तक बनी रहती है जब तक उसका बहुमत है। इस का परिणाम भारत में तो यह देखने मे आया है कि प्रायः सभी राज्य सरकारें और अब पिछले **20** सालों से केन्द्रीय सरकार भी अस्थिर हो गई है। यदि सरकार अस्थिरता की स्थिति में रहे तो ऐसी सरकार जनता की भलाई के लिये क्या कार्य कर सकती है? बहुत से बुद्धिजीवियों का ख्याल है कि भारत की समस्याओं का समाधान इसी कारण नही हो रहा है।

सन **1949** में संविधान सभा में इस प्रश्न पर विचार हुआ तो डा० अम्बेदकर ने कहा था कि राज्य व्यवस्था की इन दोनो प्रणालियो में गुण तथा अवगुण दोनो हैं। संसदीय व्यवस्था में स्थिरता कम है तथा जिम्मेदारी अधिक है, जबकि राष्ट्रपति व्यवस्था में स्थिरता अधिक है तथा जिम्मेदारी कम है। दोनो व्यवस्थाओ में से किसी एक को अपनाना आसान काम नहीं है। इसके बाबजूद डा० अम्बेदकर ने संसदीय प्रणाली की इस लिये सिफ़ारिश की थी कि उसमे कार्यपालिका की जवाबदेई जल्दी-जल्दी हो सकती है। अर्थात कार्यपालिका गलती करे तो उसका प्रश्न-उतर आदि के द्वारा जल्दी पता लग जाता है तथा शीध्र ही समाधान हो जाता है।

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

संविधान सभा के दो प्रसिद्व सदस्यगण श्री के० एम मुन्शी तथा श्री अययंगर ने संसदीय प्रणाली का यह कहते हुए समर्थन किया कि भारत ने पिछले **20-25** सालों से संसदीय प्रणाली अपनाई है तथा राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका और विधान सभा में टकराव की गुन्जायश रहती है। इन दोनो महानुभावो ने राज्य की स्थिरता के प्रश्न पर कोई ध्यान नही दिया।

इसके विपरीत संविधान सभा के तीन सदस्यगण, श्री राम नारायण सिह, श्री के.टी शाह व काजी सय्यद कीमूदीन ने राष्ट्रपति प्रणाली का समर्थन किया। श्री राम नारायण सिह ने राष्ट्र को चेतावनी देते हुए बल दिया था कि उसे १६३७ में बनी राज्य सरकारों का बहुत कडुवा अनुभव है। संसदीय प्रणाली में भाई भतीजा वाद बेहद बढ़ेगा और देश खत्म हो जायेगा। श्री सिंह ने यहॉ तक कहा था कि संसदीय प्रणाली की आवश्कता के लिये एक राष्ट्रपति तो ईमानदार मिल सकता है परन्तु संसदीय प्रणाली के लिये ढेरो ईमानदार मंत्रीगण कंहा से मिलेगे?

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि डा० अम्बेदकर व अन्य नेतागणो ने संसदीय प्रणाली राज्य स्थिरता में कमी होने के बाबजूद इसलिये अपनाई कि इसमे कार्यपालिका व इसमे शामिल मन्त्रीगणों की गडबड जल्दी पकडी जा सकती है। राज्य व्यवस्था में स्थिरता नहीं रही, यह तथ्य तो सबके सामने साफ़ है। दिन प्रति दिन स्थिरता कम होती जा रही है। नेता का चुनाव होते ही उसी पार्टी या ग्रुप के सदस्य दिल्ली डेरे डाल देते हैं और अपने नेता के विरूद्ध हर प्रकार के आरोप लगाते है। आन्ध्र प्रदेश, गुजरात तथा पॅजाब के उदाहरण हमारे सामने है। राज्यस्थान की सरकार कब तक बनी रहेगी कोई नही कह सकता। जहॉ तक कार्यपालिका की जिम्मेवारी का प्रश्न है, इस सम्बन्ध मे जितना कहा जाय थोड़ा है। बिहार राज्य के चारा घेाटाला, शिक्षा विभाग धोटाला तथा कोल स्टार धोटाला का कितने सालों तक पता नही लगा। केन्द्र में सरकारी मकानों व पैट्रोल पम्प तथा गैस एजन्सियों की गलत अलॅाटमैट़ कितने सालों तक दबी रही। उत्तरप्रदेश में आयुर्वैदिक दवाईयों का घेाटाला, चीनी, यूरिया, हर्षद मैहता कॉड आदि को कार्यपालिका में से किसी ने नही पकड़ा। भला हो न्यायपालिका का जिसके कारण यह घेाटाले जनता के सामने आये हैं। इसलिये डा० अम्बेदकर का यह तर्क कि संसदीय प्रणाली में प्रशासन की गडबड़ जल्दी पकड़ी जा सकती है, निराधार है।

जहॉ तक देश की समस्याओ का सम्बन्ध है, जो समस्याऐं स्वतत्रंता प्राप्ति के समय अॅग्रेज छोड गये थे, अर्थात गरीबी, बेरोजगारी, मंहगाई, भ्रष्टाचार तथा आर्थिक विषमता! ठसमें से किसी का समाधान नहीं हुआ, अपितु इन समस्याओं ने भयानक रूप धारण कर लिया। इनके अतिरिक्त नई अति गम्भीर समस्याऐ; जनसख्या का बढना, प्रयावरण प्रदूषन, कानुन व्यवस्था, राजनैतिक अपराधिकरण, अर्न्तराज्य विवाद आदि पैदा हो गई हैं। वर्तमान प्रधानमंन्त्री श्री देवगौडा बार-बार कह रहे हैं कि कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी जनता को उनकी मौलिक आवश्यकताये; रोटी, कपडा, मकान, पीने का पानी, यातायात तथा प्राथमिक शिक्षा का पिछले **50** सालों से प्रबन्ध नहीं कर सके।

गांधी जी ग्राम स्वराज पर बराबर बल देते रहे। परन्तु संविधान में संशेाधन के बाबजूद किसी राज्य सरकार ने भी पंचायती राज्य संस्थाओ को प्रयाप्त राजनैतिक तथा आर्थिक अधिकार नही दिये। संसदीय प्रणाली रहते हुए इन स्थानीय राज्य ईकाइयों को यह अधिकार भविष्य मे भी नही मिलेंगे क्योंकि हर विधायक यह समझता है कि इन संस्थाओ को अधिकार दिये गये तो उनकी तुलना मे समानान्तर सत्ता के केन्द्र बन जायेगे।

पांच साल पहले श्री बी. के नेहरू ने वर्तमान संविधान की कड़ी आलोचना करते हुए राष्ट्रपति प्रणाली का समर्थन एक लेख द्वारा किया था। श्री एच. आर खन्ना पूर्व जज, सर्वोच न्यायलय, ने भी कुछ मास पहले संविधान की कड़ी अलोचना की है । श्री खन्ना ने शुद्व राष्ट्रपति प्रणाली की प्रशंसा ही नहीं की अपितु यह भी कहा 'कि हम पूर्णतया अमरीका के संविधान की नकल करें'। फांस की तरह ही नहीं, अपितु उससे भी कहीं आगे, हम दोनो प्रणालियों की अच्छी बातें लेकर एक नये संविधान का निर्माण कर सकते है। वर्तमान संसदीय प्रणाली असफल हो चुकी है। हमारी

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org

अति गम्भीर समस्यायें, जनसंख्या का बढ़ना, व्यापक भ्रष्टाचार, प्रदूषन, राजनीति का अपराधिकरण आदि संसदीय प्रणाली के कारण ही हैं।

तनिक गहराई से विचार करें तो संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका तथा विधानपालिका अलग-अलग नही है । कार्यपालिका का जन्म विधानपालिका से होता है, जबकि राष्ट्रपति प्रणाली में कार्यपालिका का जन्म विधानपालिका से नही होता। इस लिये वँहा की कार्यपालिका विधानपालिका के गलत दबाव में नही रहती। अतः मै भारत के नागरिको तथा राजनैतिक दलों से प्रार्थना करता हूँ कि वे इस विषय पर गहराई से चिन्तन करें और वर्तमान व्यवस्था का परिवर्तन करें।''

<u>और बाबूजी हम सब से विदा हो गये</u>

बाबूजी की यह 'संसदीय प्रणाली के बजाए राष्ट्रपति प्रणाली वाली सरकार अपनाने' की बहस बीच में ही छूट गई जब अचानक **12. 9. 1997** को बाबूजी का दिल का दौरा पड़ने से देहान्त हो गया।

बाबूजी का हम सब से यूँ अक्समात बिछुड़ना हम सभी के लिये असहय था। उन्होने भारत माँ की सेवा के लिये, असहाय व उपेक्षित वर्गो के लिये, तथा अन्याय के विरूद्ध संघर्ष के लिये अपना समस्त जीवन अर्पित कर दिया। दिन प्रति दिन कलंकित होती राजनीति में अपने आप को निष्कलंक रखकर ही नहीं बल्कि अपने उच्च सिद्धान्तो पर कायम रह कर उन्होने सब के दिलों में धर कर लिया। वे तो सदा के लिये चिर निन्द्रा में सो गये, उनके इस देश को सच्ची आर्थिक व सामाजिक स्वतन्त्रता दिलाने के प्रयास व सपने सब अधूरे रह गये। परन्तु इन का जीवन जिन्हे प्यार व आदर से सब हरियाणा का गान्धी कहते थे, सभी वर्गो के लिये अनुकरणीय है। हमें उन पर गर्व है। ईश्वर हमें शक्ति दे कि हम उनके दिखलाए मार्ग पर चल सकें।

July20-version-Downloaded from molchandjain.org

July20-version-Downloaded from moolchandjain.org